(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 5] सप्तम विधान सभा के पंचम सत्र का 13 वां दिवस [संख्या 11

शनिवार

दिनांक 18 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना-प्राप्ति प्रश्न

रावी-व्यास समझौते पर मुख्य मंत्री की केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से वार्ता

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय अभी हाल में ही···

श्री अध्यक्ष : मैं पहले अध्यक्षीय व्यवस्था दे दूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट···

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दौरे के समय में माननीय मुख्य मंत्री जी सिंचाई मंत्री महोदय श्री केदार पाण्डे से मिले, प्रधान मंत्री जी से मिले और दोनों से मिलकर उन्होंने रावी-व्यास समझौते, जो पानी का गत दिसम्बर मास में हुआ है, के विषय में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी शिकायत और मन की वेदना मंत्री और प्रधान मंत्री दोनों के समक्ष प्रस्तुत की। जिस प्रकार की सारे अखबारों में खबरें आया हुई हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के मन में वेदना है और जो पिछले सत्र में विरोधी दल के नेता के द्वारा रावी-व्यास समझौते के विषय में, उसके इन्टरप्रिटेशन के विषय में, उसकी डिटेल्स के विषय में जो बातें रखी गई वह उनके मन में भी शायद वेदना कर रही हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि आखिर रावी-व्यास समझौता हो गया, स्वयं मुख्य मंत्री जी श्री केदार पाण्डे को इसके सम्बन्ध में शिकायत कर रहे हैं, उस समझौते की स्याही सूखने के पहले ही पंजाब सरकार हमारा पानी हमको नहीं दे रही है। आज हालत यह हो रही है जैसी थोड़े दिनों पहले चर्चा हुई कि हमारे गंगानगर की सारी फसलें सूख रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है जो श्वेत पत्र पंजाब सरकार ने 23 जून को प्रकाशित किया है उसमें ऐसे फैक्ट्स दिये हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि फेक्चुअल इनएक्यूरेसीज उसमें हैं। समझौते में कहा गया है कि 1.63 मिलियन एकड़ फीट

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हमको पानी मिलेगा । वह कहते हैं कि एक मिलियन एकड़ फीट पानी होगा। यही बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने पिछली बार कही थी। जो एग्रीमेन्ट का क्लाज 2 है उसके इन्टरप्रिटेशन के बारे में ऐसी भ्रांति खड़ी हो गयी है। स्वयं मुख्य मंत्री जी इतने चिन्तित हैं कि उन्होंने उस बात की चर्चा केदार पाण्डे जी से 15 तारीख को हुई वार्ता में की, श्वेत पत्र का जिक्र किया और कहा कि श्वेत-पत्र को देखने के पश्चात् राजस्थान की जनता में इस प्रकार का भ्रम पैदा हो गया है। एक तरफ तो बात आ रही है क्लाज 2 के इन्टरप्रिटेशन की, जैसे-जैसे हमारा वाटर पोटेंन्शियल बढ़ता जा रहा है उपयोग करने का वैसे वैसे हमको वाटर मिलता चला जाये किन्तु पंजाब सरकार यह इन्टरप्रिटेशन कर रही है कि जब तक राजस्थान पूरे 1.63 मिलियन एकड़ फीट पानी का पूरा उपयोग करने की स्थिति में नहीं आता है तब तक इससे ज्यादा पानी हम नहीं देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी नहीं हैं दूसरे मंत्री महोदय हैं, निश्चित रूप से जो चर्चा हुई है, माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा करके आये हैं चाहे श्री केदार पाण्डे जी से करके आये हों, चाहे प्रधान मंत्रीजी से करके आये हों, चाहे श्वेत-पत्र के बारे में कम्पलेन्ट करके आये हों, उन सबकी जानकारी आप सदन को दें। सदन को दिये बिना जनता को विश्वास में कैसे लिया जायेगा। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि 6 दिन से उन्होंने अभी दर्शन दिये और दर्शन देकर यह बात तो साबित कर दी कि इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन जिस बात के साथ राजस्थान का हित जुड़ा हुआ है, पानी के लिए गंगानगर जिला और सारा प्रदेश सिसक रहा है, उसके बारे में उनके मन में गम्भीर वेदना होने के बाद वह चर्चा करके अवश्य आये हैं लेकिन वह सदन को कान्फिडेन्स में नहीं लें, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी तो नहीं हैं, आप निश्चित रूप से आज ही बतायें कि क्या बात हुई है, उन्होंने कौनसी चिन्ता प्रकट की, प्रधान मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, केदार पाण्डे ने क्या आश्वासन दिया...

श्री अध्यक्ष : समझ गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या उनके मन में शंका पैदा हो गयी। कुछ भी समझौता हो गया लेकिन जब तक हैड वर्क्स बी. बी. एम. बी. के कब्जे में नहीं आयेंगे तब तक पानी कम से कम मिल नहीं सकता। यह जो चिन्ता प्रकट की है यह कम से कम सदन के समक्ष रखें और सदन को विश्वास में लें, मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : इस समस्या के बारे में अन्य माध्यमों से भी हमें सूचना मिली है इसलिए आज ही मैं मुख्य मंत्रीजी से बात करूंगा कि क्या किया जा सकता है। जो कुछ किया जा सकता है उसको करने की कोशिश करेंगे।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : इसी बात के ऊपर मैंने भी स्थगन प्रस्ताव रखा है नियम 127 में।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पठवाली ढाणी, ग्राम चाकसू के बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए प्लाट न देने के विषय में,

(2) श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री राम सिन्टेक्स डूंगरपुर में गत 27 जून को मैनेजमेन्ट द्वारा मजदूर कालोनी पर किये गये कथित हमले के सम्बन्ध में,

(3) सर्वश्री रेघराज तावड़, बहादुरसिंह, उम्मेदसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गत मार्च में रिश्वत लेने के सम्बन्ध में,

(4) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की लाडपुरा तहसील के कुछ क्षेत्रों में खनिज विभाग द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं के विषय में,

(5) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा पीपल्दा क्षेत्र के चन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत खुला सट्टा होने के विषय में,

(6) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उप विकास आयुक्त, राजस्थान द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरणों को निरस्त करने के विषय में,

(7) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के केचमेंट के कार्यों में भारी अनियमितताएं होने के विषय में,

(8) सर्वश्री राजबहादुर, यदुनाथ सिंह, कमलेन्द्रसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावी-व्यास समझौतें का पंजाब द्वारा उल्लंघन और मुख्य मंत्रीजी द्वारा विरोध प्रकट करने के विषय में,

(9) श्री हाजी चाव खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर तहसील बौंली में मोरेल बांध के टूटने से हजारों एकड़ जमीन बरबाद होने के विषय में,

(10) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से भण्डारी बांध, सिंचाई उपखण्ड की जमीन को जोतने के अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में,

(11) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य; विधान सभा की ओर से गत 26 अगस्त को गंगापोल, जयपुर स्थित एक शराब की दुकान पर झगड़ा हो जाने के विषय में,

(12) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा की लेबर कालोनी में कार्यरत श्रमिकों को लीज पर जमीन न दिये जाने के विषय में,

(13) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से मोजा तुरकिया खेड़ा, तहसील रेलमगरा जिला उदयपुर में

(५)

(श्री अध्यक्ष)
46 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(14) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर उप खण्ड में जंगली जानवरों द्वारा फसलें नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में,

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा, जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(15) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आगामी 20 सितम्बर को सूरतगढ़ क्षेत्र में किसानों द्वारा डिपरेशन नम्बर 15 की पक्की दीवार से पानी के रिसाव के कारण तोड़ने से उत्पन्न होने वाली स्थिति के विषय में,

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने मे असमर्थ हूं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों से प्राप्त कुछ अन्य प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है :

(1) श्री हरीश शर्मा
(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया
(3) श्री देवीसिंह भाटी
(4) श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर
(5) श्री दाऊदयाल जोशी
(6) श्री महावीर प्रसाद, श्री छीतरमल आर्य, श्री भंवर लाल शर्मा
(7) श्री मेघराज तावड़
(8) श्री हीरालाल आर्य

अब मैं माननीय ललित किशोर जी...

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा..

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया था राज्य सरकार से जवाब आ गया है तो उसके बारे में क्या कहना है, उस पर क्या निर्णय है? हम क्या बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उस पर बोलेंगे नहीं, मैं निर्णय दूंगा। वे लेट प्राप्त हुए थे इसलिये मैं उनका अध्ययन पूरा कर नहीं सका। उनके सम्बन्ध में मैं अपनी व्यवस्था सोमवार को दूंगा।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर जो एडजोर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव आते हैं उन पर या तो रिपोर्ट मांग लेते हैं या उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। यह जो मैंने प्रस्ताव रखा है रावी-व्यास के सम्बन्ध में, यह उस श्रेणी का नहीं है कि मामूली तौर से रिजेक्ट करके खतम कर दिया जाय। यह जिनाइन है, रेलेवेन्ट मोशन है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो सभी एडजोर्नमेंट मोशन्स को डिनाइड मानकर चलता हूं लेकिन सरकार से जानकारी तो लेनी पड़ेगी...

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : सारी कार्यवाही स्थगित करके भी चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हां, स्थगन प्रस्ताव का यही उद्देश्य होता है।

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : यह नहीं आता है तो फिर कौनसा आयेगा। सारे राजस्थान का भविष्य इस पर आधारित है। जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें सभी साइड न सुनें उससे पहले से ही उल्लंघन हो जाय, अवहेलना हो जाय··

श्री अध्यक्ष : सभी स्थगन प्रस्ताव महत्व के होते हैं लेकिन सरकार से जानकारी तो लेनी पड़ती है..

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी प्रोटेस्ट करें उस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं हो, इससे ज्यादा भयंकर ट्रेजेडी और क्या राजस्थान के लिये हो सकती है। मैं प्रार्थना करूंगा, यह मेरा पाइन्ट आफ ऑर्डर है। जो रेलेवेन्ट क्लाजेज हैं, रूल्स हैं उनके अन्तर्गत यह आता है। मेरा निवेदन है कि इसको उसी विधि से लें जिस विधि से आप एडजोर्नमेंट मोशन को लेते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा इसके महत्व का मैं बखान नहीं कर सकता हूं। यह आप समझते हैं कि कितना भयंकर कुठाराघात हो रहा है राजस्थान के हितों पर···

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने पूर्व में व्यवस्था दे दी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस विषय पर बात करूंगा फिर उसके बाद में जो कुछ हो सकता है···

श्री राज बहादुर : यह अर्थ निकलता नहीं है रूल 127 का। पिछले सैशन में भी रावी-व्यास के समझौते पर चर्चा नहीं हो सकी, डिस्कशन नहीं हो सका। ऐटरेन्डम कह दिया, वह बात अलग है...

श्री अध्यक्ष : ऐटरेन्डम नहीं हो, इसीलिये मैंने यह व्यवस्था दी है कि सरकार से जानकारी ले लूं। मैं निजी रूप से बात कर लूंगा। उसके बाद में विषय के महत्व को समझते हुए कोई व्यवस्था करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। सूरतगढ़ क्षेत्र के किसानों में असन्तोष के बारे में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को···

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, क्या आप यह उचित समझते हैं कि विधान सभा में मन्त्री स्तर का एक व्यक्ति भी 11.00 बजे तक उपस्थित नहीं हो?

श्री अध्यक्ष : यहां पर मन्त्रियों की परिभाषा ··

श्री भैंरोंसिह शेखावत : यह परिभाषा तो छोड़िये। आपकी गरिमा है, सदन की भी गरिमा है। परिभाषा हम भी जानते हैं और आप भी जानते है, यह कोई नई नहीं है। क्या आप उचित समझते हैं इस हाउस की गरिमा के लिये कि यहां कोई मन्त्री उपस्थित नहीं हो ? यह वाजिब है क्या ?

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह तो मैं समझ गया।

एक माननीय सदस्य : आपके लिये भाटी जी ही बहुत हैं।

श्री भैंरोंसिह शेखावत : भाटी साहब से मुझे कोई सम्बन्ध करना है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक का भी पद है, वे केबिनेट रेन्क के होते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री देवीसिह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर माननीय चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं उस पर आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार से वक्तव्य दिलवायेंगे। मैं चाहूंगा यदि वक्तव्य दिया जाय तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि सूरतगढ़ में किसान कल की तारीख के अन्दर बान्ध तोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय चतुर्वेदी जी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले हैं, वे मेरी व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दिया है। मैंने जो कल दिया था, उस पर व्यवस्था दी थी। कल आप फर्मा रहे थे....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में एक भयंकर चेतावनी के रूप में किसानों ने जो बिगुल बजाया है, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, घग्घर बांध नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत जिन 18 कृत्रिम झीलों का निर्माण हुआ था उन झीलों में घग्घर परियोजना का पानी तो आ जाता है लेकिन पानी के रिसाव के कारण 40 हजार बीघा जमीन सूरतगढ़ तहसील की बिलकुल बेकार हो गई है। शनैः शनैः स्थिति ऐसी आ गई है कि उस सारे क्षेत्र के किसान इतना गेहूं भी पैदा नहीं कर पाते हैं कि वे अपना पेट भर सकें। अध्यक्ष महोदय, जब से कृत्रिम झीलें बनीं हैं उसके दो-तीन वर्ष के बाद से ही पानी के रिसाव के कारण किशनपुरा नाम का जो गांव है वह तो समूल नष्ट हो गया, उसके साथ बड़ोपल, मानकथेली और रंगमहल ये तीनों गांवों के मकानों की भी स्थिति यह हो गई है कि आदमी जब रोटी पकाने लगता है, रोटी पकाने के लिये जब चूल्हे पर हाथ लगाता है तो वहां पानी निकल आता है। वाटर लोगिंग की इस प्रकार की स्थिति है। चित्र छपे हैं अखबारों में कि जो मकान हैं और गांव हैं उनके पास पानी इकट्ठा हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में जिप्सम की पर्त है और जिप्सम की पर्त होने से पानी नीचे परकोलेट नहीं होता है, वह रिसाव करता है और रिसाव करने के कारण नमक क्षरीय जैसी स्थिति हो गई है और सारा गांव बदबू से भरा पड़ा है। लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। एक ओर तो खेती की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

व्यवस्था यह है दूसरी ओर गांव की स्थिति पानी के निरन्तर बने रहने से दलदल जैसी बन गई है। पिछले कई दिनों से हजारों पशु पानी देखकर पानी पीने जाते हैं तो फंस जाते हैं और उनका प्राणान्त हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों की तरफ से पिछले दो-ढाई साल पहले ऐसा प्रयत्न हुआ था कि थोड़ी सी सहायता मकानों के लिये दी जाय और उनको दूसरे स्थान पर ले जाया जाय। एक योजना और बनी थी कि डिप्रेशन से पानी को और किसी स्थान पर ले जाया जाय लेकिन वह योजना पूरी नहीं होने से अगस्त के महीने से सारे किसानों ने बिगुल बजा दिया सूरतगढ़ तहसील के बाहर, पंचायत समिति के बाहर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और क्रमिक अनशन कर रहे हैं। 5 सितम्बर को उन्होंने इकट्ठे होकर एक बड़ा जलसा किया और यह फैसला किया कि जो 15 कृत्रिम झीलें हैं उनमें से पन्द्रहवीं झील पर जो पक्का बांध बना हुआ है, उस बांध को वे तोड़ देंगे ताकि पानी निकल कर चला जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह स्थिति पैदा हो गई है इसके निराकरण के दो उपाय हो सकते हैं, एक तो कुछ दूरगामी उपाय किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इतनी ही बात नहीं है कि घग्घर परियोजना के पानी से जो रिसाव होता है उस पर नियन्त्रण किया जाय, किन्तु जो कृत्रिम झीलें हैं उनका ठेका दिया जाता है मछली पकड़ने का। घग्घर परियोजना का जो पानी है वह तो धीरे धीरे कम होता चला जाता है किन्तु वे ठेकेदार भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर तलवाड़ा के पास बुर्जी है उसमें से पानी छुड़वा देते हैं। राजस्थान केनाल का पानी छोड़ा जाता है वह पानी गड्ढों में डाल देते हैं, पानी डालने का प्रयोजन यह है कि मछलियां और मिल जायेंगी। घग्घर का पानी आता है वह धीरे धीरे सूख जाता है और वाटर लोगिंग व सीपेज थोड़ा कम हो जाता है लेकिन ये ठेकेदार भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर पानी छुड़वा कर भरवा देते हैं। मछली पकड़ने के नाम पर वहां के लोगों का जन जीवन समाप्त कर रखा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 20 तारीख की चेतावनी उन्होंने दी है, 19 तारीख का रविवार है। परसों इस प्रकार की स्थिति नहीं बने, उसके लिये मैं चाहता हूं, सिंचाई मंत्री महोदय वहां जायं, और लोगों को बुलायें। आत्मा रामजी वहां की संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। आज के 25 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी है। कोई जवाब नहीं मिला उसका। वे चाहते हैं, राज्य सरकार विचार करे कि दूरगामी समस्या को कैसे हल किया जावे। कम से कम भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले वहां से किये जावें और इस समस्या को हल किया जावे ताकि इस प्रकार की समस्या नहीं बने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि हैं नहीं, भगवान की दया से कोई केबिनेट मंत्री यहां नहीं हैं, सिंचाई मंत्रीजी होते तो उनको वहां के लोगों की हालत बताता। मैं कहना चाहता था कि किसी प्रतिनिधि को भेजते, राज्य सरकार का कोई भी सचिव या कोई अन्य व्यक्ति जाकर उनकी बात सुनता।' मैं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आपसे अपील करता हूं कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी, मंत्री महोदय विधान सभा के कारण न जा सके तो यहां से किसी और को भेजा जावे। उस संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठा जावे, उनसे बातचीत की जावे और शांतिपूर्ण तरीके से कौन सा हल किया जा सकता है, वह हल निकाला जाय। यह नहीं होगा तो परिणाम खराब होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि 11 जगह से एम.एल.एज. बी.जे.पी. के जीत गए इससे आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ गंगानगर का एजीटेशन हो रहा है, दूसरी तरफ बडोलपुर का एजीटेशन शुरू हो गया और तीसरी तरफ गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल से पानी नहीं मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं। ऐसा राजनैतिक अत्याचार क्यों कर रहे हैं ? इसका कुछ हल करिये, राज्य सरकार के माध्यम से हल करिये। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय, आप इस पर कृपापूर्वक विचार करियेगा। कल मैने स्थगन प्रस्ताव दिया, आपने गम्भीरता से लिया और उस पर व्यवस्था दी कि उस पर सरकार से वक्तव्य दिलायेंगे। उन्होंने नोटिस दे रखा है वह 20 तारीख का है। आज 18 तारीख हो गई है। मैं चाहूंगा, आप सरकार को निर्देश दें कि आज के आज दिन जो उनको जानकारी करनी हो, जो जानकारी लेनी हो वह ले करके आज ही वक्तव्य दें वरना 20 तारीख को सूरतगढ़ के अन्दर खून-खराबा होगा, जुलूस "निकलेगा, प्रदर्शन होंगे और बांध को तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से सैंकड़ों आदमी जान से मारे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : इतनी अल्प समयावधि में उन्होंने क्योंकि कोई नोटिस दे दिया है इसलिये यहां पर सभी सूचनायें उपलब्ध करवा दी जायं, यह सम्भव नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण समस्या है इसलिये इस सम्बन्ध में कोई न कोई उचित व्यवस्था मैं अपनी ओर से करने की कोशिश करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : कृपया आज ही करवा दें....

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पांच दिनों से यह विषय आ रहा है। अलग अलग सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने मेरी मजबूरी आप से अर्ज कर दी। मैं आज ही मंगवा कर देखता हूं कि इसमें क्या कर सकता हूं।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री रामपाल उपाध्याय, राज्य मंत्री, सहकारिता को दिनांक 6 सितम्बर, 1982 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामपाल उपाध्याय, राज्य मंत्री, सहकारिता ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 6 सितम्बर, 1982 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनु-

(श्री अध्यक्ष)
पस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य। कैथून जिला कोटा में पुलिस की पिटाई से श्री हुकमचन्द बैरवा की मृत्यु के बारे में।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अभी, आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोडा: जो स्थगन प्रस्ताव थे आज के उन पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: यह 'व्यवस्था' का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्या को समय पर आना चाहिए था। जिन माननीय सदस्यों ने आज स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे उनके सम्बन्ध में मैंने अपनी व्यवस्था सुना दी है। विशेष जानकारी लेना चाहें तो आप कुछ समय पश्चात् मुझ से मिल सकती हैं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी तकलीफ बता-दें। व्यवस्था का प्रश्न उठाना बड़ा कठिन कार्य है।

श्री मेघराज तावड़: तकलीफ यह है, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर चार दिनों से बन्द है। कल त्रिलोकसिंह जी ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस पर आपने कहा कि गवर्नमेंट से जानकारी चाही है। वहां स्थिति यह हो रही है कि दो सौ आदमी अभी भी गिरफ्तार हैं और लाठी चार्ज चल रहा है। पुलिस ने घेरा डाल रखा है और कन्टीन्युअस गिरफ्तारियां दे रहे हैं लोग। ऐसा नहीं हो कि वहां खून खराबा हो जावे।

श्री अध्यक्ष: कल मैंने वायदा किया था, मुख्य मंत्री जी आज पधारेंगे अथवा मैं बुला लूंगा, उनसे बात कर लूंगा कि क्या किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी हो सकेगा, करने की कोशिश करूंगा, माननीय सदस्य।

शासकीय वक्तव्य

कैथून जिला कोटा में पुलिस द्वारा पिटाई से श्री हुकम चन्द बैरवा की मृत्यु

मंत्री जी द्वारा वक्तव्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से निवेदन है कि श्री मखनाराम निवासी राजेनगर कालोनी जाति भील कोटा ने दिनांक 14-7-82 को थाना उद्योग नगर कोटा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसने यह आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बसन्ती को हुकुमचन्द और रामकुमार भगा कर ले गये हैं। इस पर थाना उद्योग नगर कोटा में अभियोग पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस अभियोग में अन्वेषण चल ही रहा था कि दिनांक 8-8-82 को थाना कैथून के अन्तर्गत गांव

(१०)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कियोड़े के एक कुए से एक महिला की डीकम्पोज्ड लाश मिली जिसे श्री मखनाराम ने अपनी पत्नी होना स्वीकृत किया। डाक्टरी जांच में इस महिला की गला घोट कर मृत्यु होना पाया गया है। इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर कैथून थाने में एक अभियोग संख्या 92/82 धारा 302 आई. पी. सी. के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। चूंकि श्री मखनाराम ने दिनांक 14-7-82 की रिपोर्ट में अपनी पत्नी के अपहरण का आरोप हुकुमचन्द पर लगाया था अतः उसे दिनांक 13-8-82 एवं 15-8-82 को थाना कैथून पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिनांक 15-8-82 को श्री हुकुमचन्द ने दिन के करीब एक बजे अपने सीने में दर्द होने की शिकायत की। उस पर पुलिस थाने के सामने के एक प्राइवेट डाक्टर को बुला कर तुरन्त दिखाया गया। उसकी सलाह पर श्री हुकुमचन्द को तत्काल प्राइमरी हैल्थ सैंटर कैथून में भर्ती कराया गया। प्राइमरी हैल्थ सैंटर में किये गये उपचार के बावजूद भी उसकी मृत्यु थोड़ी देर पश्चात् हो गई। श्री हुकुमचन्द की मृत्यु का समाचार तत्काल एस. डी. एम. कोटा को देकर उनसे 176 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत जांच करने हेतु निवेदन किया गया। एस. डी. एम. ने उसी दिन मौके पर पहुंच कर शव का पोस्ट मार्टम कराया तथा जांच आरम्भ की। पोस्टमार्टम के पश्चात् हुकुमचन्द का शव उसके भाई प्रभाती को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार श्री हुकुमचन्द की मृत्यु दिल की बीमारी से होना पाया गया। धारा 176 सीआर. पी. सी. के अन्तर्गत अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने पर जो भी दोषी व्यक्ति अगर पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

जो सारी घटना का जिक्र ...

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : एक तो पहले ही है, गृह मंत्री जी, अब दूसरा कलंक और मंड रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घटना का विवरण मंत्री महोदय ने यहां किया है, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि यह तथ्यों से एकदम परे है। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। वहां की पुलिस तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है जिसमें एस. डी. एम. सुश्री ओलक भी शामिल हैं। जो जांच अधिकारी भी हैं, वे स्वयं भी इसमें इन्वोल्व हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, हुकुमचन्द बैरवा अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। माननीय मंत्री महोदय ने घटना का एक प्रकार से विवरण बता दिया और कहा कि 176 के मुकदमे में इसकी इन्क्वायरी हो रही है। सुश्री ओलक कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जरा वे बतायें, जैसा उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई को लाश दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका छोटा भाई भी गिरफ्तारी में था, 15 तारीख को केवल हुकुमचन्द बैरवा ही नहीं उसका भाई प्रभाती

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लाल, नकी देवी और एक और व्यक्ति ये चारों के चारों गिरफ्तार थे। इन चारों की पिटाई 13 तारीख से 15 तारीख तक लगातार की गई है। एक व्यक्ति तो मर गया। इन तीन व्यक्तियों को पुलिस ने आठ दिन हो गए आज तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनके घावों को लोग देख लेंगे, उनकी पिटाई को लोग देख लेंगे। लगातार वृहद पेपर बता रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है। आपने कहा कि दोषी लोगों की जांच की जाएगी किन्तु पुलिस ने उन आदमियों को छुपा कर रखा था जिनको बुरी तरह से पीटा। प्रभातीलाल के 15 तारीख की रात के अन्धेरे में श्रीमती ओलक की प्रजेंस में लाश को देने का पंचनामा बना कर हस्ताक्षर करा लिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा वे अभी भी बतावें कि उनकी लाश को कहां जलाया गया ? न कैथून में जली है न कोटा में जली है। प्रभातीलाल को पता होने का सवाल नहीं, वह तो जेल मे था। उसके दस्तखत करवा लिए गए थे पंचनामे पर। जो पिटता है लगातार उसकी क्या हालत होती है। उसने स्वयं ने जो कहा है उसका जवाब सुश्री ओलक के पास नहीं है, वहां के पुलिस अधिकारियों के पास नहीं है, कलेक्टर के पास नहीं है और मंत्रीजी के पास भी नहीं है। वह पचनामे में खुद शामिल थीं। वह चाहती थीं कि पुलिस के लोगों को बचाया जाय। इस प्रकार की साजिश लगातार कर रहे हैं। आप 176 की इन्क्वायरी का जिक्र कर रहे हैं। कोटा और राजस्थान के अखबार हुकुम चन्द बैरवा की मृत्यु के बारे में जागरूक हैं। 176 की जांच उनके द्वारा चलायी जा रही है और लगातार लोगों ने पत्र देकर पूछा है कि आप वहां बैठे इन्क्वायरी कर रहे हैं, वह कोटा में बैठी है, वह नहीं जा सकतीं कैथून में, वह घबराती हैं उनको डर लगता है क्योंकि उनको पता है कि 15 तारीख की सुबह ही हुकुम चन्द बैरवा मर गया, लगातार मार-पीट के कारण। वहां के थानेदार वचन सिंह ने हुकुम चन्द बैरवा को जोर से मारा और मारा ही नहीं, जब उसकी पत्नी उससे 14 तारीख को मिलने के लिए गयी तब उसको उल्टा लटका रखा था। हुकुम चन्द बैरवा उल्टा लटका हुआ था, वहां चक्की का पट्टा पड़ा हुआ था, उस चक्की के पट्टे से उसको लगातार मारा गया था, उसके पैरों और हाथों से खून रिस रहा था, उसकी पत्नी ने जमीन पर खून के धब्बे देखे। मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, जरा इस पर विचार करें। इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाश मिली किथोड़े गांव के कुए में 8–9 तारीख को, उसकी शिनाख्त उसके पति मखना राम ने कर ली। उसके पति ने शिनाख्त कर ली कि उसकी पत्नी है किन्तु उसकी पत्नी खुद लौट कर आ गयी 17 तारीख को तब धर्म संकट खड़ा हो गया पुलिस वालो के सामने कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं, मखना राम के विरुद्ध क्या किया, उसने तो शिनाख्त की थी कि उसकी पत्नी मरी थी। मै कहना चाहता हूं, हमारे वहां से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव मूव किया है, दूसरे हमारे विधायक दौसा के निवासी है वह वर्णन करेंगे कि उसकी मां मर गयी थी इसलिए हुकुम चन्द बैरवा वहां गया था, एक बार पहले भी गया था। आप आश्चर्य करेंगे कि महिला 17 तारीख को मिल गयी, पहले तो यह कह दिया लेकिन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :

पुलिस ने उसको भी गायब कर दिया, नारी-शाला में रखने के नाम से किसी से मिलने नहीं दिया और पुलिस की कस्टडी में 164 का बयान कराया। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप उसको बुला लीजिए, वह कहेगी कि जबरदस्ती के कारण 164 में बयान दिया। 164 के बयान के बारे में आगे कहूंगा किन्तु आप कहते हैं कि 164 में बयान दिया कि वह उड़ाकर ले गया था, थोड़ी देर को मैं मान लेता हूं कि वह उडाकर ले गया था तो भी क्या पुलिस वालों को यह अधिकार है कि इस प्रकार मार-मार कर उसकी जान ले ले। इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी और जब महिला सामने आ गयी तब धर्म संकट खड़ा हो गया। धर्म संकट का मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कोटा के संसद सदस्य ने कहा, कोटा में आन्दोलन हो रहा है, जगह-जगह पुतले जलाये जा रहे हैं और 176 की इन्क्वायरी अभी तक सुश्री ओलक के द्वारा चल रही है। आप घबराते क्यों हैं ? क्या जरूरत है इस इन्क्वायरी की ? मैं तो मांग करता हूं सी. बी. आई. से इसकी जांच की व्यवस्था करें। सारे पुलिस अधिकारी, कोटा का प्रशासन इसमें संयुक्त रूप से मिला हुआ है। जिस हरिजन की मौत पुलिस के थाने में हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होने कहा कि हमने तो उसे केवल पूछताछ के लिए बुलाया था। एक बजे उसके दर्द शुरू हो गया। जरा बतायें कि दर्द शुरू हो गया और आप उसको कैथून के थाने में ले गये तो कौन सी बोतल चढ़ायी गयी ? क्या बोतल थाने में है ? अगर नहीं तो किस मेडिकल स्टोर से खरीदी गयी ? एक बात बतायें, मेडिकल स्टोर से बोतल नहीं खरीदी गयी तो सामान्य सी बात है, 14 किलोमीटर पर कोटा है, 9 मील पर, अगर दिल में दर्द शुरू हो गया, हार्ट अटेक का अंदेशा था तो क्या थाने में रखा जायेगा ? उसके मरने की स्टोरी गढ़ी है इन्होंने। एक दवा का प्रयोग नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सारी बात में इस डाक्टर को भी दबाया गया है। सुश्री ओलक ने कहा कि आप इस प्रकार का बयान दो, राज्य कर्मचारी इसमें सारे फंस रहे हैं। यह बात मैं मानता हूं कि पिछले दिनों वहां के एस. पी. और एडीशनल एस. पी. के कारण लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन कोटा की बहुत अच्छी हुई है किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि एक गरीब, निरीह की मौत हो जाय और मर जाय तो बचन सिंह थानेदार को बचाने के लिए, जिन लोगों ने मारा है उनको बचाने के लिए लगातार कोशिश की जाय, सारी बातों पर पर्दा डाला जाय। मैं आरोप लगाता हूं कोटा का सारा प्रशासन, कोटा का सारा पुलिस विभाग उस हत्या को छिपाने का पूरा षड़यन्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक कर रहा है। आप यहां का पुलिस आफिसर भेज दीजिए, मैने दो नाम बताये हैं, आप कहते हैं 176 की इन्क्वायरी हो रही है। कैथून थाने में मृत्यु हो गयी तो एस. डी. एम. कोटा सुश्री ओलक लगी हुई है उनसे इन्क्वायरी कराने का मतलब क्या है ? आप दूसरी एजेन्सी से केस की इन्क्वायरी कराइये, मैं मांग करता हूं सी. बी. आई. से इन्क्वायरी कराइये डरते क्यों है ? दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं इसमें सारे पुलिस विभाग को कान्फीडेन्स में लिया है सिर्फ इसलिये कि पुलिस अधिकारी को बचाया जाय। केस की छानबीन अच्छी तरह न करें और ऐसा गोलमाल अगर छोटा सा वक्तव्य पढ़

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
दिया जाय जिसमें कोई बात न हो, यह उचित नहीं है। पिछले एक महीने से 15 अगस्त से यह घटना चलती रही फिर भी इस प्रकार का वक्तव्य मन्त्री महोदय दें और कहें 176 की इन्क्वायरी के लिए हमने सुश्री ओलक को लगा रखा है। मैं कहना चाहता हूं उसको एकदम बदलिये। रात के अंधेरे में, मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने गवाह पेश करना चाहता हूं जो पंचनामे का गवाह है, मैं नाम तो नहीं बताना चाहता लेकिन वह आकर कहेगा, जबरदस्ती बयान करवाया, सुश्री ओलक वहां उपस्थित थीं, थानेदार वचन सिंह उपस्थित था। कैथून का कोई भी पंचनामे में नहीं है। पंचनामे में कहां है पास के गांव के लोग? एक ओर हरिजन भाई हैं पहले तो वह पुलिस के दबाव में दब गये। अब कहते हैं कि पंचनामे के लोगों को बुलाया जाय। आप किसी को कान्फिडेन्स में लो तो मालूम होगा कि किस प्रकार लीपापोती सारी घटना में की जा रही है। एक हरिजन की मृत्यु राजस्थान में हो गई है, मन्त्री महोदय ने तय कर रखा है हरिजन मरता है तो मरता रहे, पुलिस को प्रोटेक्शन किसी तरह भी लगातार देते चले जायेंगे। यह प्रवृत्ति उन्होंने अपना ली है। एक के बाद एक घटना राजस्थान की विधान सभा में आ रही है तो राजस्थान के मन्त्री महोदय, आप बार बार घबराते क्यों हैं, आपको सी. बी. आई. से जांच कराने में क्या तकलीफ हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महादेव सिंह की तो सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जरा बतायें तो सही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस सारी घटना के गवाहों को आपके पास ला सकता हूं जो आपको सही स्थिति बतायेंगे। आप डरते क्यों हैं, वह आपको बतायेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। आप सी. बी. आई. से जांच कराएं, वह भी केन्द्रीय सरकार की एजेन्सी है। लगातार हरिजन समाज में, बैरवा समाज में भावना पैदा होती चली जा रही है, इस प्रकार की राजस्थान में स्थिति है, चाहे भरतपुर की घटना हो, चाहे कोटा की घटना हो और चाहे गंगानगर की घटना हो, उससे क्लियर कट भावना यह बन रही है कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर नहीं है, विशेषकर हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और राजस्थान की अक्षम सरकार उन सारे केसेज को निकालने के पीछे बिल्कुल अक्षम है, अयोग्य है। मैं चाहता हूं, मन्त्री महोदय जरा हिम्मत से कहें कि सी.बी.आई. से जांच करायेंगे। पुलिस के दो नाम मैंने बताये हैं उनके कारण सी.बी.आई. से जांच करने को सरकार नहीं भेजेगी, 176 की जांच उन्हीं के द्वारा करवायेगी जो इन्वाल्व हैं। मन्त्री महोदय, आप अन्याय के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप अन्याय कर रहे हैं। अन्याय की सारी भूमिका बना रहे हैं। 176 की इन्क्वायरी हो जायेगी उससे दोषी सामने नहीं आयेंगे। आप सी.बी.आई. से केस की इन्क्वायरी कराइये और सबका पर्दाफाश होने दीजिए, जो मर गया है, उसकी मृत्यु का कारण किसी को तो बनने दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि हम लोग बड़े एजीटेटेड हैं, सारा कोटा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

एजीटेटेड है, वहां का हरिजन समाज एजीटेटेड है। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी बताया कि इसके कारण कितनी तीखी प्रतिक्रिया है बैरवा समाज की क्योंकि वहां के रहने वाले के साथ हुआ है। मेरी अपील है कि सी. बी. आई. से जांच कराइये। बचन सिंह थानेदार का ट्रांसफर कर दिया केवल। जिसने अपराध किया है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता। आपने तो स्टोरी बना ली है और जो फैक्ट्स हैं उनको टैम्पर किया जा रहा है। श्री कृष्ण कुमार गोयल, संसद सदस्य गये एस. पी. के पास, एडीशनल एस.पी. के पास, जिलाधीश के पास और कहा कि हमको पेपर तो बताओ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेडिकल रिपोर्ट मांगने की एप्लीकेशन वहां के लोगों ने थानेदार विनोद शर्मा को दी तो उसने कहा कि आप एस.डी.ओ. से लिखवाकर लाओ कि मैं रिपोर्ट की कापी दूं कि नहीं। क्या हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय? ऐसा तो कहीं होता नहीं। मेडिकल रिपोर्ट उस डाक्टर ने दी है जो 15 किलोमीटर दूर कोटा में है, उसमें पोस्ट मार्टम का जिक्र नहीं है, दवाओं का जिक्र नहीं है। सब प्रकार से पेपर्स को बदलने की साजिश की जा रही है। मैं चाहता हूं कि सारे पेपर्स को सील किया जाय। अभी बहुत देर नहीं हुई है, इसमें बड़ा लेकुना है इसलिये सी. बी. आई. से जांच करायें। 176 में जांच करने के लिये सुश्री औलक को लगाया है उसको अभी हटायें वरना वह सब पेपर्स बदलकर विषम स्थिति पैदा कर देंगी। मैं जानता हूं कि सिटी मजिस्ट्रेट है, मैं जानता हूं एस.डी.एम. है, नारी की बात कह कर आपने मुझे प्रभावित करने की कोशिश की थी किन्तु मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं, यह केस ऐसा है, इस प्रकार का है जो राज्य सरकार की आंखें खोलने वाला है। आप दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि लाश मिल जाय, शिनाख्त भी हो जाय और बाद में कह दिया जाय कि वह जिन्दा है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अपील करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊ दयाल।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन सारा देश आजादी की पैंतीसवीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा था उसी रात, 14 की रात के 12 बजे से लेकर 15 की सुबह के 7 बजे तक चक्की के पट्टे से हुकुम चन्द बैरवा की पुलिस थाने कैथून में पिटाई की जा रही थी। इस बात की ताकीद की थी··

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो तथ्य सदन के समक्ष आ गये हैं··

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं वह रिपीट नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : उनकी पुनरावृति करने की आवश्यकता नहीं, नयी बातें कहें, तारीख ये सारी···

श्री दाऊ दयाल जोशी : उनको बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहा हूं।

माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि हुकुम चन्द बैरवा को बसन्ती हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। हुकुम चन्द बैरवा के साथ साथ 4 व्यक्ति और पुलिस थाने में

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

लाये गये। एक आदमी प्रभाती लाल उसका छोटा भाई है जिसके लिए कहते हैं कि उसके भाई को लाश संभलाई, यह बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। प्रभातीलाल के झूठे दस्तखत कराकर प्रभातीलाल को नौ दिन बाद दौसा ले जाकर पुलिस ने छोड़ा। तीसरा रामकुमार और नटी बाई। चौथा शासन। रामकुमार और नटी बाई, जिन्हें पुलिस ने जाली फंसाया था, ने जमानत देने के बाद पांच तारीख को राजस्थान पत्रिका में स्टेटमेंट दिया है। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा है रामकुमार और नटी बाई, जिन पर बसन्ती बाई के अपहरण और बलात्कार के आरोप की कहानी गढ़ी है, ने पत्रिका को बताया है कि कैथून के थानेदार बजरंगसिंह ने उसकी पत्नी नटी बाई को बेरहमी से पीटा। पुलिस वाले इन्हें घंटों तक यातना देते रहे और जननांगों में मिर्ची भरने की धमकी देते रहे। रामकुमार ने बताया कि 14 अगस्त की रात को ढाई बजे करीब उसने हुकुमचन्द को थानेदार बजरंगसिंह के घर पर देखा था। उसका घर थाने से लगा हुआ है जहां पर उसके दोनों हाथ कड़े से बांध कर उसको उल्टा लटका रखा था। मृतक हुकुम चन्द के हाथ पैरों की अंगुलियों की पोरों से खून बह रहा था जिसके कारण फर्श लाल हो गया था। रामकुमार ने बताया कि उस समय मृतक हुकुम चन्द लगातार पानी पिलाओ, पानी पिलाओ की गुहार मचा रहा था। उसे दो रोज से पीने का पानी नहीं दिया गया था। तब कैथून के थानेदार बजरंगसिंह ने रामकुमार को लात जमा कर कहा था कि बसन्ती की हत्या के बारे में सच सच बता दे अन्यथा तेरी भी ऐसी हालत कर दूंगा। इसके बाद हुकुम चन्द का क्या हुआ, इसका रामकुमार को कोई पता नहीं है।

इन चार व्यक्तियों को हुकुम चन्द के साथ गिरफ्तार किया गया है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, यह बात तो कहना ही चाहता हूं साथ ही मैं आपसे पांच प्रश्न पूछना चाहता हूं। बसन्ती भाई जिन्दा आ गई तारीख 17 को, वह अपने पिता के पास गई थी, बांसवाड़ा के पास एक गांव है उस गांव में। वह जब लौटकर आई तो बस्ती में गयी, लोगों ने कहा डाकन आ गई, डाकन आ गई। बसन्ती तो मर गई थी, तो लोग एकदम चौंक गये। हुकुमसिंह नाम के एक सरदार ने उसको पकड़ा और पकड़-कर के कलैक्टर साहब के पास ले गया। साहब, हुकुमचन्द को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था वह मर भी गया बताते हैं। श्री मखनाराम की औरत तो यहां आ गई। कलेक्टर साहब ने कहा, मैं क्या करूं। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। वह नवज्योति के सम्पादक के पास ले गये। नवज्योति अखबार में बाकायदा छापा हुआ है। दिनेश दुबे नामक पत्रकार ने उसके बयान दर्ज किये जो नवज्योति में फोटो सहित प्रकाशित हुए हैं। उसने बयान दिया है मुझे . . .

(व्यवधान)

और मेरा पति दोनों मारते थे, मैं मार के डर से मेरे पीहर चली गई थी वहां से लौट कर आ गई। दूसरे दिन उसको पुलिस पकड़कर थाने ले गई। थाने में जाकर उसके

(16)

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

बयान दर्ज किये और दूसरी प्रकार की स्टोरी गढ़ ली गई। सारे कागजात गायब कर दिये गये। कृष्ण कुमार गोयल ने थाने में जाकर पूछा, भाई, हुकुमचन्द के कागजात कहां हैं ? तो थाने में कहा गया, यहां कोई फाइल नहीं है। पूछा, कहां गई ? कोटा। पूछा, कोटा क्यों गई ? जयपुर थाने के कागजात थे। कोटा से किसलिये वह कागजात आये थे ? आने के बाद कागजात गायब हैं। मेरा प्रश्न है, बसन्ती नहीं मरी तो कौन मरी ? लाश किसकी जलायी? मंत्री महोदय बतायें, क्या आज तक आपकी पुलिस को मालूम है कि बसन्ती के बजाय किस और महिला की लाश को जलवा दिया ? क्या पुलिस ने किसी और महिला के साथ बलात्कार करके, किसी अन्य महिला के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करके उसको कुए में डाल दिया ? बाद में बसन्ती शो करके उसको बाहर निकाल कर हुकुम चन्द की हत्या करवा दी। हुकुम चन्द को जानबूझ कर इसमें फंसाया गया था। मुझे तो डर है, जैसी आम चर्चा है, आपकी पुलिस ने एक नहीं दो अपराध किये हैं। एक तरफ हुकुमचन्द बैरवा की हत्या की है दूसरी तरफ लोगों में चर्चा है कि एक कब्रिस्तान से एक मुसलमानी की लाश निकाल ली और निकालकर कुए में डाल दी। बाद में उसे निकालकर बसन्ती शो कर दिया। पहला मेरा प्रश्न है, बसन्ती जब नहीं मरी तो कौन मरी ? आज तक इसका पता नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न है, जैसा कि आप कहते हैं पहले एक प्राइवेट डाक्टर ने देखा। जिस डाक्टर का नाम अब्दुल हक है, उन्होने देखा, तो क्या दवा दी ? क्या उसका टिकट पुलिस के पास है ? वह दवायें कहां से ली गई थीं ? कितने की दवा ली गई थीं ? उसके बाद गवर्नमेन्ट डिस्पेन्सरी के डाक्टर ने देखा तो उसने क्या दवा दी ? वह तो सुबह सात बजे ही मर गया था जब कि आपने कहा कि एक बजे तक हास्पिटल के डाक्टर को दिखाया। मेरा निवेदन करना यह है कि मरी हुई युवती की लाश की शिनाख्त करने वाले मुकना राम, सिद्दीकी, पन्नालाल ने किस आधार पर बसन्ती की लाश को पहचाना ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि असली बसन्ती को आप बुलायेंगे तो आपको सही बात का पता लगेगा। उसके हाथ पर नाम गोरा है बसन्ती नहीं। यह जो मरी है उसके हाथ पर नाम नहो है जिन लोगों ने जाली तरीके से बसन्ती को पहचाना, क्या पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया ? नहीं किया, तो क्यों नहीं किया ? तीसरा मेरा निवेदन करना यह है कि हुकुम चन्द बैरवा आपकी हिरासत में मरा। जब उस पर बसन्ती का हत्या का आरोप था और बसन्ती की लाश मिल ही गई थी तो क्या हुकुमचन्द बैरवा से भी आपने लाश को पहचानने की कोशिश की, देख नालायक, तूने बसन्ती को मार डाला है, यह है बसन्ती ! चौथा मेरा कहना है, पुलिस से शुरू से जब हुकुम चन्द को उद्योगपुरी थाने में बैठाये रखा था तब रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की ? आप कह रहे हैं कि चौदह तारीख को दर्ज की। मेरा कहना यह है कि 30–6–82 को थाना उद्योगपुरी में पहली रिपोर्ट दर्ज की। दूसरी रिपोर्ट जाली केस बनाने के लिए 14 तारीख को दर्ज की है। पहले वाली रिपोर्ट आपके थाने मे है, जब कि हुकुमचन्द दौसा गया था वहां उसकी मां बीमार थी। वह दौसा का रहने वाला

(श्री दाऊदयाल जोशी)
है, वह जैसे ही कोटा गया, जाते ही पता लगा, उसका नाम सिद्दीकी मोहम्मद ने फंसा रखा है। वह गरीब वहां पहुंचा। आपकी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। उससे कहा, जाओ जाओ कोई बात नहीं है। दुबारा जब गया, उसने कहा, मेरी मां बीमार है, मैं वापस जा रहा हूं तो कहा, कोई बात नहीं है, जाओ। तो वह चला गया। उसकी मां मर गयी और क्रियाकर्म करके 22 दिन बाद जब वह वापस कोटा पहुंचा तो उस गरीब पर यह केस लाद दिया गया। तीसरा मेरा कहना यह है चौथा ...

श्री अध्यक्ष : पांचवां हो गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि हुकुमचन्द के परिवार का पूरा पता इनके पास है। उसकी पत्नी है उसके बच्चे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नकली बसन्ती की लाश कहां जलायी ? कैथून में बसन्ती की लाश जलायी। नकली बसन्ती की जो लाश जलायी उसके लिये कैथून के पुलिस वालों ने चन्दा इकट्ठा किया। अगर वास्तव में मुकना राम की औरत मरी होती तो मुकना राम रहने वाला था डी.सी.एम. कालोनी का। डी. सी. एम. कालोनी में वह लाश को लाता। रोते हुए, छाती कूटते हुए वह उसे श्मशान ले जाता, और श्मशान ले जाकर जलाता। आज भी कैथून के अन्दर नकली बसन्ती की राख पड़ी हुई है। ऐसा कोई भी नालायक व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी पत्नी की राख गंगाजी में नहीं तो कम से कम नदी में न फेंके। सन डे को वह लाश मिली नकली बसन्ती की और असली जो बसन्ती है उसकी यह स्थिति रही ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : रात की बात है। उसकी पत्नी केसर बाई ने शिकायत की जो नवज्योति में प्रकाशित हुई है। केसर बाई ने कहा कि उसके पति को अज्ञात स्थान पर ले जाकर मारा। नकली बसन्ती की लाश नष्ट कर दी। आज दिन तक घर वालों को उसकी राख या अस्थियां नहीं संभलायी। मेरा निवेदन है कि आपने लाश किसको संभलायी ? आपने लाश संभलायी चार मुसलमानों को। उनके नाम है कालीनूर, मोहम्मद हासन ..

श्री अध्यक्ष : इसका मुख्य घटना से कोई संबंध नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, किसी को लाश अगर देंगे तो मोहल्ले वालों को ही संभलायेंगे कि भैया देखो, यह लाश है। वह मुकना राम की औरत नहीं थी। अगर उसकी औरत ..

श्री अध्यक्ष : यह सब की सब बातें, माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि भरतपुर कांड के बाद एक के बाद एक यह चौथा कांड हरिजनों पर अत्याचार का राजस्थान विधान सभा में प्रकट हो रहा है। बी. जे. पी. ने लगातार हरिजनों पर अत्याचार को लेकर धरने दिये, प्रदर्शन किये है। कोटा में आन्दोलन हुए

(18)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जुलूस निकाले हैं। जयपुर के अन्दर आन्दोलन हुए हैं। कोटा ऐसे ही राजस्थान में तीसरे नवम्बर पर उत्तेजित नगरों में एक नगर कहलाता है। वहां कोई बड़ी घटना नहीं घटे, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें सरकार तुरन्त कार्यवाही करे। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से सी.बी.आई. से, सी.बी.आई के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से इस सारे कांड की जांच करायें। यह मेरा आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। काफी समय हो गया। 2-2 मिनट का एक-दो माननीय सदस्यों को टाइम दूंगा।

श्री सोहन लाल बंशीवाल : (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हुकुमचन्द और हरजी दोनों भाई थे। यह टेकेदारी का काम करता था। जिस बसंती की लाश मिली बताई है वह जिन्दा है वह उनके पास काम करती थी। यह काण्ड हुआ उसके पहले हुकुमचन्द की माता मर गई। उसका नुकता करने वह दौसा आया हुआ था। अगर बसंती देवी मरी हुई करार दी गई कुएं में तो क्यों नहीं पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उनके गांव में? 20 दिन बाद जब वह कोटा गये तब क्यों गिरफ्तार किया गया? और गिरफ्तार किया गया तो इतनी मार क्यों लगाई गई? उसकी बीबी कह रही थी कि मुझसे मिलने तक नहीं दिया। उल्टा लटका कर मारा और उसकी लाश का भी पता नहीं।

आपकी सरकार है, अध्यक्ष महोदय, आप लीपापोती कर रहे हैं। एक ही केस नहीं है, एक महावर का लड़का बांदीकुई में, एक भरतपुर में मार दिया गया। मेरे पास तफसील नहीं है। मैं लेकर नहीं आया कागज क्योंकि ध्यान नहीं रहा। क्या हरिजनों से दुश्मनी निकालना चाहती है सरकार। जहां देखो, वहीं हरिजनों के साथ अत्याचार किया जाता है। फिर हुकुमचन्द की बीबी है उसको पुलिस वालों ने कहा बताया, वह कह रही थी कि मुझे पुलिस वाले 20 हजार दे रहे थे और कह रहे थे छोटे भाई प्रभाती के नाम कन्फेस करवा देते हैं, 20 हजार आपको दे देते हैं रोला ना करो। यह रुपया देकर आदमी को मारना चाहते हैं। यह हरिजनों को मारना चाहते हैं। आखिर कोई राज रहा है या नहीं? हर जिले में, हर प्रान्त में जहां देखो वहां हरिजनों पर जैसा अत्याचार हो रहा है वैसा कभी देखा नहीं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस केस में लीपापोती न करें। बांदीकुई, भरतपुर के लोगों में भी आक्रोश है। मैं वहां जाकर आया हूं। कोटा से हुकुमचन्द की वाइफ मेरे पास आई है। उसका बाप जिन्दा है, उसका भाई जिन्दा है वह आज त्राहि त्राहि कर रहे हैं। 2-3 बच्चे बताते हैं। बताओ, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आप लीपापोती कर रहे हैं तो आपकी मर्जी पर हरिजनों में आग भड़क जायेगी तो उसको संभालना मुश्किल हो जायेगा। सारे जिलों में आग भड़क जायेगी। आप या तो न्याय दें वरना आग भड़केगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति को थाने में एफ.आई.आर. लोज कराने का

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

अधिकार है या नहीं। एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये पचासों लोग थाने में गये, एस.पी., कलेक्टर से मिले। यदि पुलिस दोषी नहीं थी तो एफ.आई.आर. लोज न करने का क्या कारण था? एम. एल. ए. और एम. पी. जाकर एफ. आई. आर. दर्ज कराना चाहते हैं फिर भी लोज नहीं की गई, इसका क्या कारण है? क्या यह सच है कि वैरवा समाज के अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस के थानेदार 50 हजार नगद दे रहे हैं कि आन्दोलन मत करो। वहां के वैरवा समाज ने आन्दोलन किया, धरना दिया, डेपुटेशन ले गये और कहा कि हत्या हुई है पर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। क्या यह सच है कि हुकुमचन्द वैरवा के साथ जो चार लोग पकड़े गये उनको रोटी देने के लिये हुकुमचन्द का भाई कैथून थाने में जाता था? कैथून के पांच सौ लोगों ने थाने में देखा है। जब हुकुमचन्द की मृत्यु हो गई तो, अध्यक्ष महोदय, वह स्वयं एम.एल.ए., कलेक्टर, डी. आई. जी. के पास गया और पूछा, चारों आदमी कहां हैं। बोले, हमें पता नहीं। वह चारों आदमी गायब कर दिये गये क्योंकि उनको इतना मारा था कि पांच दिन पहले आ जाते तो मेडिकल रिपोर्ट हो जाती। चारों को छिपा लिया, बताया नहीं। जैसे ही बसंती जिन्दा वापस आई वैसे ही दो आदमियों के उनके खिलाफ बयान कराकर जुडिशियल लाक अप में भेज दिया। वे कहां से आये? प्रभाती को दौसा लाकर 164 में बयान कराया था। अगर दोषी नहीं थे तो दौसा लाकर बयान कराने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? क्या बसंती के हाथ में नाम नहीं लिखा हुआ था जिससे उसका पति पहचान लेता? उसका पति कह रहा है कि मुझ पर दबाव डाल कर यह कहा गया कि तू यह बता कि यह तेरी पत्नी है। अध्यक्ष महोदय, एक ही नहीं पचासों कारण हैं। हुकुमचन्द वैरवा की लाश का पंचनामा कराना चाहिये था कैथून थाने में। कोटा उद्योग. नगरी के जिस थाने में लाये उसके पास ही हुमकुचन्द का घर है। उसकी पत्नी, भाई, बच्चे वहां रहते हैं। उनको लाश की सुपुर्दगी नहीं दी गई क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। डाक्टर ने मना कर दिया तब उन्होंने कोटा एस. डी. एम. को बुलाया। कोटा एस. डी. एम. गई। उन्होंने डाक्टर को कहा, तुम इसका सर्टिफिकेट बनाओ। उन्होंने कहा, आपने यदि लाश किसी दूसरे डाक्टर के सुपुर्द कर दी तो मैं मारा जाऊंगा। तुम इसको जला आओ उसके बाद सर्टिफिकेट दूंगा। उसको अज्ञात स्थान पर जलाया गया। उसकी लाश उसकी पत्नी, भाई, बच्चों को नहीं दी गई। आज भी पता नहीं, कहां जलायी गई। पुलिस हिरासत में चारों लोग बैठे थे, उनमें उसका भाई प्रभाती भी था। प्रभाती के खाली कागज पर दस्तखत कराये और पंचनामे के लिये कैथून गांव के लोगों को बुलाया। कोटा में कैथून के लोग बुलाये गये मगर उसके घर वालों को नहीं बुलाया। क्या मतलब है? मैं सोचता हूं, आप दुःखी हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं जान रहा हूं, आप भी दुःख अनुभव कर रहे हैं लेकिन अनुभव तो वे करें तब काम चले। यदि ये शुद्ध हैं, मानते हैं कि पुलिस दोषी नहीं है तो सी.बी.आई. से जांच कराने में क्या तकलीफ हो रही है? अध्यक्ष महोदय, अब तक डाकुओं से मुठभेड़ में लोग मारे जा रहे थे। कोटा के सारे अखबार वालों ने उसके घर वालों से इंटरव्यू लिये हैं, कोटा के

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

अखबार दैनिक नवज्योति, राष्ट्रदूत रंगे पड़े हैं। कोटा में ऐसा वातावरण हो गया है कि पुलिस के हाथो में कोई सुरक्षित नहीं है। आप जब से आये हैं, राज्य मंत्री जी, ऐसे कारनामे ज्यादा होने लगे हैं। आप अपना दामन साफ रखने के लिये सी. बी. आई. से जांच कराने की हिम्मत से घोषणा कीजिये। क्या पुलिस निर्दोष है जो, एफ. आई. आर. लोज नहीं करना चाहती, जो चार लोगों को एम. एल. ए., एम. पी. के कहने के बाद भी गायब रख सकती है? आप का दामन साफ है, यह सिद्ध करने के लिये सी. बी. आई. से जांच करायें। पुलिस की कस्टडी में हत्या करवाकर कोटा के जन जीवन को असामान्य कर दिया है। आज कोटा में कोई सुरक्षित नहीं है पुलिस के हाथों। बजरंगसिंह का आतंक पहले ही बहुत था। जनता का एक एक आदमी त्रस्त था। वहां की जनता ने आंदोलन किया। अध्यक्ष महोदय, उस थानेदार का तीन बार ट्रांसफर हो गया लेकिन राज्य सरकार ने कैंसल किया। राज्य सरकार उस थानेदार को बचाना चाहती है। यहां से संरक्षण है थानेदार को। उसका तीन बार ट्रांसफर हुआ कैंसल हुआ है। आज उसके नाम से लोग डरने लगे हैं कि यह हत्या कर देगा तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी ऊपर एप्रोच है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप अपना दामन साफ रखने के लिये सी. बी. आई. से इन्क्वायरी कराने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अनुसूचित जाति के हुकुमचन्द बैरवा की हत्या का है। उसकी हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है और उस षड़यंत्र में पुलिस की मिली भगत है। इस बात की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुकनाराम और उसकी पत्नी उद्योग नगरी में एक सिद्दीकी के घर पर किराये पर रहते थे। सिद्दीकी किसी उद्योग में नौकरी करता है। हुकुमचन्द ठेकेदार था और बसंती उसके यहां काम करती थी...

श्री अध्यक्ष : यह तथ्य आ चुके हैं पहले।

श्री हीरालाल आर्य : मैं वह षड़यंत्र बताना चाहता हूं।

पति-पत्नी उसके यहां रहते थे। वह ठेकेदारी करता था और उसके यहां दोनों पति-पत्नी काम करते थे। सिद्दीकी चाहता था, किसी न किसी तरह इसके हाथ से ठेका हटे। पति-पत्नी, जो उसके यहां काम करते थे, के माध्यम से हुकुमचन्द पर गलत आक्षेप लगाया ताकि उसके यहां से ठेका हटे। इसके पीछे षड़यंत्र है और इसमें पुलिस की मिली-भगत है। यह जो रिपोर्ट दर्ज कराई कि बसंती को लेकर उसका एक साथी फरार हो गया जब कि बसन्ती उसके गांव मिलने गई थी। यह रिपोर्ट सिद्दीकी ने मुकनाराम से मिल कर कराई जिसमें सफल नहीं हुए। थाने में जाकर बोले, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, वह रिपोर्ट भी साफ हो गई कि नहीं। फिर सवाल यह पैदा होता है जिस महिला की लाश 8-8 को मिली किथोड़े में, वह किस महिला की थी किस की नहीं थी लेकिन उसके आधार पर यह कह कर कि यह इसकी लाश है रिपोर्ट दर्ज कराई गई कैथून

(श्री हीरालाल आर्य)
थाने में। वहां पर बुलाया हुकुमचन्द बैरवा को। और थाने में उसकी हत्या की। महिला मरी उसका नाम बसन्ती बताया गया लेकिन वह बसन्ती नहीं है क्योंकि बसन्ती जिन्दा है। इसलिए बतावें कि जो महिला मरी वह कौन थी? डाक्टरी रिपोर्ट में जिसका गला घोट कर हत्या करना बताया गया है, वह महिला कौन थी? जिसकी हत्या हुई है उसके हत्यारे कौन थे? इसके बारे में आपकी पुलिस चुप है। हुकुमचन्द बैरवा पर गलत आक्षेप लगाया गया है। इसका भण्डाफोड़ न हो इसलिए उसको थाने में बुलाया गया और थाने में लटकाया गया। उसके ऊपर किस तरह के जुल्म हुए। उसके भाई के साथ उसकी पत्नी गई। थानेदार के घर पर उसको उल्टा लटके हुए देखा। उसको इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। हत्या होने के बाद डाक्टरी मुआयना होना चाहिए था, वह हुआ कि नहीं? क्या तथ्य हैं, इसका पता नहीं है। डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट लेने गये तो रिपोर्ट नहीं दी गई। फिर उसकी लाश, माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया, उसके भाई को दी गई। लाश उसके भाई को नहीं दी है। यह लाश किसको दी, किसने उसको जलाया, अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। इस घटना को लेकर कोटा जिले में और कोटा जिले में ही नहीं राजस्थान भर में अनुसूचित जाति में रोष है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को थाने में बुला कर हत्या कर दी गई, इसमें किसकी मिली भगत थी? उस फैक्ट्री से उसका ठेका हटा कर दूसरे को देना चाहते थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस घटना को लेकर कोटा में जुलूस निकाले गये, आन्दोलन हुए, हड़ताल हुई, धरने दिये गये। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ जुल्म होते रहें और सरकार झूठी जानकारी देकर सदन को गुमराह करे और सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को गुमराह करे, यह ठीक नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार को पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ जिस तरह की घटनायें राजस्थान में हो रही हैं उससे अनुसूचित जाति के लोगों में रोष है। इसलिए इस घटना की सही जांच सी.बी.आई. से करवावें ताकि सही तथ्य सामने आ सकें। साथ ही मृतक का जो परिवार है, उसको पर्याप्त मुआवजा दिलावें और इसकी सी.बी.आई. से जांच करायें। यही निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम कंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, हुकुमचंद बैरवा, जो बेगुनाह था, की पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी, यह बहुत अफसोस की बात है। कोटा जिले के बैरवा समाज के काफी लोग हम से मिले हैं। माननीय सदस्य चतुर्वेदीजी का उनके मरने के तुरंत पश्चात् एक अखबार में स्टेटमेंट पढ़ा हमने और इससे हम को सारी घटना मालूम हुई। सरकार का बहुत हल्के ढंग से हमारे सामने जवाब आया है। मेरे आने से पहले मंत्री महोदय का बयान हो गया था, इसलिये मुझे पता नहीं, क्या बातें सामने आईं। मेरा यह निवेदन है कि उस प्रकार की पचासों घटनाएं हुई हैं, चाहे जमीन के मामले में अत्याचार की हों या पुलिस द्वारा मारपीट की हों। पुलिस के द्वारा लोग सताये जाते हैं। दरख्वास्त लेकर थाने में जाते हैं तो थाने वाले परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार की घटना देखने को मिल

(22)

(श्री रामकंवार बैरवा)

रही है। इससे हरिजनों में बड़ी भारी असुरक्षा की भावना दिन पर दिन जाग्रत होकर उभरती जा रही है। एक दूसरे से जहां कहीं भी मिलते हैं उनमें यह चर्चा होती है, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो। अध्यक्ष महोदय, आपके नोटिस में यह लाना चाहूंगा कि उक्त जाति के लोगों, जो अधिकतर मजदूर पेशा हैं, का जयपुर में कोई पैसा खा जाय, किसी प्रकार का उनके साथ अन्याय हो जाये और वह पुलिस के पास जायें तो पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, सभी माननीय सदस्यों ने सारी बातों की जानकारी दी है, मेरा निवेदन है कि हुकुमचंद बैरवा के यहां जो बसन्ती नाम की नौकर थी, अगर वह जिंदा है, तो हुकुमचंद बेगुनाह मारा गया है। मैं मांग करता हूं कि सी.बी.आई. से इसकी जांच करवाई जाये। मेरा यह निवेदन है, कि जो जिला अधिकारी हैं, मैं कई दफा यह कह चुका हूं, जयपुर के माननीय कलेक्टर हैं और वर्तमान एस.पी. हैं उनका काम संतोषजनक है लेकिन जो जिला अधिकारी हैं उनका काम संतोषजनक नहीं है। कलेक्टर का आदेश एस.डी.एम. नहीं मानता है, एस.डी.एम का आदेश तहसीलदार नहीं मानता है ···

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव तो कोटा का है।

श्री रामकंवार बैरवा : इस प्रकार मैं मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री जी से कि सी.बी आई. से जांच करवावें और जांच के पश्चात् तुरंत वहां के थानेदार और एस.पी. को नौकरी से खारिज करें। मेरी यही मांग है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्यों के काफी विचार व्यक्त हो चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह अहम प्रश्न है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न है।

हुकुमचंद के खिलाफ एफ.आई.आर. किसने दर्ज करवाई? किसी ने कोटा में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी, वह कब दर्ज की है? जब बसन्ती जिंदा वापस आ गई तो जिसकी लाश मिली वह कौन थी? माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला। उसका भी पता लगाया जाये कि वह कौन थी। पुलिस ने इतना सारा षडयन्त्र रचा है इसलिये इसकी सी.बी.आई. से जांच नहीं करायेंगे तो सारा मामला सामने नहीं आ सकता है। मेरा यह निवेदन है कि सी.बी. आई. से जांच कराने के बाद पुलिस के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। मुझे पूरा पता नहीं है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन ऐसा मालूम पड़ा है कि बांसवाड़ा के मामले की सी.आई.डी. ने जांच की लेकिन अब केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से इस केस को भी दबाया नहीं जाये। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायें और बसन्ती जिंदा है तो और मरी हुई है तो उसका पता लगाया जाये।

श्री अध्यक्ष : गृह राज्य मंत्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सवालात पूछे हैं उनका जवाब मैं दे रहा हूं। किस्सा शुरू हुआ, श्रीमन्, 14-7-82 से।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मुझे जवाब देना है इसलिये धीरे धीरे बोल रहा हूं...

(व्यवधान)

और जोर से बोलूं...

श्री मेघराज तावड़ : आप भले ही धीरे बोलें लेकिन यह ध्यान रखें कि हम गरीबों के ऊपर यह जबर्दस्त चोट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, 14-7-82 को थाना उद्योग नगर जिला कोटा में एक एफ. आई. आर. मालिक पुत्र बेवा देवा भील मीणा हाल आबाद कोटा ने इस आशय की प्रस्तुत की कि उसकी वाइफ का अपहरण कर लिया गया। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, देखिये मैं इसके सीक्वेंस बता रहा हूं। उसने कुछ आदमियों के ऊपर अपना शक जाहिर होना बताया। उसमें हुकुमचंद का भी नाम शरीक है और दो-तीन आदमी शरीक हैं। उसके बाद, श्रीमान्...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इनके नाम भी बताइये, कोलोबोरेट करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कोलोबोरेट करिये, कोई दिक्कत नहीं है।

30-6-1982 को उसकी पत्नी बेजन्ती उर्फ बसन्ती को हुकुमचंद एवं रामकुमार फरार कर के ले गये, बरामद करके दिलाई जाये।

श्रीमान्, इस बात की तफ़तीश के दौरान पता लगा कि लोगों ने बसंती को हुकुमचंद के साथ देखा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था क्योंकि जो इन्वेस्टीगेशन चल रहा है उसके ऊपर यह बात बताने से प्रभाव पड़ने वाला था...

(व्यवधान)

आप जरा सुन लें। एक बात यह भी सुन लें कि जब आप बोल रहे थे तो मैंने किसी भी माननीय सदस्य को इन्ट्रप्ट नहीं किया था...

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या सुनाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

(12.10 म. प.)

[श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष; पदासीन]

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोलने नहीं देंगे।

एक माननीय सदस्य : बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें। आपस में बातें नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर किसी कास्ट का प्रश्न नहीं है। यह भील जाति की महिला थी उसका पता नहीं लगाते तो ये कह देते कि अनुसूचित जन जाति के साथ अन्याय ऐसा होता है। जाति विशेष की बात करके राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा की जा रही है, उसको मैं अनुचित मानता हूं। आखिर वह भी भील जाति की महिला थी, उसके गुम जाने की उसके पति ने रिपोर्ट की थी...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : इस आधार पर आप क्या करना चाहते हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या कह रहे हैं, राधेश्याम जी । एक लाख रुपये लिये हैं आपने । सारा गंगानगर जल रहा है और तुम यहां बैठे हुए हो· · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपको मालूम है, गंगानगर में क्या हो रहा है ।

श्री राधेश्याम : माननीय सदस्य, इस तरह से बोलना ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : गंगानगर जल रहा है और आप यहां बैठे हो । एक लाख रुपये की थैली मिली है आपको· · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज । बैठ जाइये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे तब मैं व मेरे दल के पूरे माननीय सदस्य उनकी सब बातों को शान्ति से सुन रहे थे कोई इन्ट्रप्शन नहीं कर रहा था· ·

श्री यदुनाथ सिंह : सन्नाटा था ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा । आप एक नहीं पचास प्रश्न पूछना । कौन मना कर रहा है । पूछ लेना उनके मैं उत्तर दे दूंगा । लेकिन जब कोई मुद्दे की बात आती है तो आप बाधा डालना शुरू कर देते हैं यह तो अनुचित बात है ।

इस तरह की जब रिपोर्ट की गई तो हुकुमचन्द के बारे में पता लगाया गया, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की गयी । उसके बाद हुकुमचन्द ने कहा कि उसकी मां मर गयी है । वह दौसा जाना चाहता है । दाह संस्कार और जो क्रिया-कर्म आदि होते हैं उनको पूरा करने के लिये उसको जाने दिया गया । जैसा कि माननीय सदस्यों ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह 22 दिन बाद में लौटकर आया तब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, यही नहीं अगर उसे जाने से रोका गया होता तो वह भी गैर मुनासिब बात होती । वहां से वह आया, उपाध्यक्ष महोदय, उस बीच में क्या होता है कि तारीख 8-8-82 को कैथून के पास किसी महिला की लाश कुएं के अन्दर बरामद हुयी । चूंकि सभी थानों को बसंती के गायब होने की सूचना दे दी गयी थी । इस संदर्भ में उस लाश को पहचानने के लिये उसके पति को बुलाया गया । मैं कोई बात को छुपाने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं । तो लाश तो बिगड़ चुकी थी उसको पहचाना जाना भी मुश्किल था लेकिन क्या हुआ कि मखनाराम की दो पत्नी हैं, एक तो बसंती है और एक और । वे दोनों आये । उस लाश का एक दांत बाहर निकला हुआ था और बसंती का भी एक दांत बाहर निकला हुआ था उसी दांत के आधार पर उस लाश को पहचाना गया । वही एक मात्र आइडेंटिफिकेशन की वजह था । आप बतायें कि पुलिस को हुकुमचन्द से क्या वैर था कि उसको जबर-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
दस्ती लाश के आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता . . .

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सिर्फ दांत से ही पहचानी गई . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बाधा न डालें, माननीय सदस्य ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस को हुकुमचन्द से क्या बैर था कि उसको जबरदस्ती बुलाया जाता । मखनाराम की पत्नी की लाश थी या उसकी पत्नी की लाश नहीं थी उसके आइडेंटिफिकेशन के लिये बुलाया गया था उसके पति को । उसको सूचना दी गयी और उससे पहचान करवायी गयी । उसने कहा हां, यह मेरी पत्नी की लाश है । उसकी पत्नी के किडनेपिंग का केस दर्ज था फिर पुलिस ने मुकदमा 164 से 302 में कन्वर्ट करके जांच करायी . . .

(व्यवधान)

आप बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर पुलिस को या मुझे कोई बात छुपानी होती तो मैं अपने स्टेटमेंन्ट में इस बात को कैसे स्वीकार करता । मैंने इस बात को स्वीकार किया कि 13 तारीख और 15 तारीख को हुकुमचन्द को बुलाकर, थाने में बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की । यह स्वीकार किया है, इसको मैंने डिनाई नहीं किया है । अगर मुझे कोई बात छुपानी थी तो मैं इसको भी चबा जाता । लेकिन मुझे चबानी नहीं थी . . .

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी :–रोज चबाते हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जल्दी जल्दी पूरा कर दें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है कि बसंती को ले जाकर 18 तारीख को जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, 15 तारीख को ही उसको जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसके बयान नहीं लिये और उसको नारी निकेतन में भेज दिया । 18 तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष फिर प्रस्तुत किया गया, 18 तारीख को भी बयान नहीं लिये गये और फिर नारी निकेतन में भेज दिया 19 तारीख को भी बयान नहीं हुए । ऐसा है, अक्सर यह होता है, जो श्रीमान् वकील हैं वे जानते हैं कि आम तौर पर 164 में किसी महिला के बयान कलमबंद होते होते हैं तो मजिस्ट्रेट यह सोचता है कि कहीं वह पुलिस के दबाव से तो इस प्रकार के बयान नहीं दे रही है इसलिये उसको नारी निकेतन में भेज दिया जाता है ताकि वह इन्डिपेंडेन्ट विटनेस दे सकें इस प्रकार से उसने जो विटनेस दी जो 164 में बयान कलमबंद किये गये उसमें हुकुमचंद के ऊपर भगाकर आगरा ले जाने का आरोप लगाया गया और बदख्याली का आरोप लगाया गया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तारीख क्या थी बयान की ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये बयान हुए जाकर के 21 तारीख को । मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए उसमें उसने यह आरोप लगाए । उसमें तीन व्यक्तियों के नाम थे जिन पर उसने बदख्याली के आरोप लगाये कि उसको

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आगरा के मकान में ले जाकर रखा। आपने यह बात कही कि 176 में इनवेस्टीगेशन कर रहे हैं। 176 के तहत जो इन्वेस्टीगेशन की है वह इसलिए की है कि सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत यह मेंडेटरी प्रोविजन है। आप चाहें तो मैं आपको पढ़कर सुना दूं। यह हमेशा होता आया है यह कोई नई बात नहीं है। महिला मजिस्ट्रेट, जो एस.डी.एम. थीं, आज सिटी मजिस्ट्रेट है वे आई. ए. एस. आफिसर हैं। वे यहां की रहने वाली नहीं है, वे राजस्थान की रहने वाली नहीं है, वे दूसरे प्रान्त की रहने वाली हैं। उनके बारे में कहा कि लाश को खड़े होकर जलवाया। यह सही है रिकार्ड के आधार पर कि उसके भाई को लाश दी गई। कोटा के अन्दर पोस्ट मार्टम होने के बाद डेड बोडी को जलाया गया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में डेथ का कारण हार्ट फेल्योर बताया है, मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। मैं सारी बात बता रहा हूं जो स्थिति सामने आयी है, मैंने अपने स्टेटमेंट में भी यह बात कही है। इसलिये मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अर्ज किया, 176 की रिपोर्ट के लिए मैं कह रहा हूं। बयान में भी कहा इस बात को मैंने कि 176 सी आर.पी.सी. के तहत इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर यह नहीं पाया गया कि किसी अधिकारी का दोष है, किसी ने जानबूझ कर कुछ किया है। आपने एक बात और कही कि जो डाक्टर हक है, उन्होंने कोई दवाई नहीं दी। डॉक्टर हक को बुलाया गया, जो बिल्कुल पास थे, एक दो मिनट में काल पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा सीरियस कन्डीशन है, इसको तुरन्त सरकारी अस्पताल में ले जाइये, एडमिट कराइये। प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में बोतल नहीं चढ़ाई गयी, उपाध्यक्ष महोदय। बोतल नहीं चढ़ाई गयी, मैंने हार्ट पेशेंट को बोतल चढ़ते नहीं देखा····

श्री उपाध्यक्ष : कितनी उम्र थी ? हार्ट पेशेंट वाले···

श्री प्रद्युम्न सिंह : 48 ईयर की एज थी उसकी। उपाध्यक्ष महोदय, इस किस्म की घटना हुई उसके लिये कहा कि 176 सी आर. पी. सी. की जांच रिपोर्ट आप आ जाने दीजिए। लेकिन आप कहते हैं, मजिस्ट्रेट खुद है लाश जलवाने में। लड़की नयी आई.ए.एस. आफिसर है, वह तो लाश जलाने गयी नहीं। लाश तो जलायी परिवार वालों ने। आपका यह कहना है कि उसके ऊपर विश्वास नहीं है। मैंने कहा कि 176 सी आर.पी.सी. की रिपोर्ट आने दीजिए। मैंने अपने बयान में कहा है कि कोई अधिकारी उसमें दोषी पाया गया, गफलत पायी गयी, टार्चर की कोई बात साबित हुई तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। एम.एल.आर. जो हुई, डाक्टरी रिपोर्ट, उपाध्यक्ष महोदय, अब तो डाक्टर भी मिल गया, पुलिस से डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में, जैसा कहा, किसी चोट का कोई जिक्र नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट एम.एल.आर. जो है, पोस्ट मार्टम उस हुकुमचन्द का हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल फिलहाल तो मेरे पास कोई आधार नहीं एक्शन लेने का, 176 सी आर.पी.सी. की रिपोर्ट आने दीजिए, 176 सी आर.पी.सी. की रिपोर्ट आने के बाद कोई दोषी पाया जायेगा, मैं आपकी मार्फत सदन को आश्वासन देता हूँ, निश्चित रूप से कार्यवाही हम करेंगे। पहले भी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
एक दो केस कोटा के दाऊदयाल जी जोशी लाये, हमने थानेदार को गिरफ्तार कराया। पिछले सत्र के अन्दर आप केस लाये थे.। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप मिसाल देख सकते हैं, हमारी नीति पर आपको शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जायेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्टोरी फिर दुबारा बतायी। मैं आप से साइक्लोजीकल आधार पर कहना चाहता हूं, प्रारम्भ में जो मंत्री महोदय ने स्टोरी बतायी, वह थी 10 पंक्तियों की, और अब उत्तर में उन्होंने सारी स्टोरी का वर्णन किया है। What pychologically it proves ? एक बात।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदय ने यह अब्दुल हक डाक्टर का नाम बताया। फिर दूसरे डाक्टर के पास प्राइवेट हैल्थ सेण्टर में ले गये, उन्होंने कह दिया कि बोतल नहीं चढायी जाती। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उन्होने यह बात नहीं कही···

श्री उपाध्यक्ष : यह बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हार्ट के मरीज को बोतल··

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : It is his opinion but not the opinion of the Doctor.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए चाहता हूँ···

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी बदकिस्मती रही है कि मेरे परिवार में दो हार्ट के मरीज रहे हैं, दोनों हार्ट अटेक से गुजर गये, बाप, चाचा। मैने कभी बोतल चढ़ते नहीं देखी, उस जमाने में····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हार्ट अटेक का कहना सबसे सुगम काम है··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हार्ट पेशेंट तो मैं भी हूं। दो बार हास्पिटल में एडमिट हुआ, मेरे तो बोतल चढ़ाई गयीं···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, केवल बोतल की बात नहीं, कोई दवा नहीं दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई दवा प्रेस्क्रिप्शन पर नहीं है। प्राइवेट हैल्थ सेण्टर में तो कोई दवा नहीं रहती है। किसी दुकान से ली गई हो, कोई मीमो हो, कोई व्यक्ति लाया हो, उसका कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, लाश पब्लिक, प्राइवेट हैल्थ सेण्टर में बिल्कुल गयी नहीं, किसी प्रकार से नहीं गयी। फिर, उपाध्यक्ष महोदय, हर समय मंत्री महोदय कह रहे हैं, 176 सी आर.पी.सी. की जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। किसके द्वारा आने दीजिए? उनकी जो पंचनामे में शामिल हैं, जो डॉक्टर पर दवाब डाल रही हैं कि तुम इस प्रकार की रिपोर्ट करो? डॉक्टर जिनको मना करता है, मैं मर जाऊंगा, लाश को जला दो, फिर रिपोर्ट दूंगा, ऐसे व्यक्ति, जो 15 तारीख को रात के अंधेरे में पंचनामे पर दस्तखत करवाते हैं लोगों को बुलाकर, जिनकी प्रजेंस में सब कुछ हो रहा है, उन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

एस.डी.एम. साहब से जांच करा रहे हैं। क्या स्टोरी बना रहे हैं आप ? आप कौनसी घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं ? मैं तो नहीं मानता हूं, जैसा आपने कहा, सैण्टीमेण्ट को जगाने का प्रयत्न किया, जो उनकी पत्नी को भगा ले गये थे, इतना भी मान लें, वह पुलिस अधिकारी हैं, तो क्या जो उनके विरोध में है उस की जान ले लेंगे ? हार्ट अटैक हुआ, कुछ सीरियस हार्ट अटेक हुआ, आपने कहां, मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा वह तो बतायें कि हुकुमचन्द बैरवा के कोई इस प्रकार के सिम्पटम्स थे इस उम्र से पहले कोई भी, किसी भी प्रकार के कोई उसके प्राइमरी सिम्पटम्स रहे ? किस आधार पर साबित करेंगे ? सारी बात गोल करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, मुखनाराम की पत्नी है, यह केवल तफतीश करके, केवल दाँत देखकर बता दिया। डॉक्टर आ गया, हाथ पर नाम लिखा था, बसंती। शरीर पर जो नाम खुदा होता है वह ऐसा होता है कि कभी भी समाप्त नहीं होता है, बहुत दिनों तक चलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से इसमें इस प्रकार की बात हैं जो साजिश थी, जैसा हीरालाल जी कह रहे थे, कान्ट्रेक्ट लेना था, हुकुमचन्द बैरवा को पिक्चर से हटाना था, केस में फंसाकर उसे जेल के सीखचों में भेजना था। किन्तु इसकी परिणति तो यह हो गयी कि असार संसार को छोड़कर वह चला गया। यह थी साजिश सब प्रकार के लोगों की। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, थानेदार को सिद्दीकी नाम के व्यक्ति ने ठेके को प्राप्त करने के लिये, हुकुमचन्द को सीट से हटाने के लिए बहुत बड़ी राशि खिलाई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थानेदार कौन है, जिनका कि तबादला किया है, तीन बार तबादला हुआ, जैसा माननीय सदस्य ने बताया था, वह ठीक है। किन्तु वह वहीं है, जब कि उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम रायट्स कराये। कैथून के थाने में मिली जुली साजिश है उन लोगों की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंत्री महोदय, आप बचाना चाहें तो बात दूसरी है वरना 176 सी आर पी.सी. की जांच होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ टैम्पर विथ हो जायेगा। एफ.आई.आर. बताई नहीं उन्होंने। हम लोग एफ.आई.आर. लिखाने गये, बहुत लोग लिखाने गये, राजनैतिक पार्टियों के लोग गये, उनके भाई को लेकर गये, किन्तु एफ.आई.आर. नहीं लिखी। बता सकते हैं, माननीय मंत्री महोदय, एफ.आई आर. क्या है ? आज कह देंगे, हमारे पास आयी नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों की इतनी बड़ी साजिश है, जिनके द्वारा इस प्रकार की साजिश की जा रही है, उन लोगों को बचाने का प्रयत्न मंत्री महोदय लगातार कर रहे हैं। कौनसा जांच में घाटा हो जाता ? जांच चलती रहेगी 176 सी आर पी.सी. में। उस केस की तफतीश सी.बी.आई. से हो सकती है, आराम से हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति वहां है जिसकी खबर कोटा के अखबारों में, हर अखबार में, राजस्थान के अखबार में इतने दिनों से लगातार आ रही है। सरकार की इमेज को ठीक करने के लिये आप जांच करवा लीजिये। लेकिन आप जांच उस व्यक्ति से करवा कर, उस औरत से करवा कर सारे कागजात को टैम्पर करवाना चाहते हैं, समाप्त करवाना चाहते हैं, एवीडेन्सेज को समाप्त कराना चाहते हैं, ताकि इस प्रकार की बात नहीं आये...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक जवाब दे दूं। मैंने खुद अपने बयान में कहा कि लाश डिकम्पोज हो गई थी। आपने कहा कि डिकम्पोज बाडी के ऊपर नाम रहता है। उसमें कैसे रह जायेगा ? लाश बहुत सड़ गल गयी है उसके ऊपर कहां से नाम रह जायेगा, इस बात को समझाने की चेष्टा करो आप…

श्री उपाध्यक्ष: अपोजिशन लीडर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नाम ऐसा है कि..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने अनुमति दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो सरकार की ओर से उत्तर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि न तो उससे आप संतुष्ट होंगे, न जो कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुना है उससे वह संतुष्ट होंगे। यदि मैं यह भी कहूं कि माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने उत्तर दिया है, वह भी इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की ओर आपका और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, या एक व्यक्ति को मार दिया गया, या एक व्यक्ति अपनी मौत से मर गया, तीनों में जिस प्रकार की भी स्थिति बनी है, उसमें एक आदमी मर गया। आरोप यह है कि उस व्यक्ति को थाने में मारा गया, लेकिन सरकार यह कहती है, थाने में मारा नहीं गया, थाने में ले गये, वहां बीमार हो गया, बीमारी के कारण मर गया। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ सुना है, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, उससे एक बात निश्चित रूप से निकली है कि कोटा के सारे अधिकारी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस व्यक्ति, जिसे थाने में ले गये और जो भी उस व्यक्ति के सम्बन्ध में तफतीश हुई, से किसी प्रकार से सम्बन्धित थे। उन्होंने अपना एक गैंग बना लिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस विधान सभा का लाभ क्या हुआ। इस विधान सभा में जब कई बार उत्तेजना पैदा होती है, वातावरण उग्र होता है जिसमें आपको भी कई बार नियमों के अन्तर्गत और किसी भी प्रकार से हाउस को कन्ट्रोल करने के लिए नाराजगी प्रगट करनी होती है, यह स्थिति क्यों बनती है। यह स्थिति तब बनती है जब कसूर करने वाला दूसरा होता है। मैं यह नहीं कहता कि शिवचरण जी माथुर, जो मुख्य मन्त्री हैं, से कोई गलती हुई। हमारा यह कहना नहीं है कि प्रद्युम्नसिंह जी से कोई गलती हुई। हम यह नहीं कहते कि इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस से कोई गलती हुई। हम यह नहीं कहते कि होम कमिश्नर ने किसी प्रकार की गलती की। हम यह भी नहीं कह रहे कि एस.पी. ने गलती की। हम यह भी नहीं कह रहे कि कलेक्टर ने गलती की। फिर जिस व्यक्ति ने गलती की है उसको प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर क्यों ले रही है ? मैं तो आपको आगाह करना चाहता हूं, अभी तक तो मैंने सुना है पुलिस में यदि पुलिस अधिकारी से किसी प्रकार की गलती हो जाय तो स्थानीय पुलिस के लोग ही संगठन बनाकर उस गलती को छिपाने की कोशिश करते हैं और उच्चाधिकारी उस संगठन में और गैंग में शामिल नहीं होते थे। उपाध्यक्ष महोदय, फिर धीरे धीरे डवलपमेन्ट हुआ, एक सब-इन्सपेक्टर ने गलती की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो डीवाई.एस.पी. ने बचाने का संकल्प ले लिया। फिर उसमें प्रोग्रेस हुई तो डिप्टी एस.पी. भी उस गलती में शामिल हो गया या उस गलती को बचाने में शामिल हो गया तो जिले के अधिकारी भी उसमें शामिल हो गये। जिले के अधिकारियों ने भी गेंग बना लिया तो केवल गेंग पुलिस तक सीमित होता तो, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा चिन्ता करने का कोई कारण नहीं था लेकिन अब एक नहीं, राजस्थान की अनेक घटनायें मैं बता सकता हूं जिसमें पुलिस के अधिकारियों के अलावा अगर कहीं डाक्टर का सम्बन्ध आता है तो डाक्टर को भी पुलिस के अ डराते हैं, अगर कोई डाक्टर के अलावा मजिस्ट्रेट का सम्बन्ध आता है तो उसको भी धमकियां देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की खुली अदालत के अन्दर एक इन्सपेक्टर ने मजिस्ट्रेट को धमकी दी कि तुमने यदि अमुक प्रकार का व्यवहार किया, तो जयपुर की सड़कों के ऊपर तुमको देख लेंगे। आज मजिस्ट्रेट और कोर्ट को धमकियां दी जाने लगी हैं तो अर्थ क्या निकला, उपाध्यक्ष महोदय। पुलिस ने गलती की तो पुलिस के उच्चाधिकारियों ने बचा लिया। उसको एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसकी इज्जत के लिए मजिस्ट्रेट को शामिल किया, डाक्टर को शामिल किया। जब वह सब एक हो जाते हैं तो फिर जनता कहां पहुंच पायेगी, जनता को न्याय कैसे मिलेगा? अब, उपाध्यक्ष महोदय, जनता के प्रतिनिधि अगर विधान सभा में इस प्रश्न को उठायें और उस गेंग के अन्दर यदि सरकार भी शामिल हो जाय तो मैं समझता हूं न लोकतन्त्र की व्यवस्था ही रहेगी और न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था रहेगी। प्रद्युम्न सिंह जी, व्यक्ति मर गया, वह वापस नहीं आयेगा, लेकिन मेरा निवेदन है, जिसने मारा उसको दण्ड देना सरकार का धर्म है। मैं नहीं कहता कि निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा दें। यहां सजा देने का प्रश्न भी नहीं है केवल असलियत को मालूम करने का प्रश्न है। असलियत मालूम होनी चाहिये। आपने जिस मशीनरी को इन्वाल्व किया, आप कहते हैं, हम इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट से या एस.पी. कौन है, मिस्टर, सुश्री ओलक, उनसे करवा रहे हैं। आप कम से कम इतना तो मान कर चलिये, हम उस बजरंग सिंह के दुश्मन नहीं हैं, हम उस सुश्री ओलक के दुश्मन नहीं हैं। आखिर कोटा से आने वाले सब प्रतिनिधि, पांच छः विधायक, कोटा की जनता और कोटा के सांसद आपको यह कहते हैं कि जो इन्क्वायरी कर रहे हैं उसमें हमारा विश्वास नहीं है। आप कहते हैं, उसी से हम इन्क्वायरी करवायेंगे, तो क्या इससे इज्जत बढ़ने वाली है, आपकी इज्जत को चार चांद लगने वाले हैं, आप अपने पक्ष में जनता का विश्वास पैदा करने वाले हैं। मैं समझता हूं, आपके लिये जनता में विश्वास पैदा नहीं होगा। आप अगर हमारी तोहीन करेंगे तो, प्रद्युम्नसिंहजी, मैं आपको कहता हूं, वह दिन दूर नहीं, जब आपकी सब-इन्सपेक्टर तोहीन करेगा। इसलिए ज्यादा दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। आज आप विधायकों की बात मानने को तैयार नहीं हैं, माननीय सदस्यों की बात मानने को तैयार नहीं हैं, जनता की बात मानने को तैयार नहीं हैं केवल जिद्द किये बैठे हैं, जांच होगी वह सुश्री ओलक करेगी। और कोई जांच के साधन नहीं है। चतुर्वेदी जी ने कहा कि इन्होंने जिन दो अधिकारियों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के नाम बताये उनसे तफतीश करा लो तो क्या आपकी इज्जत गिर जायगी, क्या राजस्थान की सरकार गिर जायगी, क्या शिवचरणजी माथुर का तख्ता उलट जाएगा, क्या केबिनेट का रिशफल हो जाएगा, किसी का प्रमोशन या डिमोशन हो जायगा ? मैं समझता हूं, इन चीजों को गम्भीरता से लेना चाहिये। आप इन चीजों को इस आधार पर मत लेओ कि हम कोई राजनैतिक आधार बनाना चाहते हैं। आखिर राजनीति में रहते हैं, कोई दुकान चलाने के लिए तो बैठे नहीं हैं। आपके राज में एक व्यक्ति की पुलिस थाने में मृत्यु हो जाय तो उस प्रश्न को हम उठायेंगे। हम उठायेंगे, उसमें राजनैतिक लाभ मिलता है या हानि होती है, राजनैतिक क्षेत्र पर इसका मूल्यांकन किया जायगा, लेकिन जिस बात को हम रख रहे हैं, उसको केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाय कि हम दूसरे दल के, राजनैतिक दल के सदस्य हैं। मैं, राज्य मंत्रीजी, आपको निवेदन करना चाहूंगा और सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय महादेव सिंहजी को गिरफ्तार किया गया वहां किन-किन ने गेंग बनाया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, पुलिस ने गेंग बनाया, उस गेंग में आई. जी. शामिल हुए, उस गेंग में डी. आई. जी. शामिल हुए, उस गेंग में मेडिकल आफिसर शामिल हुए, उस गेंग में मजिस्ट्रेट शामिल हुए और महादेवसिंह जी को 21 दिन तक जेल में रखा गया। आज उसी प्रकार का गेंग हुकुमचन्द वैरवा की मौत को लेकर बन रहा है, इसकी मौत को छिपाने के लिए कोटा जिले के सारे आफिसरों ने गेंग बना लिया है, इस गेंगस्टरीज्म को आपने, प्रद्युम्नसिंह जी, नहीं तोड़ा तो न आप सुरक्षित हैं, न हम सुरक्षित हैं, न लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुरक्षित है। हम सुरक्षित नहीं हैं तो जनतन्त्र के सुरक्षित रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस मामले की गहराई में जाओ, जिस ढंग से सन्तोष होता है उस ढंग से इन्क्वायरी कराओ। गेंग ने जो कुछ कह दिया उसी बात को हम स्वीकार कर लें, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारी मांग है सी. बी. आई. से आप इन्क्वायरी कराना चाहें सी. बी. आई. से करा लें, सी. बी. आई. से नहीं तो जो अभी चतुर्वेदीजी ने नाम दिये उनसे जांच करा लें। जनता को सन्तोष होना चाहिए। जांच से यह कहें कि सरकार को सन्तोष हो गया और दूसरे पक्ष जिसका आदमी मर गया, जिसने दुःख भुगता है, को किसी प्रकार का सन्तोष नहीं हो, अध्यक्ष महोदय, तो इस प्रकार की जांच से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके और हमारे साथ भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। इस सबका एक ही इलाज है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच से, मैं समझता हूं, सबको तो भगवान भी सन्तोष नहीं करा सकता लेकिन लोगों को मालूम हो कि निष्पक्ष जांच हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जिन दो अधिकारियों के नाम लिए उनमें से किसी से भी जांच करा लें। उनसे भी नहीं कराना चाहते हैं तो सी. बी. आई. से जांच करा लें। एक हरिजन का मामला है, गरीब का मामला है, उस गरीब के मामले में कोई आदमी अदालत में तो जा नहीं सकता, हाई कोर्ट तक जा नहीं सकता, दिल्ली के दरबार में यह मामला खड़ा नहीं हो सकता। आखिर कहीं खड़ा होगा तो इस विधान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में। यह मामला यदि विधान सभा में अन्तिम स्तर पर पहुंच जाता है तो हुकुमचन्द के रिश्तेदार तो कोई आने वाले नहीं, वह न दिल्ली जाने वाले हैं न सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता तो सब जगह से सिफारिश लाकर इन्क्वायरी करा लेता। यह गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति की तरफ ध्यान देकर आप ऐसी इन्क्वायरी की व्यवस्था करें जिसमें सबको सन्तोष हो और निष्पक्ष जांच हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि फौजदारी मामलों में जांच का तरीका है वह सी आर. पी. सी. में दिया हुआ है। सी आर. पी. सी. के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में मर जाता है तो उसके लिए लाजिमी है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो एम्पावर्ड है, को उसकी इन्क्वायरी के लिए नियुक्त किया जाता है। उसको सब कुछ पावर होती है। सैक्शन 173, 174 और 176 की मंशा के मुताबिक जो मेंडेटरी प्रोविजन हैं उससे गवर्नमेंट बच नहीं सकती। गवर्नमेंट को इन्क्वायरी करानी पड़ेगी

"When any person dies while in the custody of the Police, the nearest Magistrate empowered to hold inquests shall, and in any other case mentioned in sub-sec. (i) of Sec. 174, any Magistrate so empowered may hold the enquiry into the cause of death either instead of or in addition to, investigation held by the Police Officer···"

पुलिस आफिसर जो इन्क्वायरी कर रहा है उसके लिए है —

"and if does so, he shall have all the powers in conducting it which he would have in holding enquiry into the offence."

यदि सरकार को यह शुबाह हो, जो मजिस्ट्रेट है एस. डी. एम. उसके मुतल्लिक यह शुबाह हो कि इण्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी नहीं कर सकता तो किसी और मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया जा सकता है। इसलिए मेरी व्यवस्था यह है कि जो मुद्दा उठाया गया है इस पर 176 सी आर. पी. सी में इन्वेस्टीगेशन, इन्क्वायरी हो जाये उसके बाद कोई बात का पता चल सकता है। मुद्दे उठाये गये हैं वह उसके सामने उठाये जा सकते हैं। उसकी इन्क्वायरी का जो रिजल्ट आयेगा उस पर सरकार अमल करेगी।

अब यह चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। आप मंत्री महोदय से पूछ लें कि हुकुमचन्द पुलिस कस्टडी में था या नहीं, इनसे आप पूछें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहते हैं, था या नहीं? नहीं था तो यह 176 एप्लाई नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो कस्टडी में होता है, उसकी परिभाषा दी हुई है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को अधिकार है किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिये कस्टडी में ले सकती है। आप कस्टडी को हिरासत के रूप में मत लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
टेक्निकल शब्द के रूप को आप अगर हिरासत में कहते हैं तो हुकुमचन्द हिरासत में नहीं था, उसको पूछताछ के लिये बुलाया गया . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूछताछ के लिये बुलाया जाना ही पुलिस कस्टडी माना जाता है। Because he cannot move without the permission of the Police.

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई क्या कहते हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को पता है वास्तव में उसकी नामजद रिपोर्ट थी। वह रिपोर्ट डाउटफुल थी, यह अलग बात थी लेकिन नामजद रिपोर्ट पर पुलिस ने कस्टडी में लेकर तस्दीक की और उसकी मौत उसके दौरान हुई है। इसलिये यह मानकर चलते हैं कि पुलिस कस्टडी में था और उसकी मौत हुई।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो रिमार्क्स किये, वह उचित थे, लेकिन मेरे सामने गम्भीर समस्या पड़ गयी। आपने कहा कि यह पुलिस कस्टडी में था, मंत्री महोदय कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : Amount to custody. मैंने व्यवस्था दी है कि पुलिस पूछताछ के लिये बुलाती है तो कस्टडी में होता है।

श्री राजबहादुर : मंत्री महोदय ने बिलकुल साफ-साफ कहा है कि पूछताछ के लिये बुलाना कस्टडी में नहीं आता है। आपने कहा कि पूछताछ के लिये बुलाया जाना कस्टडी में आता है। यह एक गम्भीर बात है। आपने निर्णय कर दिया कि 176 सी.आर.पी.सी. के मुताबिक जांच होनी चाहिये। आपने व्यवस्था दे दी, वह आपने उपाध्यक्ष होने के नाते दी। प्रशासनिक कोई आज्ञा प्रशासन ही दे सकता है। क्षमा करेंगे, आपने प्रशासनिक आज्ञा दी है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रशासनिक तरीके से 176 सी. आर.पी.सी. के मुताबिक जांच हो या नहीं हो, यह तो प्रशासन को देखना पड़ता है, सरकार को करना पड़ता है। मुझे खेद है कि स्पष्ट रूप से कमिटमेंट क्यों नहीं करते कि यह हो सकता है। जब तक यह निर्णय न हो जाये, तब तक आपकी व्यवस्था व्यवस्था ही रह जायेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा है, उसको मैंने जानकारी प्राप्त की। मुझे जो अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पुलिस जब बुलाकर एक्यूज्ड पर्सन से पूछताछ करती है तो वह 176 के अन्दर शामिल है। It amounts to custody.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर चर्चा हो गई, इसका जवाब आ गया। इन्वेस्टीगेशन आफिसर यह हाउस नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कानून की जानकारी दी, बताया है कि उसकी जाँच मजिस्ट्रेट करे। सी. आर. पी. सी. में दो शब्द हैं एक इन्वेस्टीगेशन और एक इन्क्वायरी। इन दोनों में अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष : Investigation is made by Police and enquiry is done by a Magistrate.

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्वेस्टीगेशन में जो पावर होती है वह इन्क्वायरी के मुकाबले में ज्यादा होती है। मान लीजिए, मजिस्ट्रेट कहता है कि इस आदमी की हत्या चाकू से कर दी गई, तो क्या वह रिकवर कर सकता है ? वह नहीं कर सकता है। He cannot do it. It is only I.O. Who can do it. इन्क्वायरी से क्या होगा। तथ्यों के आधार पर अगर मुल्जिम को गिरफ्तार करना है तो क्या मजिस्ट्रेट कर सकता है ? नहीं कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टीगेशन अलग बात है और इनक्वायरी अलग बात है। इन्क्वायरी का स्कोप व अधिकार सीमित होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले 176 पढ़ लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने पढ़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : A Magistrate holding such an enquiry shall record evidence....

श्री भंवरलाल शर्मा : वही मैं कह रहा हूं, yes।

श्री उपाध्यक्ष : Taken by him in connection therewith in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case.

श्री भंवर लाल शर्मा ; But he can not investigate. He may do something else इन्क्वायरी के बाद ही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Investigation can go on simultaneously.

श्री भंवरलाल शर्मा : मना कौन कर रहा है ? यह ठीक है, इन्क्वायरी तो इन्होंने शुरू करवा दी है। इन्क्वायरी और इन्वेस्टीगेशन दोनों अगर साथ-साथ चलती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले में इन्वेस्टीगेशन चलेगा, तथ्य तभी सामने आयेंगे जब इन्वेस्टीगेशन चलेगा यही विश्वास दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष : इन्वेस्टीगेशन हो जायेगा क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पुलिस के खिलाफ चार्ज है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसा स्वयं आपने कहा कि यह जो त्रास हो रहा है, डिटेल के अन्दर पुलिस के ऊपर चार्ज है Enquiry is going on. मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी इसलिये ही हो रही है कि वह मौत क्या बीमारी की वजह से हुई या पुलिस की मार से हुई। इसकी इन्क्वायरी चल रही है। इन्क्वायरी होने के बाद अगर यह साबित हो जायेगा कि पुलिस की मार से मरा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि We will immediately register a case.

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लेना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मुझे एक मिनट का समय दिया जाये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा। जो बात कही गयी है, हमने भी वकालत की है, मैं कहता हूं कस्टडी दो तरह की होती है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अफसोस है कि यहां पर अपराधियों को बचाने के लिये आपने दलील दी है। पुलिस ने जो कुछ कहा उसके आधार पर राज्य मंत्री जी ने कहा है कि कस्टडी में था। मान लीजिये, मुझे पुलिस पूछताछ के लिये ले जा रही है और मैं भाग गया उस कस्टडी में से तो क्या मुझ पर मुकदमा चलेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि पुलिस कस्टडी क्या होती है, इसकी साफ परिभाषा है। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है इसकी साफ परिभाषा है। जिसको एक बार कस्टडी में लिया जाता है उसके लिये या तो रिलीज आर्डर होता है या जमानत होती है। चाहे वह पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी में मैं आप से पूछता हूं कि वह कस्टडी में से जा सकता है? मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस तरह का देश का कानून बना हुआ है। सचिव महोदय आ गये हैं, मैं सचिव महोदय से कहता हूं, आप उनसे पता कर लें। पुलिस ने राज्य मंत्री जी से कह दिया कि हां, वह कस्टडी में था और राज्य मंत्री जी ने तोते की तरह बोल दिया, इसका मुझे अफसोस है। सचिव महोदय पहले सैशन जज रह चुके हैं, आप इनसे पूछ लीजिये कि गवाह को पुलिस पूछताछ के लिये बुलाये तो क्या कस्टडी में होता है? इस विषय पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गया हूं, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है, इसका इन्वेस्टीगेशन अवश्य होना चाहिए।

(व्यवधान)

सारा गुड़ गोबर हो गया, उपाध्यक्ष महोदय। एक हरिजन की हत्या हुई है।

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस सारे मामले का इनवेस्टीगेशन कराने पर मालूम होगा कि राजस्थान की पुलिस कितनी करप्ट है, राजस्थान की पुलिस कितनी गद्दार है और राजस्थान की पुलिस कितनी मक्कार है। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिये बुलाये और उसकी अन्दर कस्टडी हत्या कर दे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये किस तरह से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर ।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिये बुलाये वहां पर उसकी हत्या हो जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । माननीय सदस्य, आप बिराजिये । मैं समझ गया हूं आपकी बात, माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये । मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं । मैं खुद भी वकील रहा हूं । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको यह पता नहीं है कि कस्टडी क्या होती है और अरेस्ट क्या होता है । यह राज्य मन्त्री हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें । आपसे मुझे कोई द्वेष भावना नहीं है । मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कस्टडी बिना अरेस्ट के नहीं हो सकती है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर । आप मेरी बात पूरी होने दें । मेरी बात पूरी नहीं हुई है । आसन पैरों पर है ।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री गृह ने जो बयान दिया है वह गलत दिया है । इनसे इस्तीफा लिया जाय क्योंकि यह कानून ही नहीं जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर । कृपया शांत रहें । कस्टडी में तब होता है जब कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है । किसी भी व्यक्ति को

(व्यवधान)

अरेस्ट किया जाता है तब एक्चुअली उसको हाथ लगाकर कहा जाता है कि वह अन्डर कस्टडी है तब कस्टडी में माना जायेगा । दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थाने में किसी भी व्यक्ति को अगर इनवेस्टीगेशन करने के लिये बुलाया जाता है और इनवेस्टीगेशन के दौरान उस की अगर मौत हो जाती है तब 176 दफा लागू होती है ।

(व्यवधान)

किसी को शुबाह हो, यह बहुत मुमकिन है, किसी को बुलाया जाता है उस समय उसकी मौत हो जाती है तो ऐसी सूरत में मौत को हम दफा 176 में लेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं होगा । उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

[illegible] अंकित नहीं हो[illegible]

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री राजबहादुर : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी में था या नहीं था

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि उसको पूछने के लिये बुलाया गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री राजबहादुर : तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसे पुलिस में पूछताछ के लिये बुलाया गया था, इसका मतलब वह अरेस्ट था। वह कस्टडी में था पुलिस की तो वह अरेस्ट तो हो चुका था।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पुलिस कस्टडी शब्द कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। अगर पुलिस किसी को भी पूछताछ के लिये बुलाती है तो वह पुलिस कस्टडी में होता है।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, आप बजा फर्मा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को बराबर पूछताछ के लिये, इनवेस्टीगेशन करने के लिये बुला सकते हैं लेकिन जब पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति होता है तो इसका मतलब यह होता है कि अरेस्ट तो हो चुका है। अरेस्ट के बाद ही तो कोई भी व्यक्ति, उपाध्यक्ष महोदय, अगर कस्टडी होता है, चाहे वह पुलिस कस्टडी में हो, चाहे जेल में हो वह छूट नहीं सकता है। इसलिए मैंने साफ आपसे पूछा, आप साफ-साफ कहिये कि वह पुलिस कस्टडी में था कि नहीं। अगर पुलिस कस्टडी में नहीं था तो इसका मतलब यह हुआ कि वह अरेस्ट नहीं हुआ। अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के दौरान वह मर जाता है तो उस समय यह बात और भी सन्देहास्पद हो जाती है। इसलिए आप इस बात को साफ करिये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री, गृह इस मामले में पुलिस के साथ हैं, वह इस मामले में शामिल हैं। इसलिए इनके बयान को नहीं माना जाय। मेरा निवेदन है कि आप इस पर स्टेटमेन्ट मुख्य मन्त्री जी से दिलायें। जिस तरह से राज्य मन्त्री जी बता रहे हैं इससे यह मालूम होता है कि वह इस केस में शामिल हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी से स्टेटमेन्ट दिलाया जाय। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। मैंने तो इनसे बयान दिलाया है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या बयान है, उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा बयान है।

(व्यवधान)

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पाइन्ट आफ आर्डर इसलिए उठा रहा हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है कि उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया . . .

श्री उपाध्यक्ष : It is just a acedemic case.

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी कि किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाय और वह उस दौरान मर जाय तो वह पुलिस कस्टडी में हुआ। तो इसको दफा 176 में मान लिया जाय।

(व्यवधान)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुना जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा है कि . . .

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मुझे सुन लिया जाय। आप एक बहुत ही ख्याति प्राप्त और प्रसिद्ध एडवोकेट रहे हैं। दफा 174 और 176 में फर्क है। आपने इसमें थोड़ा गलत कहा है, मुझे आप क्षमा करेंगे। मैं क्षमा इसलिए मांगता हूं कि आपके दिमाग में शायद 174 दफा रह गयी होगी। मैं दोनों ही पढ़ देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही सेक्शन की शब्दावली बहुत ही स्पष्ट है। जो शब्दावली 174 दफा की है, उपाध्यक्ष महोदय, Wordings are very clear.

श्री उपाध्यक्ष : अगर वह 174 में मुस्तवा हो।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, 176 में जो है . . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस बुलाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो इन्क्वायरी दफा 176 में होती है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी अगर कोई नहीं रिपोर्ट करता है, पुलिस को पता लग जाता है और पुलिस खुद ही उस मामले की इन्क्वायरी करती है, इनवेस्टीगेशन करती है तो वह दफा 174 में होती है।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। जो सेक्शन है उसकी भाषा बिलकुल स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, What are you aiming at ? I am not a Judge or a Magistrate here. I can only force the Government to make a statement. I have no other power.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि यहां पर जो डिस्कशन हो उसका मजिस्ट्रेट, जो इन्क्वायरी करे, पर असर पड़े।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, असर नहीं होता है क्योंकि आप जिस कुर्सी

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

पर बैठे हैं और आप जो भी फर्मायेंगे वह सर्वमान्य होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप यहां पर जो रूलिंग देंगे वह एक ऐसी रूलिंग बनेगी, उपाध्यक्ष महोदय, जो कि हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट में रेफर होगी, यह कहा जायेगा कि विधान सभा, जहां कि लैजिस्लेशन बनता है, की यह मंशा थी। यह आपको मालूम है कि इन्टरप्रटेशन से कानून ...

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका क्या पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप सुनिये तो सही, उपाध्यक्ष महोदय। आप बैठिये।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार हाई कोर्ट में यह रेफर होगा कि विधान सभा में यह कानून बना तब इसकी मंशा के बारे में क्या बहस की गई और सरकार ने क्या मंशा व्यक्त की। यह देखा जाता है इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन पढ़ दूं जरा ...

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस पर ये बहस कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : जिस प्रकार राज्य मंत्री गृह को अपने व्यूज रखने का अधिकार है उसी प्रकार हमें भी अपने व्यूज रखने का अधिकार है। उसी अधिकार के अन्तर्गत मैं अपनी बात कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि When any person dies while in custody of the Police ....

श्री उपाध्यक्ष : दफा 174। आप स्थिति देखिये।

श्री कैलाश मेघवाल : यहां पर दफा 174 लागू होगी। अगर वह कस्टडी में नहीं था ...

श्री उपाध्यक्ष : दफा 176 (1) में जो. ..

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा कि पूछताछ के लिए बुलाने पर मौत हो जाय, तो भी दफा 176 लागू होगी। उससे मेरी असहमति है। इस केस में दफा 176 किसी भी रूप में लागू नहीं होती है दफा 176 मैं पढ़कर सुना देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह भी बहुत साफ है अपने आप में..

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री कैलाश मेघवाल : When the Officer in charge of Police Station or some other Police Officer especially empowered by the State Government in that behalf receives information that a person has committed suicide or has been killed by another

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

or by animal raising reasonable suspicion when some other person has committed an offence, he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate empowered to hold inquests, and unless otherwise directed by any rule prescribed by the State Government or by any general or special order of the District or Sub-Divisional Magistrate, shall proceed to the place where the body of such deceased person is, and there, in the presence of 2 or more respectable inhabitants of the neighbourhood, shall make an investigation and draw up report of the apparent cause of death, describing such wounds, fractures, bruises, and other marks of injury as may be found on the body and stating in what manner or by what weapon or instrument such marks appear to have been inflicted.

यह दफा 174 है। मेरा यह निवेदन करना है कि 174 में बहुत वाइड पावर्स हैं। किस तरह मौत हुई और उसमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी चाहे तो इनक्वायरी दूसरे को दे सकता है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में निहित है वह अधिकार। सरकार सबसे बड़ी है। अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी भी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इनक्वायरी के लिए तैनात कर सकती है। कई आपत्तियां यहां पर की गई हैं? किन्तु बार बार मंत्री जी क्यों सब्साइड करना चाहते हैं और क्यों उससे हटना चाहते हैं? यह साफ प्रश्न है कि दफा 176 लागू नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाती है।

(व्यवधान)

दफा 174 और 176 दोनों पढ़ ली है। उसके अन्दर एक लाइन और है..

(व्यवधान)

अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री उपाध्यक्ष : It is up to the Government to order for any investigation. I cannot force them.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे ही जानकारी करना चाहता हूं। आपकी सारी व्यवस्था का आधार यह बनाया था कि उस आदमी की मृत्यु कस्टडी में हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : Suspicion.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो आधार बनाया..

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अब थोड़ा सा मैं और अर्ज करता हूं कि दफा 176 का 174 में हवाला है इसलिए मैंने कहा कि When any person dies while in custody of the Police, the nearest Magistrate empowered to hold inquests shall, and in any other case mentioned in sub section (1) of Section 174 any Magistrate so empowered may hold an enquiry into the casue of death...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे सुन लें। आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : He said it amounts to custody.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सारी स्थिति साफ की। मैं समझता हूं कि एक बात और यदि आप साफ कर देते तो सरकार के और हमारे सामने किसी प्रकार का विवाद नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये बीच में कुछ छेड़खानी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि आप अपनी स्मृति को थोड़ा ताजा करिये, आपने एक बात कही कि वह आदमी कस्टडी में मरा या नहीं? आपने मंत्री महोदय से पूछा और मंत्री जी ने यह कहा कि कस्टडी में मरा, यह बात सही है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं। इस तरह का हमारा कन्वेन्शन नहीं है। आप दुबारा कानून पढ़ लें। बिलकुल साफ है। एब्सोल्यूटली-क्लियर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल लूं उसके बाद में आप बोलें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह पूछा कि वह कस्टडी में मरा या नहीं? इन्होंने कहा कि कस्टडी में मरा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मैंने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे वर्ड्स याद हैं। इन्होंने यह कहा कि कस्टडी की परिभाषा का आपको ध्यान नहीं है। यह आपको भी कहा और हम को भी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने यह कहा कि देख के बतायें। जो मैंने कहा उसी बात को कृपया दोहरायें। मैंने यह कहा कि कस्टडी की डेफीनेशन को देखने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूं। यह बात कही है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू से लेकर अन्त तक की प्रोसीडिंग्स को आप देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न था कि कस्टडी में मरा। इसको इन्होंने डिस्प्यूट नहीं किया।

मैं इसको दूसरे रूप में लेता हूं, इसको चेलेन्ज नहीं किया, यह कस्टडी में नहीं मरा। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे और मंत्री महोदय भी स्वीकार करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने पूछताछ के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपको कोई मिस कोट करता है तो इसका भी अधिकार है उनको। आप बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि चैलेन्ज नहीं किया। क्वेश्चन था आपका, मेरा नहीं था। मैंने आपसे पूछा था कि आप गवर्नमेंट से पूछ लें कि वह कस्टडी में मरा या कस्टडी के बाहर मरा ?

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे सरल बात है, जिसके ऊपर आपको निर्णय करना है, माननीय मंत्री महोदय का सारा वक्तव्य देख लें, आज तक सरकार ने जो समाचार पत्रों को वक्तव्य दिये हैं उनको आप देख लें, जिस तरह का दृष्टिकोण रहा है वह देख लें। आपने कहा कि दफा 176 में इन्क्वायरी हुई। आज तक दफा 174 का नाम सरकार की ओर से कभी भी नहीं लिया गया, किसी भी स्तर पर नहीं लिया गया कि दफा 176 की इन्क्वायरी हो रही है। दफा 176 की इन्क्वायरी किस में आती है। जब कोई कस्टडी में मरता है तभी आती है। तो दफा 176 की आड़ में आप कौन सी इन्क्वायरी करना चाहते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, दफा 174 का हवाला नहीं दिया गया कि कस्टडी में मरा है...

श्री उपाध्यक्ष : दफा 174 (2) में 176 का हवाला दिया है :–

"in any other case mentioned in sub sec. (1) of section 174 any magistrate so empowered may hold an enquiry into the cause of death....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केस मेन्शन्ड में ?

श्री उपाध्यक्ष : 176 में जो हालात दिये हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 176 में हालात क्या है ? 176 को पढ़ कर सुना दीजिए। हमारे पास किताब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : "In any other case mentioned in sub-sec. (1) of Sec. 174 any Magistrate so empowered may hold an enquiry" मैं आपको कह चुका हूं I am not a judge here.

"When any person dies while in the custody of the Police, the nearest Magistrate empowered to hold the inquests shall, and in any other case—"

पुलिस कस्टडी के अलावा जो 174 में दी हुई हैं बातें "mentioned in sub-sec. (1) of Sec. 174 any Magistrate so empowered may hold an enquiry into the cause of death....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रारम्भ से चर्चा यह है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न उसका है जो व्यक्ति उसमें इनवाल्व है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके आरोप हमने कैटेगरिकली यहां लगाये हैं। बाद में माननीय मंत्री

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
महोदय ने 176 का सहारा लेकर उसकी इन्क्वायरी करने की बात कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात हुई ?

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मजिस्ट्रेट पर आरोप लगाये हैं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : "any Magistrate so empowe red may hold an enquiry."

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको क्या तकलीफ है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके लिए प्रावधान है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी तक पुलिस का गैंग बना हुआ था। आज मंत्री महोदय उस गैंग में शामिल हो गए हैं।

(व्यवधान)

क्या हो रहा है यह ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए ट्रान्सफर एप्लीकेशन का प्रावधान है · · ·

(व्यवधान)

हाई कोर्ट में ट्रान्सफर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : No. No.

श्री उपाध्यक्ष : No. No. क्या ?

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई आधा घंटे की।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : What do you want ? I am not a judge. I am not a Magistrate to decide this case.

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप ट्रान्सफर एप्लीकेशन की बात बता रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 24-8-82 को आज कितने दिन हो गए ? एक पत्र लिखकर कैथून के प्रोमिनेन्ट लोगों ने, सम्भ्रान्त नागरिकों ने जांच अधिकारी महोदय पर एलीगेशन लगाये हैं। She has not replied to it.

मैं चाहता हूं, आपकी दया से इस पत्र को सदन की मेज पर रखता हूं. She is involved in it and a gang is there and the Minister is also there.

×××माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

क्या हो रहा है ? यही आप चाहते हैं कि हरिजन की मौत पर इस प्रकार पानी फेर दिया जाये ? यह चाहते हैं आज जिस प्रकार की स्थिति कोटा में बनी हुई है····

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या समझते हैं कि मजिस्ट्रेट किसी बात का जवाब देगा ? Magistrate will not reply to anybody,

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बात मंत्री महोदय कहता हूं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रोसीजर है। चिट्ठी से काम होता तो कोई बात ही नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं कहना चाहता हूं, चिट्ठी से नहीं, एम.एल.ए. मिल रहे हैं, एम.पी. मिल रहे हैं, गेम बन रहा है। हमारी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की जा रही है इस केस में विशेषकर, मैं आरोप लगाता हूं मंत्री महोदय पर···

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, कृपया···

(व्यवधान)

मैं जितना लेटीट्यूड आपको दे सकता था, दिया···

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : तो उसने कहा मैं क्या देखूं···

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी :XXX

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट के नोटिस में है···

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मर चुका उसके बाद डाक्टर को बुलाया। आप कहते हैं बसन्ती बाई···

(व्यवधान)

एक महीना और चार दिन हो गये···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मजिस्ट्रेट के सामने है वहां एवीडेन्स पेश कर दीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक महीना चार दिन हो गए, बसन्ती बाई के

XXXमाननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)
बजाय कौन मरा, आज तक सरकार पता नहीं लगा सकी ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : .... डूब मरो...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपा कर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। डेढ घंटा हो गया ..

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस कस्टडी में मरा। जुडिशियल इन्क्वायरी में इनको क्या तकलीफ है...

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। राजस्थान की सरकार को हरिजनों पर अत्याचार नहीं करने दिया जायेगा ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : XXX

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया नियमों का पालन करें। कृपा कर विराज जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य,

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय गृह मंत्री जी बतायें कि क्या बजरंगसिंह को संस्पेण्ड कर दिया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नियमों का पालन करें।

(व्यवधान)

कृपया, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। कृपया समय का ध्यान रखें ...

(व्यवधान)

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : 626 लोगों पर अत्याचार किये, 107 बाहर हैं। यह सरकारी रिपोर्ट है और यह सुनना नहीं

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
चाहते। लाठी चार्ज कर रहे हैं और जिन्होंने मारा है उनकी नौकरी करते हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्या, विराज जाइये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इससे बड़ी डूब मरने की बात नहीं हो सकती....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी..

(व्यवधान).

मैं नियमों का पालन करवाऊंगा।

अंकित न हो ।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष: I have given you much lattitude to express your views and speak., What more do you want. ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : We are thankful.

एक सवाल...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराज जाइये ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार हरिजनों को मार रही है । यह उनको बचा रहे हैं । हालत यह है कि आप हमें बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हैं । हमको लगता है कि हमारे यहां रहने का कोई मतलब नहीं है।....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझसे ज्यादा अधिकार आपको बोलने का किसी ने आज तक नहीं दिया होगा।

(व्यवधान)

XXXX

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं नाम से पुकारूंगा ।

माननीय दाऊदयालजी जोशी । कृपया...

श्री यदुनाथ सिंह : एक सवाल छोटा सा है....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पुलिस के खिलाफ कोई हत्या का चार्ज हो, जैसा आपने कहा, क्योंकि पुलिस के खिलाफ शिकायत है इसलिये कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अगर पुलिस कोई अपराध करे तो क्या उसके खिलाफ इन्वेस्टीगेशन नहीं हो सकता ? और अगर इन्वेस्टीगेशन हो सकता है तो फिर आपको क्या आपत्ति है । इन्वेस्टीगेशन कराने में जैसा सदन में विपक्ष के माननीय नेता महो-

---

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)
दय ने कहा कि इस केस को सी.बी.आई. को जांच के लिये क्यों नहीं देते हैं ? इन्वेस्टीगेशन होने दीजिये। इसका उत्तर दीजिये, इन्वेस्टीगेशन क्यों नहीं करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात को कन्सीडर कर लीजिये···

(व्यवधान)

मैं मजबूर नहीं कर सकता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : मजबूर तो हम कर लेगें, आप हमें बोल लेने दीजिये बस ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिना अनुमति बोलने खड़े हो गये आप ? कृपया बैठ जायें,

(व्यवधान)

बिराज जाइये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री मेघराज तावड़ :XXX

श्री उपाध्यक्ष : 176 की कार्यवाही के पहले सी.बी.आई. की जांच का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री मेघराज तावड़ :XXX

श्री उपाध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो गई, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब चर्चा समाप्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माफी चाहता हूं। अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आप बहुत सीनियर आदमी हैं। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : X X X

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो स्थिति को सुलझाने के लिए बात कह रहा हूं। आपने स्वयं कहा, 176 जिसमें 174 की बात भी आ जाती है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, I am sorry। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हरिजनों पर अत्याचार करते हैं इसके विरोध में मैं और मेरा दल वाक-आउट करते हैं···

(बहिर्गमन)

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई। पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता . . .

(व्यवधान)

आप वही बात दोहरा रहे हैं . . .

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं तो बड़ा कन-फ्यूजन होगा। मेरी एक मिनट की बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त होने के बाद मैं अनुमति नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री यदुनाथ सिंह : अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि थानेदार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया जायेगा। वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो चुकी है, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : गलत जवाब दे रहे हैं। साख खराब कर रखी है, इसे खुद बनायें।

आधे घंटे की चर्चा

राजस्थान नहर निर्माण में बरती गई अनियमितताओं पर रामसिंह आयोग का प्रतिवेदन

[ता. प्र. सं. 74 (4/रा.न.प.)]

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन, श्री सुनील विश्नोई, श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा, राजस्थान नहर के निर्माण कार्यों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं पर रामसिंह आयोग की रिपोर्ट में विरोधात्मक कार्यवाही करने के सुझाव विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 74 (4) रा. न. प. के उत्तर जो दिनांक 8 सितम्बर, 1982 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा उठायेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह दुर्भाग्य है कि एक बहुत ही गंभीर विषय के बाद आज हम इस सदन में दूसरे गंभीर विषय पर आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान नहर के निर्माण में किस तरह की अनियमितताएं हुई और किस तरह सरकारी अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे कर दिये गये। एक तरफ राजस्थान की गरीब जनता राजस्थान नहर के निर्माण के अभाव में पानी की एक-एक बूंद को मोहताज हो रही है, अन्न के दाने-दाने के लिए मोहताज हो रही है और दूसरी तरफ देखना यह होगा कि किस तरह बड़े से लेकर छोटे अधिकारियों ने अपनी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं बना ली हैं और आगे अपनी सात पीढ़ियों तक के लिये बन्दोबस्त

(सुश्री पुष्पा जैन)
कर लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि राजस्थान नहर के निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई हैं, जिनका हवाला श्री रामसिंह आयोग की रिपोर्ट में है। उस रिपोर्ट के हवाले के लिए यह कहा गया है कि श्री रामसिंह आयोग की रिपोर्ट को इस सदन में पेश कर दें पर सरकार ने अस्वीकार किया है। मैं समझ नहीं पाई कि उस रिपोर्ट को इस सदन में पेश करने में इन्हें क्या दिक्कत हो सकती है, क्या अड़चन हो सकती है। यह सर्वविदित है कि इस कमीशन को बैठाने की घोषणा इसी सदन में भूतपूर्व सरकार ने की थी। जब इस सदन में घोषणा कर दी गई तो फिर ऐसी कौनसी दिक्कत थी कि सदन की घोषणा के बाद जो जांच कमीशन बैठा, जांच हुई उसकी रिपोर्ट इस सदन में पेश न हो? यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझती हूं, राज्य मन्त्री महोदय इसे स्पष्ट करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि आज जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास है। मैंने उसे पढ़ा नहीं है फिर भी, अपनी जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह की अनियमितताएं राजस्थान नहर के निर्माण में हुई हैं। इन अनियमितताओं के होने के बावजूद आज तक राज्य सरकार इस विषय में बिलकुल खामोश बैठी है। निर्माण कार्यों में बरती गई बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, जिनको मैं छोटे से समय में, थोड़े से समय में शायद विस्तृत शब्दों में कह भी नहीं पाऊं। उपाध्यक्ष महोदय, कन्स्ट्रक्शन वर्क में भारी घोटाले किये गये हैं। कन्स्ट्रक्शन वर्क जो किया गया है, आज राजस्थान सरकार के विशेषज्ञों, तकनीशियन्स ने स्वयं स्वीकार किया है कि राजस्थान नहर के निर्माण में जितने भी कन्स्ट्रक्शन किये गये हैं वे बिलकुल गलत और बेबुनियाद हैं, उनको वापस कन्स्ट्रक्शन करने के लिये राजस्थान सरकार की करोड़ों रुपये की लागत आयेगी। यह बड़े खेद की बात है। एक चीज जिसे हम बनाते हैं, जहां हम अपने घर में एक दीवार भी बनवाते हैं तो देखभाल कर ही बनाते हैं ताकि पैसा फिजूल खर्च न हो, वहां राज्य सरकार के कोष का करोड़ों रुपया खर्च हो गया इतनी बड़ी चीज बनाने में आपका टैक्निकल स्टाफ बिलकुल बेकार है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने समय तक क्यों चुप बैठे रहे? क्यों जांच नहीं हुई? क्यों किसी ने देखा नहीं? महज बनता ही गया, बनता ही गया। प्रथम चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण आरम्भ हो गया उसके बाद अब अधिकारी कह रहे हैं कि जितना कन्स्ट्रक्शन वर्क हुआ वह सारा का सारा बेबुनियाद है, उसके बनाने का कोई सबब ही नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं, आखिर क्यों इस तरह गरीब जनता का पैसा खराब कर दिया गया? क्यों उन अधिकारियों को बैठाया? क्या परेशानी थी उन्हें? आखिर अधिकार क्या था उन अधिकारियों को इस तरह का कन्स्ट्रक्शन कराने का? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हिसाब दिया गया, उसमें करोड़ों रुपये पेड़ लगाने का व्यय दिखाया गया। मैं बताना चाहूंगी, मन्त्री महोदय; रोजड़ी, अरायावाली, छत्तरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी सावा माइनर आदि नहरों के किनारों पर एक भी पेड़ नहीं लगा है। उपाध्यक्ष महोदय

(सुश्री पुष्पा जैन)

मुझे खुशी है कि अभी राजस्थान सरकार का मन्त्रिमण्डल, जिसमें मुख्य मंत्री स्वयं शरीक थे, ने दौरा किया। मैं समझती हूं, निश्चित रूप से उन्होंने वहां पर मुआयना किया होगा और पाया होगा कि वहां एक भी पेड़ नहीं है। बावजूद इसके आप, मन्त्री महोदय, अगर हिसाब देखेंगे तो पायेंगे, लाखों ही नहीं करोड़ों रुपया इन पेड़ों पर व्यय होना दिखाया गया है। क्यों, किसलिए ? ये पेड़ कहां गायब हो गये ? हवा खा गयी, पानी खा गया, जमीन निगल गई, कहां चले गये ? उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो काछवाला कन्स्ट्रक्शन वर्क दिखाया गया, उसमें किस तरह करोड़ों रुपयों की हेराफेरी हुई है, मैं बताना चाहूंगी। शेरपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी तथा उससे निकलने वाली अरायावाली माइनर, काछवाला माइनर, भुट्टोवाली माइनर, चारणवाली माइनर, माडूरी माइनर, छत्तरगढ़ माइनर, लूणकरणसर ब्रांच तथा मुख्य नहर, इन सब में जो निर्माण कार्य किया गया, उनमें करोड़ों रुपये के घोटाले है। आपने स्वयं उस जगह का मुआयना किया और आपने स्वयं इस पर एक पेपर भी तैयार किया है। मुझे नहीं मालूम की स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा है लेकिन निश्चित तौर से मैं विश्वास करती हूं कि आपकी जानकारी में वे सारे तथ्य होंगे। यदि आपकी जानकारी में सारे तथ्य हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप अब तक खामोश क्यों बैठे हैं। मैं समझती हूं कि आप जब जवाब देंगे तो निश्चित रूप से इन सारे तथ्यों को उजागर करेंगे और बतायेंगे कि इतनी सारी अनियमिततायें होने के बावजूद राज्य सरकार क्यों खामोश रही। आखिर आपके ऊपर ऐसा कौन सा ताला था जो आपको मजबूर कर रहा है कि आप इस स्थिति को उजागर नहीं करें ? उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं फर्जी मस्टर रोल भरे गये। लाखों नहीं करोड़ों रुपये फर्जी मस्टर रोल में खर्च होना दिखाये गये हैं। ऐसे नाम जो दो-दो जगह दर्ज थे, उनके नाम फर्जी मस्टर रोल में दर्ज करके पैसा दे दिया गया। कई लोग ऐसे थे जो ठेकेदारों का काम कर रहे थे, उनको राज्य सरकार के कोष से, फर्जी मस्टर रोल से पैसा दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, एक जो बहुत ही खेद का विषय है, बड़े दुःख का विषय है लेकिन मैं बताये बिना नहीं रह सकती। 1977 में फर्जी मस्टर रोल बने और 1977 में इस कोष का पैसा लोक सभा के चुनाव में, चुनाव के पेटे दे दिया गया। आखिर क्यों ? राज्य मन्त्री महोदय, मैं समझती हूं, यह रिफलेक्शन है सभी पार्टियों पर निश्चित रूप से। हम जानना चाहेंगे, ऐसी कौनसी राजनैतिक पार्टी है जिसे 1977 के लोक सभा के चुनाव में इस कोष से पैसा दिया गया ? क्यों और किसलिए दे दिया गया ? उपाध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट और ईंटों की बहुत बड़ी मात्रा में चोरी हुई, जो कन्स्ट्रक्शन वर्क किया गया उसमें सीमेण्ट नहीं लगाया गया, नहीं के बराबर लगाया गया और सीमेन्ट की चोरी करके बाजार में बेची गई, ईंटों की बाहर निकासी की गई, उसमें बहुत बड़ी अनियमितताएं पायी गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि पूगल डिवीजन के प्रथम खण्ड का जो हिसाब दिया गया, उसकी जांच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 20 बोरी सीमेन्ट प्रति सौ बोरी पर कम दिया गया है, इस प्रकार कुल मिलाकर 60 हजार बोरी कम कर दी, जिसका लागत मूल्य लगभग

(सुश्री पुष्पा जैन)

13 लाख रुपये होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो महज एक छोटा सा उदाहरण दिया। इस तरह से कितने बड़े घपले कितनी तादाद में हुए होंगे, मन्त्री महोदय इसे आप निश्चित रूप से स्पष्ट करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नाम क्या फर्माया ?

सुश्री पुष्पा जैन : पूगल डिवीजन। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं प्रत्येक भट्टे पर दो से पांच लाख तक की हेराफेरी हुई लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं था। आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इतनी बड़ी तादाद में काम हो रहा है, इतना लम्बा चौड़ा अधिकारी वर्ग वहां डेप्यूट कर रखा है। आखिर किसलिए ? वे वहां पर क्या कर रहे हैं ? इतने बड़े प्रोजेक्ट की समय-समय पर कोई जांच नहीं की गयी। और जांच की गयी तो इतनी बड़ी अनियमिततायें लगातार होती चली गईं, एक के बाद एक। आखिर किसलिए, क्यों ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले कहा था कि एक तरफ गरीब जनता पानी और दाने-दाने को मोहताज है, दूसरी तरफ यह सारी अनियमिततायें बरत कर हमारे अधिकारियों ने बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बहुत बड़े भवन शार्दुलगंज कालोनी, बीकानेर में बना लिये। यह भवन किस तरह बन गये और क्यों बन गये, इसको मैं नहीं समझ पायी। सबसे बड़ी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने, छोटे-छोटे अधिकारियों ने भवन बनाये, वे यहां के नहीं बाहर के हैं उसके बावजूद उन्होंने यहां भवन खड़े कर लिये। इतनी बड़ी मात्रा में डीजल,पैट्रोल,पाइप, टीनशेड में करोडों का घपला हुआ, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्यों में जो टाइलें लगायी गयीं, मन्त्री महोदय, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि किस तरह से टाइलें लगायी गयी हैं। प्रथम पंक्ति में टाइल्स के टुकड़े लगाये गये। जब कि टेक्निशियन्स वहां लगाये हुए थे, उसके बावजूद वहां टाइल्स के टुकड़े लगाये गये। दूसरी पंक्ति में बुनियाद का अन्तर रखा गया जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, उन्हें वापस उधेड़कर लगाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ा खेद का विषय है कि वहां जो खाले बनाये जाने थे, उन खालों को बनाया ही नहीं गया और विश्व बैंक से बहुत बड़ी धनराशि उठा ली गयी। बाद में वहां के जमीन के मालिकों से वह खाले खुदवाये गये।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं समाप्त कर रही हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर में जब इतने बड़े घोटालों की रिपोर्ट सरकार को मिली, विधान सभा में हंगामा हुआ, तो मैं आभारी हूं उस सरकार की जिसने रामसिंह आयोग को इसकी जांच कर रिपोर्ट तैयार करने हेतु बैठाया। अब रिपोर्ट, मन्त्री महोदय, राज्य सरकार तक पहुँच चुकी है, बावजूद इसके उसको आज तक पेश नहीं किया गया, कोई कार्यवाही नही की गई। आपको पता है, उसका अन्जाम क्या हो गया ? कई आफिसर रिटायर हो गये, जिन पर अनियमितताओं के आरोप हैं, कई आफिसर्स के प्रमोशन हो

(सुश्री पुष्पा जैन)

गये, जिन पर अनियमितताओं के आरोप हैं, कई आफिसर वहां पर कार्यरत भी हैं जिन पर अनियमितताओं के आरोप हैं, आखिर क्यों? उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जो मैंने कहा,

(1.38 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

सवाल के रूप में पूछना चाहूंगी, कृपया जवाब दें। रिपोर्ट आने के बाद कितने लोग रिटायर हो गये जिन पर चार्जेज थे? कितने लोग ऐसे हैं जिन पर करीब हर रिपोर्ट में चार्जेज होने के बावजूद भी अभी तक कार्यरत हैं, और कितने लोगों को प्रमोशन दिया गया? यह तीन सवाल हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप अपने जवाब में खास तौर से इन तीन सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।

/

श्री अध्यक्ष : देवी सिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, रामसिंह आयोग की रिपोर्ट के बारे में अगर...

श्री अध्यक्ष : आधा घन्टे का ही समय निर्धारित है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य-मुख्य मुद्दे ही रखूंगा। रामसिंह आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी जाती और वह तथ्य इस सदन के सामने आते तो इस चर्चा और विषय के निर्णय पर हम पहुंच पाते कि वास्तव में इस नेशनल प्रोजेक्ट में कितने बड़े घोटाले हुए। करोड़ों रुपयों के और वह सारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त बराबर यह शिकायतें मिलीं, जिनके ऊपर जनता सरकार ने, मुख्य मंत्री महोदय ने, भूतपूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिहजी शेखावत ने घोषणा की कि अगर इस प्रकार की अनियमिततायें राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अन्दर पाई जा रही हैं तो मैं घोषणा करता हूं, एक आयोग गठित करता हूं, और रामसिंह आयोग, अध्यक्ष महोदय, 78 में गठित हुआ। अध्यक्ष महोदय, दुःख की तो यह बात है कि 78 के बाद में चार साल गुजरने के बाद भी रामसिंह आयोग रिपोर्ट, जिसकी सिर्फ छः माह की अवधि तय की थी, अभी तक सदन के सामने पेश नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, जैसा की मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया था, इसके अन्दर करीब दो सौ ढाई सौ अभियंता दोषी पाये गये हैं, जो आयोग की रिपोर्ट आई, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जब आपको आयोग की रिपोर्ट मिल गई, तथ्य सामने आ गए, आपने कहा है कि आपने एस. सी. सी. को पत्र लिखे हैं कि वे इसको देखें, तो क्यों नहीं आपने इसके आधार पर, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केस रजिस्टर कराये? क्या आपने एक भी अभियंता को आज तक सस्पेंड किया, या किसी के खिलाफ आपने विभागीय कार्यवाही की? नहीं की, अध्यक्ष महोदय। प्रतिवेदन के बारे में हमने बार बार पत्र लिखे, हमने प्रश्न उठाये कि जो प्रतिवेदन है, जो शिकायतें हैं, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की है वह हमें बता दें, तो उसे छुपाने का क्या कारण था? छुपाने का क्या कारण बता रहे हैं कि यह जनहित में ठीक नहीं है। क्या भ्रष्टाचार को बताना जनहित में ठीक नहीं है? भ्रष्टाचारियों के खुले कबाडे

(श्री देवीसिंह भाटी)

आप खुद देखिये; यह पत्र पढ़कर देख लीजिए। राजस्थान कैनाल को बर्बाद कर दिया है। मैं कहता हूं, मंत्री महोदय, आप ध्यान देकर सुन लें। अगर कभी भी यह नहर फुल कैपेसिटी से चल जांय तो आप जो मर्जी आए और जनता के आदमी और आप जो सजा दे देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। मैं चैलेंज करता हूं। आप स्वयं जानते हैं फिर भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है, जब आपके पास रिपोर्ट आ गई, अध्यक्ष महोदय, जब आपके सामने तथ्य आ गए कि इन–इन अधिकारियों ने ये-ये कवाड़े किए हैं। उसमें गवाहियां हुई हैं, सब सबूत दिए गए हैं और इसके उपरांत भी, अध्यक्ष महोदय, चार साल हो गए हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री, जो भारत की हैं, स्वयं चिंतित हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसके लिए बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। इतना बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट, जो राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट है, को सही और समय पर बनाया जावे। परंतु सरकार तो इसके बारे में कतई कुछ नहीं कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर ऐसी शिकायतें की गई हैं जैसे कि जब मिट्टी का कार्य होता है, तो उसके अन्दर ठेकेदारों को टेंडर्स के द्वारा ठेके दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर भट्टे भी बनाए जाते हैं परन्तु सबसे पहले तो आती है मिट्टी, अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान कैनाल बनने लगी तो उसके अन्दर मिट्टी का कार्य हुआ, उसके अन्दर बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिये जाते हैं शिड्यूल के अन्दर कि कितना आप कम्पेक्शन करेंगे मिट्टी का परन्तु उस मिट्टी का कम्पेक्शन कहीं भी सही नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हालांकि वहां इंजीनियर्स को रहना जरूरी है, चाहे जे. ई एन. हो, ए ईएन. हो, एक्स. ई एन. हो और इसके अन्दर अध्यक्ष महोदय, अलग से क्वालिटी कण्ट्रोल विभाग और अलग से खोल रखा है, डिविजन अलग से है। वह इस क्वालिटी का कण्ट्रोल करेगा कि क्वालिटी सही है या नहीं है। क्वालिटी कण्ट्रोल वाले भी वहां मौजूद रहते हुए भी यह अनियमिततायें क्यों हुई हैं? परन्तु क्वालिटी कण्ट्रोल वाले अधिकारियों के खिलाफ, एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। जब तक मिट्टी का कम्पेक्शन सही नहीं होगा, चाहे वह छोटी सी नाली बनायें, चाहे मिट्टी का मकान बनाते समय मिट्टी की भराई सही नहीं करते हैं तो वह मकान भी छोटा-मोटा हो जाता है, बैठ जाता है और आप यह सोचते हैं कि 18 हजार क्यूसेक की कैपेसिटी की राजस्थान मैन कैनाल इस कम्पेक्शन के सही नहीं होने की वजह से क्या पूरी चल जायेगी। कतई नहीं चल पायेगी। आज तक आपकी और कई भी कैनाल हैं। मैं चैलेंज करता हूं, जितनी कैपेसिटी उनकी है और आज तक जो चल रही है उसमें फुल कैपेसिटी से पानी आज तक नहीं छोड़ा गया और न ही, अध्यक्ष महोदय, आगे छोड़ पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मिट्टी का कम्पेक्शन सही नहीं है। उसके उपरान्त, अध्यक्ष महोदय, जब मिट्टी का ही कम्पेक्शन सही नहीं है तो उसके बाद में टाइल्स के द्वारा इसकी चुनाई करते हैं, उसके लिए उन्हें भट्टे आवंटित किए गए कि फलां-फलां जगह ये भट्टा लगायेंगे। और भट्टों के अन्दर उसके लिए यह

(श्री देवीसिंह भाटी)

निर्धारित किया गया कि काळुवाला से आप यह चिकनी मिट्टी लायेंगे और उसके साथ में यह जो लोकल मिट्टी है वह मिला कर टाइल्स तैयार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उन शिकायतों में स्पेसिफिक दिया गया और जगह बताई कि वहां से उनको जिस साइट से मिट्टी लानी थी, मिट्टी उन्होंने वहां से उठाई, उनको जिस लीड डिस्टेंस से पेमेंट मिलता है इसलिए उन्होंने वहां से मिट्टी उठा कर कहीं एक मील, कहीं दो मील पर, कहीं आधा मील पर सारे ट्रक खाली कर दिए। इसके बाद में जब शिकायतें हुईं तो इसके बारे में यह बताया गया कि साहब हमारे ट्रक खराब हो जाते हैं इसलिए बीच में छोड़ दिये गए। परन्तु क्योंकि इसके अन्दर पैसा था, जब इंजीनियर्स थे, मिट्टी को उठाने के अन्दर पिट खोदे जाते हैं तो उस वक्त मौके पर नाप तौल कर के किसी तरह से पेमेंट हो जाता है, साइट के अन्दर पहुंचाया नहीं है। अध्यक्ष महोदय ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपकी बात की ताईद करता हूं। यह ठीक तरीका है कि वहां से मिट्टी उठाकर वहीं पर मिट्टी डाल देते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यही नहीं, इंजीनियर्स उनके बिल बना कर उसके पेमेंट कर देते हैं और साइट के ऊपर मिट्टी जो चिकनी है, लोकल मिट्टी के साथ मिला कर जो टाइल तैयार होनी चाहिए थी वह तैयार नहीं हुई। वह तैयार नहीं होने से, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि लोकल मिट्टी चिकनी नहीं है, रेतीली ज्यादा है उसकी वजह से टाइल्स सही बनी नहीं और उसके साथ यह भी आता है कि सही मिट्टी नहीं होने से कच्ची टाइल्स तैयार करके भट्टे में पकाई जाती है। तो पकाने के लिए जो कोयला आवंटित होता था, अध्यक्ष महोदय, वह कोयला आवंटित होकर उन्होंने उठा लिया और सीधा वहीं का वहीं बीकानेर में ही जिसको ब्लैक में देना था उनको दे दिया। स्पेसिफिक उनके बारे में शिकायतें की हैं, सैकड़ों शिकायतें मिली कि फलां-फलां व्यक्ति को, किस ठेकेदार को इतना कोटा आवंटित किया और वह साइट पर नहीं पहुंचा। कोयला जब आप पूरा लगायेंगे नहीं, उस कच्ची टाइल्स को पूरा पकायेंगे नहीं तो वह टाइल्स चलेंगी कैसे ? इसकी वजह से जो कोयला ब्लैक में गया उसकी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, जब टाइल्स सही नहीं बनेंगी, टाइल्स जब पक्की नहीं होंगी तो उसको बाद में जब आप नहर में लगायेंगे, जैसा पूर्व में ही सुश्री पुष्पाजी ने बताया कि इसके अन्दर जैसे ही टाइल्स भट्टे से जायेगी साइट के ऊपर जहां कैनाल है साइट पर उसको ट्रक से खाली करेंगे। जैसे ही वह नीचे डाली उसके दो-दो, चार-चार टुकड़े हो जाते हैं। अब जो टाइल्स थी उनकी गिनती हो गई कि इतनी टाइल्स पका दी गई और वह कच्ची टाइलें हैं उनको जो फर्स्ट लेयर है उसके अन्दर फटाक से उन्होंने जो टाइल्स के टुकड़े थे उनको नीचे डाल दिये। जब टुकड़े डाल दिये तो जब पानी आएगा वह रुकेगा। कैसे जब उसके अन्दर साइडिंग में जितना भी प्लास्टर करता है सीमेंट से, जो

(श्री देवीसिंह भाटी)
मोरटार होता है, उसकी वजह से टिक नहीं पायेगा पानी। नीचे तो लगायेंगे टुकड़े और दिखाने के लिए ऊपर से एक लाइन और कर दी, पूरी टाइल की।

श्री अध्यक्ष : इसमें टुकड़ों के बीच में जगह रह जायेगी उसमें सीमेंट भरना पड़ेगा। इतनी सीमेंट का खर्चा और हुआ।

श्री देवी सिंह भाटी : वही तो चक्कर है, अध्यक्ष महोदय। अगर टुकड़ों में सीमेंट डालें तो सीमेंट का बाद में जो पैसा मिलता है वह फिर और कम हो जाएगा। इसलिए ठेकेदारों ने यह भी किया कि जैसे ही टुकड़ा वहां लगाया उसमें सीमेंट कम लगाई गई। जितनी सीमेंट नियत की गई थी दो वटा चार के रेश्यो से अलग अलग राजस्थान मैन कैनाल के लिए अलग है, ब्रांच के लिए अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स के लिए अलग अलग रेश्यो तय कर रखे हैं. उस हिसाब से उसमें सीमेंट लगेगी। वह सीमेंट भी गई ब्लेक में सीधी, अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार से आज राजस्थान मैन कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांचेज की हालत यह हो रही है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज आपको शंका क्या है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में? क्यों आप डर रहे हैं? आप खुलासा कह दीजिए। आपको रिपोर्ट मिली है, आयोग की रिपोर्ट मिली है। उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी कबाड़ा हुआ। मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। इसके अन्दर मैकेनिकल डिविजन भी था। मैकेनिकल सर्किल है। उसके अन्दर करोड़ों रुपयों की मशीनें खरीदी गई थीं, आयातित मशीनें और यहां देश में बनने वाली मशीनें। जो उनके पार्ट्स बाद में जब रिपेयर के लिए और उनको जोड़ने के लिए चाहिए तो उनके बड़े बड़े जिसको कहना चाहिये ठेकेदार हैं, बाजार में अगर दर किसी चीज की है, चाहे वह बैयरिंग है बाजार में उसकी दर अगर साठ रुपया है तो उनको साढ़े पांच-पांच सौ रुपये की उनको रेट देकर भुगतान किया है। बाजार में साठ रुपये हैं और उनको दे रहे हैं साढ़े पांच सौ रुपये पर बैयरिंग। इस प्रकार से कबाड़े हुये हैं करोड़ों रुपयों के। जनता को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, अध्यक्ष महोदय। मैकेनिकल डिविजन के अन्दर आप जांच कीजिए वह मशीनों के जो वहां के स्टोर के अन्दर पार्ट हैं जो साइट पर मशीनें हैं जहां कहीं पर स्टोर के अन्दर जितनी रिसीट हुई, क्या आज के दिन भी वह वहां मौजूद हैं? अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। जैसे हमारी एक टेस्ट लिफ्ट कैनाल है। लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल है उसकी कैपेसिटी 568 क्यूसेक है। यह करीब करीब पूर्ण हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, और उसके लिए किसानों ने इतनी ज्यादा शिकायतें की, क्योंकि उनके खेतों में खाले बनने थे इसके लिए किसान खुद इन्ट्रस्टेड थे। शिकायतें तो दूसरे भी करने वाले थे लेकिन वे खुद भी थे, उन्होंने शिकायतें कीं कि साहब यह कैनाल सही नहीं बन रही है, इसके अन्दर मिट्टी गलत लग रही है। इतना इतना हुआ है कि एक तो इसमें आप जानते हैं अपने घर में कोई काम बनायें, चाहे खाला बनायें, चाहे नाली बनायें, चाहे बड़ा नाला बनायें, चाहे मकान बनायें जो मुख्य कारीगर होता है वह भी सही लेवल लेकर आंगन बनाता है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल में महाजन के पास आर.डी. 150 से लेकर 172 के बीच, सवा चार मील तक तीन फीट ऊंचा लेवल बना दिया। नहर चल रही है, अब पानी कहां से आयेगा। उसको बना कौन रहे हैं, जो माने हुये इंजीनियर कहलाते हैं, वहां एक्स.ई.एन., ए.ई.एन. मौजूद हैं उसका तीन फीट लेवल ऊंचा बन जाये। बनाना तो चाहिए पानी के हिसाब से, परन्तु वह न होकर तीन फीट ऊपर बना दिया। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उल्टे उसको दुबारा तैयार करने के लिये 80 लाख रुपये राज्य सरकार ने मंजूर किये हैं कि आप कैनाल दुबारा तैयार करिये। यह कब तक बनती रहेगी, कब किसानों को पानी मिलेगा बड़ी चिन्ता की बात है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जो कैनाल और भी हैं- जैसे पूगल ब्रांच है, हाल ही में हमारी केबीनेट, मुख्य मंत्री महोदय उसको देख कर आये हैं। उन्होंने वहां देखा और चीफ सैक्रेटरी ने उसी वक्त जो कैनाल बनने जा रही थी उसको नहीं बनाने के लिए मना किया, लैटर लिखा यह कैनाल आप नहीं बनायें। क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुंडे हैं, कमांड एरिया बहुत कम है इसको आप नहीं बनायें। इतना होते हुए, निर्देश सरकार की ओर से होते हुए भी जबर्दस्ती इंजीनियर्स ने कैनाल को बना दिया। आज स्थिति यह है कि पूगल कैनाल कम्प्लीट है। उससे इरिगेशन टोटल एक पर्सेन्ट ही हो रहा है। अब आप एक तरफ कहते हैं क़ाश्तकार जाते नहीं हैं, बसते नहीं। बसें क्या, पीने को पानी नहीं मिलता है, आप कैनाल से पानी नहीं छोड़ते। केबीनेट के मंत्रीगण और चीफ मिनिस्टर देखकर आये हैं, उसके आधार पर एक एस.ई., दो एक्स.ईएन. और ए.ईएन. को सस्पेण्ड किया है। इस बात के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कम से कम वे साइट पर गये, इंटीरियर में गये, किसानों से मिले, नहरों में सील्ड भरी थी, फर्जी मस्टररोल बनाकर रिशील्डिंग के लाखों रुपये वहां उन लोगों ने लिये, वे तथ्य सामने आये, उसके आधार पर मुख्य मंत्री महोदय ने यह निर्देश जारी किये और उन अधिकारियों को सस्पेण्ड किया। अध्यक्ष महोदय, पूगल ब्रांच है जहां पर चूरू, बीकानेर और जोधपुर के लोगों को जमीनें आवंटित हुई हैं। वे मेहनती किसान वहां गये, मेहनत से काम किया, परन्तु पानी की कोई सुविधा नहीं, जब शिकायत की गई तो पानी उनको दे दिया। फिर भी पानी पूरी कैपेसिटी से नहीं मिला, क्योंकि खाले गलत बने थे। हालत यह है कि सिंचाई करना तो दूर, क्योंकि ऊंचा लेवल होने से पानी सारा बह गया, पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। वहां आज जो मेहनती किसान जाते हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार रोजड़ी डिस्ट्रीब्यूट है। उसका लेवल आर.डी.-24 से 31 तक गलत बना दिया गया है। यह रोजड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी मंत्री महोदय आप ध्यान रखें। इसी पूगल ब्रांच की खरुला डिस्ट्रीब्यूटरी है। अध्यक्ष महोदय, 204 आर. डी. से उसका लेवल गलत बना दिया गया। अगर लेवल ही सही नहीं है तो पानी आगे कैसे जायेगा।

श्री भैरों सिंह शेखावत: लेवल मेन कैनाल से ऊपर है।

श्री अध्यक्ष : वह मेन कैनाल किधर है बनाने वालों को शायद पता ही नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैनाल का जो बेड है उससे ऊपर ज्यादा उठाने का बैल्ट बना दिया।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने समझा कैनाल ईधर होगी, और उन्होंने समझा उधर होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : सही फर्माया।

श्री अध्यक्ष : बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें ऐसी गलती हो जाती है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बादलवाली डिस्ट्रीब्यूट्री है उसमें भी 35 आर. डी. के आगे लेवल ऊंचा है।

श्री अध्यक्ष : अब एक बात पर और आपकी राय लेंगे। बाकी आपने सब कह दिया कुछ उदाहरण भी दे दिये। यह मिट्टी का काम हुआ है यह तो ठीक हुआ है उसमें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यही तो सबसे बड़ी बात है।

श्री अध्यक्ष : सबसे बड़ी बात पर सबसे पहले आओ ना आप।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं उसी के ऊपर निवेदन कर रहा था, मिट्टी का मैं निवेदन कर रहा था। ठेकेदार को काम दिया जाता है। मिट्टी का जो कार्य है इसका सीजन काम करने का गर्मियों के अन्दर होता है, उससे पहले लोग वाग नहीं पहुचते हैं। मिट्टी वहां ले जाकर डाली गई, कैनाल की जो साइट तैयार करनी है। उसके बाद कितनी डाली, क्या डाली यह इंजीनियर और उन ठेकेदारों के बीच होता है। मन्त्री महोदय, ध्यान से सुनिये वहां मिट्टी डाल दी और पेमेंट भी हो गया। बाद में कारण यह बताया जाता है कि आंधियां चल रही हैं रेत उड़ गई। उसको जब भी वे डालते हैं कोई इंजीनियर उसको टेस्ट नहीं करता है। कितनी मिट्टी डाली गई है, सही डाली गई है या नहीं; इसका कम्पेक्शन सही हुआ या नहीं, पानी उसके अन्दर डाला या नहीं। जब जाकर वह तैयार होती है, उसके पहले यह सारा होता है। परन्तु साइट पर जो बोरोबिड्स है, वहां भी यह बता दिया जाता है कि उसके अन्दर रेत आ गयी, पूरा नाप नहीं सकते हैं। फीता लगा दिया इन्जीनियर ने और जो पेमेन्ट करना है उसका बिल बना दिया। इस मिट्टी के कार्य में आप ज्यों-ज्यों आगे चलेंगे, भीखमपुर से आगे नाचना, फलोदी साइट में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसके लिये मैंने स्वयं ने स्पेसिफिक जाकर जांच की है और जांच के लिये शिकायत भी कि परन्तु एक भी जांच नहीं हुई। ठेकेदार पेमेन्ट लेकर गायब है। इनके पास कुछ नहीं है। फाइनल पेमेन्ट दस दिन रोका जाता है, वह भी हो गया। अब कार्यवाही किसके खिलाफ हो, अब बच गये इंजीनियर्स। इंजीनियर्स के खिलाफ कतई कार्यवाही नहीं हो रही है, अध्यक्ष महोदय। मिट्टी जितनी डलनी चाहिये उतनी डाली नहीं, लेवल जितना ऊपर उठना चाहिये उतना उठाया नहीं। मंत्री महोदय अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र की जनता प्यासी मरेगी। इस पानी के भरोसे उनके ट्रेडीशनल सोर्स हैं वे सारे खतम हो जायेंगे। जो कुए हैं, कुण्डे हैं, उनमें वे पानी इकट्ठा करते हैं।

(श्री देवीसिंह भाटी)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस क्षेत्र में जायें, दौरा करें, जिन इंजीनियर्स ने घोटाले किये हैं, जो निश्चिन्त हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। क्योंकि ठेकेदार और इंजीनियर्स साइट पर जाते नहीं हैं, इसलिये आप जाइये। वहां मौके पर देखिये कि कैनाल सही बन रही है या नहीं। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें वरना उस क्षेत्र के आदमी प्यासे मरेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इसका रिजल्ट थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार गलत कंस्ट्रक्शन कार्य जो हुआ है उसका रिजल्ट क्या होगा? यह आर. डी.--909 का एक उदाहरण देता हूं। मंत्री महोदय को इसकी पूर्व में फोटो दी थी। अध्यक्ष महोदय, यहां क्या हुआ, पायलेट लेवल चलती है बराबर में कच्ची बनी हुई है। नहर कंस्ट्रक्ट करने के लिये जो पानी लाया जाता है, इससे पानी सीपेज होता है मानते हैं। वह सीपेज होकर क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय, वह तो खुले में आ गया, उधर मेन कैनाल पक्की कंस्ट्रक्ट हो गयी। उसमें पानी नहीं छोड़ा गया और बराबर के लेवल में जो उसका बैड लेवल है मेन कैनाल में उसमें पानी मात्र डेढ़ दो फीट ऊंचा था, अब वह बाद में पानी सीपेज होकर क्योंकि इतना बड़ा था, साइट की जो मिट्टी डाली हुई है, उसके बाद डबल टाइल लगाई गई है, सीमेंट लगाई गई है, उसके बाद बाहर से वह पानी सीपेज होकर 2-आर.डी. लम्बा करीबन आधा-आधा मील तक उसके अन्दर पानी भर गया। मेन कैनाल के बाहर से आकर। जब वह मैंने जाकर एडिशनल चीफ इंजीनियर को बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हो गया और जब मैंने बताया, यह तो बहुत बड़ा ब्लण्डर होगा। ऐसा हो गया तो यह नहर कैसे चलेगी। मैंने कहा, यह तो आपके सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैंने जो फोटो दी थी, उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जैसे ही एडिशनल चीफ इंजीनियर को यह पता चला कि यह बात आगे जायेगी तो उन्होंने तीसरे दिन पानी छोड़ दिया। अब सबूत रहे कहां, परन्तु सबूत मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, उसका सीपेज होने से कई जगह ऐसी हालत हुई है। मंत्री महोदय अभी बीकानेर क्षेत्र में दौरा करके आये हैं, उसके अन्दर आर.डी. गिनाऊं तो बहुत ज्यादा है। मेन कैनाल के ऊपर, साइड के ऊपर आर. डी. 794 से आगे आप चलते जायें दो-दो, चार-चार आर.डी. के बाद वाटर लोगिंग के कारण झीलें बन गई हैं, इससे आज मेन कैनाल को खतरा है। जहां यह शर्त थी कि आप कैनाल में जब मिट्टी उठायेंगे तो पचास फीट से अधिक बोरोबिड्स नहीं खोदेंगे परन्तु वे बोरोबिड्स तीन चार फीट से अधिक गहरे नहीं खुदे होंगे और जहां नहर बनानी थी, वहां से मिट्टी उठा ली। उसका कारण मंत्री महोदय, मंत्रिगण, जानते हुए, उस दौरे पर गये। जगह-जगह झीलें बन रही हैं। यह रिपोर्ट जो पूर्व में सर्वे हुई थी, दुबारा निकाल कर देख रहे हैं। उस वक्त सर्वे रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हां, वह सिस्टम मिसयर है। इसके अन्दर जैसलमेर के पीले पत्थर की लहर दी गई है।

(श्री देवीसिंह भाटी)
यह पानी आज इस नहर में चढ़ेगा क्योंकि आप बाद में जो मिट्टी डाल रहे हैं, इसके अन्दर जो रद्दी मेटीरियल है, पानी नीचे जायेगा सीपेज होकर, वह नीचे जाकर बढ़ेगा नहीं वाटर लौगिंग होगा और यह जमीन 30-35 साल बाद बिल्कुल बेकार हो जायेगी, किसान बरबाद हो जायेंगे। किसी ने इसके लिये सोचा नहीं। आर.डी. 860 पर आपको सबसे ऊपर हैड बनाना था, वह आज तक, ढाई साल तक नहीं बनाया। बनाये कैसे, जैसे ही खोदे पानी आ जाये। इन्जीनियर्स को हो गई मुश्किल। जोधपुर के एक्सपर्ट इन्जीनियरिंग कालेज से राय लेकर आए, बाहर से राय लेकर आये, तब जाकर वह नहर तैयार हुई है। कुएं खोदे गये, पम्प करके पानी बाहर निकाला गया, तब जाकर हैड बना। सिस्टम चालू हुआ। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार ज्यों-ज्यों आगे नहर ले जा रहे हैं जो पीछे बनी है, जो मैंने एडजोर्नमेंट दिया था जैसा कि सूरतगढ़ के पास वाटर लौगिंग के कारण झीलें बन गई हैं। हालत बहुत खराब है। किसान बरबाद हो रहे हैं, आबाद कौन हो रहा है? वह इन्जीनियर। आप बीकानेर, सादुलगंज कालोनी के अन्दर, कहीं भी मोहल्ले में चले जायें; इन्होंने सीमेंटेड कोठियां खड़ी कर रखी हैं। आखिर तकलीफ होगी, भुगतेगा किसान; मौज कर रहा है इंजीनियर। खालों की हालत यह है कि उनके अन्दर आप पानी छोड़ भी नहीं सकते। आप जामसर डिस्ट्रीब्यूटरी में आज तक पानी नहीं छोड़ पाये, छोड़ेंगे कैसे? हकीकत में ऐसा है। इसके लिये शिकायतें हुईं, अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को लेकिन उन इन्जीनियर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और जामसर खाले में...

श्री अध्यक्ष : खाले में पानी क्यों नहीं जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी छोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत पानी जाये तो भी जगह-जगह रेत भरी हुई है। डी-शिल्टिंग होता नहीं, उसके लिये फर्जी मस्टररोल बनाकर पैसा ले लेते हैं। इसके उपरान्त जो खाला बन गया उसका न तो मिट्टी का सही कम्पैक्शन हुआ, टुकड़े लगा दिये टाइल्स के, वो भी सिर्फ मिट्टी के अन्दर, वहीं से उठाई मिट्टी और वहीं लगा दी। सीमेंट की एक परत भी कोई प्रूव कर दे तो जो सजा देंगे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। काफी पर्याप्त हो गया। इतने पर हो जायेगा तो भी बहुत सुधार हो जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फिर मैं सवाल पूछूंगा तो इनको और आयोग गठित करना पड़ेगा। पूर्व में रामसिंह आयोग ने जो रिपोर्ट दे दी है। हम कहते हैं विभाग का इन्होंने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें है कि एक क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन है। वह इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करता? आज तक एक भी क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई? कतई नहीं, अध्यक्ष महोदय। इन्होंने प्रगति विवरण में कह दिया कि इतना क्षेत्र सिंचित करेंगे। इन्होंने बताया कि 5.33 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 100 प्र.श. सघन सिंचाई करना प्रस्तावित है। इधर

(श्री देवीसिंह भाटी)
राजस्थान कैनाल वाले यह रिपोर्ट देते हैं और उधर उपनिवेशन विभाग ने अपने प्रगति प्रतिवेदन में बताया है कि....

श्री अध्यक्ष : इस विस्तार में न जाइये। यह अन्य किसी अवसर पर। अलग प्रश्न हो जायेगा। आज तो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के बारे में है।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर भ्रष्टाचार के रिजल्ट भी तो आयेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : रिजल्ट तो बहुत लम्बे चौड़े होंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : बस, अध्यक्ष महोदय, एक ही लाइन में। कोलोनाइजेशन वालों ने माना है कि 12.58 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसका मतलब जितनी चाहते थे उतनी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी है। परन्तु मौके पर, स्वयं मंत्री महोदय जानते हैं कि आज तक पूरी सिंचाई किसी सिस्टम से नहीं हो रही है। इसके रिजल्ट ये आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, जब इतना बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपया लग गया, एस्टीमेट से 10 गुना अधिक लग गया और सैकड़ों गुना ज्यादा लगेगा परन्तु रिजल्ट जीरो रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कम से कम मंत्री महोदय, जो रामसिंह आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जो शिकायत का प्रतिवेदन है, कृपया वह भी सदस्यों को सदन में जानकारी के लिए दे दीजिये जिससे हम भी बतावें क्योंकि इन्जीनियर्स तो छिपायेंगे, कार्यवाही नहीं करेंगे, चाहे सी. ई., एडि. सी. ई., चाहे एस. ई. हो, कार्यवाही नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं इसके लिये अलग से अधिकारी लगा कर उनके खिलाफ सबूत आये हैं, रामसिंह आयोग ने माना है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, उनके खिलाफ एंटीकरप्शन के अन्दर केस रजिस्टर कराइये। नहीं करायेंगे तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। रामसिंह आयोग की रिपोर्ट का कोई सार नहीं रहेगा। जितनी कोशिश की है, मेहनत की है, साइड पर जा जा कर बोरों में सीमेंट बरामद की है, मिट्टी के कबाड़े पकड़े गये लाखों करोड़ों के, उनका कोई सार नहीं रहेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, तुरन्त कार्यवाही कर एन्टी-करप्शन में केस रजिस्टर हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं कोई ज्यादा बोलना नहीं चाहता और मंत्री महोदय ने राजस्थान पत्रिका 13 सितम्बर को पढ़ा है तब तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इस पत्रिका में–राजस्थान नहर कई स्थानों पर गलत बनी, टूटने का खतरा-इस सम्बन्ध में आप चाहें तो मैं एक मिनट में पढ़ कर सुना दूं तो मंत्री महोदय को पूरी जानकारी मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में राजस्थान नहर के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हीं की पुष्टि में कुछ बातें लिखी हैं, वह इतनी गम्भीर हैं कि माननीय मन्त्री जी उन पर ध्यान देंगे। विश्व प्रसिद्ध राजस्थान नहर के अनेक स्थानों पर गलत बन जाने के कारण टूटने का खतरा पैदा हो गया है। इस संबंध में राजस्थान नहर परियोजना मण्डल को भी अधिकृत सूचना प्राप्त हो गई है। राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहर के मुख्य अभियंता एवं नहर पर कार्य करने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि नहर निर्माण में हुई जबरदस्त तकनीकी गलती को किस प्रकार दुरुस्त किया जाये। पता चला है कि नहर के भू. पू. मुख्य अभियंता मनोहरलाल माथुर ने इसकी जांच करवाई थी, उसमें भी यह स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान नहर का निर्माण गलत होने से पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो रही है तथा आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं आ रहा है। राजस्थान नहर पर गत दिनों जयपुर के पत्रकारों की टोली निरीक्षण के लिये गई थी उस समय नहर के अभियन्ताओं ने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार की गड़बड़ी से नहर को खतरा है। इसको सुधारने के उपायों पर उच्चस्तर के अभियन्ता विचार कर रहे हैं। यह भी पता चला है कि पूरी नहर के धरातल को सुधारने में करोड़ों रुपया अतिरिक्त खर्च होगा। धरातल को जानबूझ कर ऊंचा रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों का पता करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इनमें से कई नौकरी छोड़ कर चले भी गये हैं। एक अधिकारी ने भीकमपुर के पास नहर निर्माण के कार्य को देखते हुए बताया कि नहर निर्माण के गलत बन जाने की जानकारी हो जाने के बाद इसे पूरी तरह गुप्त रखा जा रहा है, क्योंकि इसके प्रकट होने पर राजस्थान नहर प्रशासन की बड़ी बदनामी होने का भी खतरा है। मुख्य मंत्री की यात्रा के पश्चात् 8 सितम्बर को बीकानेर स्थित मुख्य अभियन्ता नहर के कार्यालय में नहर क्षेत्र में पर्याप्त पानी न पहुंचने का विवरण तैयार हुआ है। उसमें बताया गया है कि रोजड़ी वितरिका में आर.डी. 24 से 31 तक 7 हजार फीट का लेवल खराब है। इसी तरह सेरनवाली माइनर आर.डी. 2 से 4 माधेवाला माइनर, 10 आर.डी. के बाद दन्तवाली वितरिका में 35 आर. डी. से आगे के लेवल खराब होने से नहर टूटने की बात स्वीकार की गई है। अभी 34 वितरिकाओं का विवरण प्राप्त हुआ है जो लेवल गलत होने के कारण रेत और दलदल से भरी हुई है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन अब तो लिफ्ट योजना बड़े मायने में ले रहे हैं। तो इनको लिफ्ट में ले लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ज्यादा हिसाब लिफ्ट का ही है। आपसे मैं क्या कहूं लूणकरणसर तो आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, लूणकरणसर का जो लिफ्ट इर्रिगेशन है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : अध्यक्ष महोदय तो कुछ और पूछ रहे हैं, आप शायद और बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं। आप शायद उन लिफ्ट की बात कर रहे हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। मैं इसके ऊपर इतना समय नहीं लगा रहा हूं। नहर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान बज्जू में किसानों ने बताया कि नहर का लेवल गलत बनाकर पानी कम दिया जा रहा है। कई स्थानों पर फसल सूख रही है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पैसा खाने की बात को नहर निर्माण में हुई जांच के लिये नियुक्त रामसिंह आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है तथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार्यवाही करने का संकेत भी दिया है। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इस सारे मसले पर आपके पास रिपोर्ट्स है, आप ओपनली एक्शन लेने की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? राजस्थान नहर खराब होगी तो मुझे और आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनता ने खून पसीना एक करके, टैक्सों के द्वारा इसके लिये धन दिया है। उस धन का सदुपयोग हो, इसका निर्माण ठीक प्रकार से हो, यह आप भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं। अगर बिचौलिये इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो सरकार को रोकने की कार्यवाही करनी चाहिये। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं आपके सामने व्यक्त की हैं उनकी कद्र करते हुए आप निश्चित रूप से कोई कार्यवाही करने वाले हैं, इसकी घोषणा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर इश्यू है और I don't think they are serious about this issue. सिर्फ आप और देवीसिंह जी सीरियस हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर के बाद में जो आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की व्यवस्था दी है, आधे घंटे की चर्चा के बारे में और जो पाइन्ट पुष्पा जी, देवीसिंह जी भाटी ने और जो आर्टिकल माननीय विपक्ष के नेता ने पढ़ कर सुनाया है, उनको भी खुशी होगी, मैं कभी-कभी अखबार पढ़ लेता हूं और मेरी फाइल में भी है। यह मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने ही नहीं, लिख करके भी मैंने मेरी गवर्नमेंट को दिया है, इन आल सीरियसनेस, कि राजस्थान कैनाल काफी मिसहेन्डल हुई है। यह पाइंट पहले भी उठा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आगे न उठे। मेरा अभी तक यही प्रयास रहा है even at the expense of winning people. कि यह हमें गिफ्ट में मिली थी, यह पानी जो हमें मिला है और गिफ्ट भी इन्टरनेशनल डिस्प्यूट के कारण। अगर पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं होते और अगर इन्डस डिस्प्यूट की प्राब्लम नहीं उठती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It is not a gift We don't agree with that. I don't think the Minister should speak that it is a gift. It is our right.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप सुनिये तो सही। अध्यक्ष महोदय, हिस्ट्री में कभी आप जाते नहीं। अगर इण्डिया–पाकिस्तान सेपरेट नहीं होते, अध्यक्ष महोदय, तो मेरा अन्दाजा है कि यह पानी जो इन्डस सिस्टम में वेस्ट पाकिस्तान जो अभी वेस्ट पाकिस्तान है, में, वहीं पर जाता। इन्डस वाटर डिस्प्यूट के कारण हमारे कन्ट्री को एक एरिया बताना पड़ा और यह हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान ……

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : हमारा सौभाग्य है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े हो गये।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सुनो तो सही। इम्पेशेन्ट बहुत हो। देखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम बच्चे हैं आपके सामने ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसीलिए तो हम इधर हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यह पानी हमें अवेलेबल हुआ । यह योजना बनी । इस योजना में जो मार्गदर्शन हमें मिला, चाहे गंगासिंहजी से मिला हो या एजूकेटेड इन्जीनियर कंवरसेन की कल्पना से मिला हो, लेकिन वह राजस्थान कैनाल, रावी व्यास का जो पानी है, एक फर्स्ट स्टेज तक आ गई है और सैकण्ड स्टेज में कन्स्ट्रक्शन शुरू है । यह राजस्थान कैनाल एक परमानेन्ट एन्टिटी और असेट हमारे पास एस्टेब्लिश हो गई । चूंकि प्रश्न फेक्ट फाइन्डिंग आथोरिटी के बारे में था और मेरे को कोई शंका होती ही नहीं, विपक्ष के नेता महोदय को पूछने की । एक मुद्दा यह उठा भी था पिछली बार प्रश्न के समय और अभी पुष्पाजी और देवीसिंहजी, दोनों ने उठाया कि क्यों नहीं यह रिपोर्ट सदन के सामने पेश की जाये जब कि फेक्ट फाइन्डिंग आथोरिटी का अनाउन्समेंट इस सदन के फ्लोर पर हुआ था । मेरी इन्फार्मेशन है एण्ड आई स्टेण्ड ओपन टू करेक्शन, अध्यक्ष महोदय, मेरी इन्फार्मेशन यह है, विपक्ष के नेता ने फेक्ट फाइन्डिंग आथोरिटी का अनाउन्समेन्ट सदन के फ्लोर पर नहीं किया था । जब आप मुख्य मंत्री थे, आई स्टेण्ड ओपन, एक एम. एल. ए. महोदय ने पाइंट उठाया था, आपने कहा कि मैं पूरी व्यवस्था दूंगा, आप जांच करिये । उन्होंने कहा कि एक सवा करोड़, डेढ़ करोड़ का घोटाला है । जो इन्होंने देखा जो गुप्ता थे और उसके बाद में कलेक्टर की ओर उनकी जो जांच हुई इस रिपोर्ट पर, विपक्ष के नेता महोदय मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने फेक्ट फाइंडिंग कमीशन अपाइंट किया था 1978 में । रिपोर्टस इन सम फार्म आर अदर, अध्यक्ष महोदय, एश्योरेन्स कमेटी के सामने हो, अब तक हमने इस रिपोर्ट का क्या किया है, दूसरे किस रूप में, मैं यह नहीं कहता कि हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही इन्फार्मेशन आई होगी डिपार्टमेन्ट से लेकिन किसी न किसी रूप में इस हाउस को अवगत आफ एण्ड आन कराया गया । मैटर इतना सीरियस है, अध्यक्ष महोदय; यह तो मैं चिट्ठी बताना नहीं चाहता था कि मैंने मुख्य मंत्री जी को क्या लिखा और मेरे आफिसर को क्या लिखा लेकिन पाइंट वाइज कुछ मैंने स्टेटमेन्ट प्रिपेअर किये और जिसमें आपका और आप दोनों के क्वेश्चन मैंने इन्क्लूड किया, आन्सर टू यूअर क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाइवर्शन फ्लोर पर, सदन के फ्लोर पर हो जाता है । माननीय देवीसिंहजी शुरू तो हुए फेक्ट फाइन्डिंग से और चले गये खालों पर, बट फेक्ट फाइन्डिंग कमीशन लीगली मेरे चार्ज में है; खाले लीगली मेरे चार्ज में नहीं है1...

(व्यवधान)

राजस्थान कैनाल से है । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक चीज, एक करेक्शन हुआ, विपक्ष के नेता महोदय ने अगले दिन फर्मा दिया कि 200 करोड़ का करप्शन है । मैंने भी उस समय अनफोर्चुनेटली वोट नहीं किया । 305 करोड़, अध्यक्ष महोदय आज की तारीख में फर्स्ट स्टेज और सैकंड स्टेज में इस पूरी नहर पर खर्च हुआ है । सी. ए. डी. सहित । I am open to correction always 305 करोड़, and I would suggest that you also get your information checked और, अध्यक्ष महोदय, 18 रिपोर्टस्

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

में जो 1979 और 1980 में, 1979 के दरमियान आपकी सरकार में पेश हुई थी और 1980 में ··जल्दी है क्या ? मैं बंद कर दूं।

(व्यवधान)

और 1980 में, अध्यक्ष महोदय मेरी सरकार के सामने पेश हुई और उस पर एक्शन हमने क्या लिया और क्या नहीं लिया, श्रीफली मैंने पहले अर्ज किया था, what I meant was 205 and not 305.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें राजस्थान कैनाल का लैण्ड भी है। टोटल वोल्यूम आफ कास्ट आप जोड़ेंगे तो आपको अपने आप जस्टीफाई हो जायेगा कि मैंने जो कहा है वह सही है···

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 200 करोड़ तो हो ही नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टोटल वोल्यूम में बताया है मैंने। सदन में एक सदस्य ने आरोप लगाया···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस कास्ट का क्लेरिफिकेशन किया था, जानते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कृपापूर्वक पूरी बात सुन लें। पूरा जवाब सुन लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भैरोंसिंह जी यह फर्माने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्डायरेक्ट लोसेज क्या है, इन्डायरेक्ट करप्शन क्या हैं, लेकिन लैण्ड की कीमत में जो करप्शन होता है, इंजीनियर के हाथों से करप्शन नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपने सिस्टम में हैं।

एक माननीय सदस्य : केवल इंजीनियर्स की ही बात है क्या ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : फैक्ट्स फाइंडिंग अथोरिटी के पास जो मसला था वह इंजीनियर्स के लिये ही था···

श्री देवीसिंह भाटी : रामसिंह आयोग किस के खिलाफ था ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी किसके खिलाफ था वह आयोग ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह गवर्नमेन्ट के खिलाफ था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं वह ओनली इंजीनियर्स···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसे नहीं चलेगा, पहले आप बोल लें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : committed in the area....

श्री यदुनाथसिंह : In accordance with the Ministers......

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :

(व्यवधान)

(2.25 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I am sorry for interruption.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक चीज सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, देवीसिंह जी ने फर्माया कि इस सदन में इस बात को मैं कोई 100 बार सुन चुका हूँ कि इस नहर में घोटाले हुए हैं, लेकिन उनको शायद यह पता नहीं होगा कि उनके यहां पर अगर लूणकरणसर नहीं आती तो, सभापति मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, क्या होता • • •

श्री सभापति : बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं मानता हूं कि लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल डिफेक्टिव बनी है, इसको मैं मानता हूं • • •

एक माननीय सदस्य : चलो एक बात तो मानी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उस पाइन्ट पर जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा कि उस पर उन्होंने क्या रिकमन्डेशन की। उस पर जो डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया वह अभी आपको बता दूंगा, लेकिन, सभापति महोदय, इनको यह याद नहीं रहेगा कि अगर तुलसीदास को क्वोट करूंगा तो कहेंगे कि ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं • • •

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : आप कह दो, हम नहीं कहेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप नहीं कहेंगे, लेकिन भाटी जी।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : वे भी नहीं कहेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं होऊंगा नाराज। आप दिल में मत रखो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं ज्यादा इस बात में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह पानी अगर बीकानेर में नहीं आता, इनको यह पता नहीं कि पिछले 10 साल में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी कोस्ट चाहे हमारी लगे, सरकार की लगे या इनकी लगे एक ही बात है। केवल ड्रिंकिंग वाटर पर ही कम से कम 200 करोड़ रु. सालाना खर्च होता है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : बीकानेर की बात बता रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपकी बात नहीं है यह आपके बूते की बात नहीं है। जैसलमेर वालों को तो पानी • •

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे क्षेत्र में लूणकरणसर नहर से पानी नहीं आता है, क्या फर्माया है यह आपने।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो आपको पूरे बीकानेर डिविजन का वो मानता हूं • • •

एक माननीय सदस्य : नेता मानते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप तो ठेठ बिड़ला नहर पर पहुंचते हैं, जैसलमेर और ठेठ यहां इस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। इस फ्लोर पर आप क्या करते हैं यह हमको भी पता है और दुनिया को भी पता है।

श्री देवीसिंह भाटी : चलो अब आप आगे फर्माओ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां, तो सभापति महोदय, इस में जो गलतियां हुई हैं, कुछ

66

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

सालों से हुयी है। ये गलतियां फ्यूचर में नहीं हो इसके लिए जब तक मैं हूं मेरी जो पावर होगी उसके अनुसार निःसंकोच without any fear. उस पावर का यूज करूंगा।

एक माननीय सदस्य : अब तक क्यों नहीं किया ? कभी किया क्या ?

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : ये जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपकी सरकार दे रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : फैक्ट फाइंडिंग आथोरिटी पर जो प्रश्न पूछे गये हैं उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। मेहरबानी करके आप सुन लें। मैं उत्तर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सुनने की ताकत रखें।

श्री यदुनाथसिंह : पहाड़िया जी को तो आप हटा चुके हैं। आपकी यह पावर तो देख ली।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पहाड़िया जी को किसने हटाया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अब आप रामसिंह पर तो आइये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : आप आज खुश तो नजर आ रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप तो सीकर से आने वाले हैं आप क्या जाने नहर क्या है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सीकर वालों को भी तो नहर दिखा दें, माननीय मंत्री जी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अरे, वहां भी लायेगी तो यही सरकार लायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे नहरों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे बुलडोजरों के बारे में पूरी जानकारी है। क्यों है ना ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप सम्भल कर रहना, कहीं आप पर ही बुलडोजर नहीं चलवा दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बुलडोजर तो घनश्याम जी सबसे पहले आपकी पार्टी पर ही चलेगा। पार्टी के खिलाफ ही काम में आयेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले भाषण तो दे दो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, मुझे परमिशन दें। उत्तर में किसी को इन्ट्रेस्ट तो आ नहीं रहा है एक केवल पुष्पा जी को आ रहा है who is very serious.

श्री सभापति : आप मुद्दे की बात फर्मा दें।

एक माननीय सदस्य : कोई एक मात्र पुष्पा जी ही थोड़े इन्ट्रेस्टेड हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक उन्हीं को डिटेल्ड आन्सर दे दूं, Pushpa ji, your colleagues are not interested.

श्री देवीसिंह भाटी : और हम कहां गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दोनों को दे दूं। भैरोंसिंह जी तो केवल भाटियों की ओपीनियन से रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी ओपीनियन नहीं थी, हाडा राजस्थान ने जो लिखा था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या ? क्या कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी अपनी ओपीनियन नहीं थी भाटियों के बारे में जो हाडा राजस्थान ने लिखा है वह मैंने कहा था। उससे ही आप नाराज हो गये। उससे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भाटी और शेखावत क्यों लड़ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस बात को नहीं समझेंगे। यह आपकी समझ की बात नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये बीच में राठौड़ और अटकते हैं। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि ये अटकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये राठौड़ के दत्तक पुत्र और अटक रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Adopted son.

राजस्थान नहर के सम्बन्ध में सभापति महोदय, अनेक प्रकार की इर्रेगुलेरिटी की शिकायतों और अतिरिक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जो रिकार्ड में है, जो आयोग की सिफारिशें हैं उनको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

जो मामले गबन के हैं या गबन के प्रयास के हैं, रिकार्ड में रद्दो बदल, जानबूझकर गलत रिकार्ड तैयार करना, फर्जी मस्टररोल, जाली नाम, फर्जी अंगूठे लगाना, रिकार्ड को बदलकर ठेकेदारों को अधिक भुगतान करना, जानबूझकर नहर को निर्धारित कैपेसिटी में नहीं बनाना, मापदण्ड से बहुत अधिक कोयला ईंटों को बनाने में काम में लेना, ईंटों का गबन, सीमेंट का गबन आदि शिकायतों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को तफतीश कर अदालतों में कार्यवाही करने के लिये सौंपा गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और क्या कर सकते थे। बिल्कुल ठीक किया है।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप थोड़ा सुनने की चेष्टा करें, कष्ट करें। आपने क्या किया यही तो आप पूछ रहे थे और मैं वही बता रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सुनाइये, मंत्री महोदय, हम सुन रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट है। उनको नहीं देते तो क्या जांच के लिये आपको देते।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही तो कहोगे आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज मत होइये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ऐसा है कि भंवरलाल जी भूल जाते हैं कि वह भी कभी मंत्री थे।

ऐसे कुल प्रतिवेदनों की संख्या 13 थी, इन प्रतिवेदनों को हमने माह जनवरी, 1980 से देना शुरू किया था। इस पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने एतराज किया कि बिना एफ. आई. आर. के कैसे दर्ज करें। बिना एफ. आई. आर. दर्ज कराये, आप जो पूछ रहे थे डिले क्यों हो रही है, मामले की तफतीश नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को विधि विभाग की राय से अवगत कराते हुए फिर भी निर्देश दिये गये कि एफ. आई. आर. दर्ज कराना नियमों के अनुसार आवश्यक नहीं हैं। तफतीश रिपोर्ट पर भी की जा सकती है, इसके पश्चात् ए.सी.डी. को अवगत कराया कि उन मुख्यालयों में प्रतिवेदनों के परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि घोटालों में इन्वाल्व्ड व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कराना, पूर्व मामलों में प्राथमिक जांच करायी जा रही है। अतः भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को फिर भी निर्देश दिये गये पिछले महीने में केवल कि वे तुरन्त क्रिमिनल केसेज दर्ज करें, एवं प्राथमिक जांच के बजाय इन्वेस्टीगेशन की कार्यवाही करें। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को यह भी लिखा गया कि तफतीश में हुई प्रगति, प्रत्येक 15 दिन में हमें अवगत कराते रहें। उनको और भी कोई इसमें मदद चाहिए तो हमारे से लें। यह तो हमने कम से कम 13 रिपोर्ट्स में, माननीय पुष्पा जी, अब तक एक्शन लिए हैं...

श्री देवीसिंह भाटी : कब लिखकर भेजा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भ्रष्टाचार विभाग को 80 में रेफर हुए थे, लेकिन चूंकि लीगल आस्पैक्ट न उठे, ए.सी.डी. ने कहा कि हम तो जांच कर नहीं सकते, एफ.आई.आर. नहीं है। This matter was referred to the Law Department. लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया and they also came to the conclusion that without filing F.I.R., आप मेहरबानी करके कर सकते हैं, करिये। हमने एक्सक्लूजिवली एक आफिसर पिछले दो महीने से लगा दिया है कि आप इसकी छानबीन करें। So that डिले का मौका मिलता है, हमारे पास आदमी नहीं है, फलाना नहीं। मेरा ख्याल है कि अगले तीन महीने में अगर ए.सी.डी. की जांच...

(व्यवधान)

डेफिनेटली ए.सी.डी. केसेज के तहत लागू हो जायेगा।

दूसरा, सभापति महोदय, जिन मामलों में टेक्निकल इन्वेस्टीगेशन हुए जैसे नहर का लेवल सही ढंग से नहीं लेना आदि पाये गये, उनमें राज्य सरकार ने विभागीय जांच करने का निर्णय लिया है। ऐसे प्रतिवेदन 8-10-15 हैं। पहले ये सब प्रतिवेदन, जिनमें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, में भी विभागीय जांच किये जाने का निर्णय लिया गया, विभागीय जांच की कार्यवाही चालू है। इस कार्य को तीव्र गति देने के लिए स्टाफ और लगाया जा रहा है। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो कि पेरेन्ट डिपार्टमेंट हैं, आल दी इन्जीनियर्स, सभापति महोदय, कैनाल में आते हैं, आन डेपुटेशन। इरिगेशन डिपार्टमेंट उनको कान्स्टेण्टली रिमाइण्ड कर रहे हैं, मेहरबानी करें, We are also serious इस पर कोई एक्शन होना चाहिये। जैसे आप फर्मा रहे थे, एक एक्स. ई एन. और दो एक्स.ई एन एक्स्ट्रा को, हमारा मंत्रिमंडल

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

वहां गया हमारे मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया, उनका सस्पेन्शन हुआ, आल दो, उसके वाद हाई कोर्ट चले गये, लेकिन एक सेल्यूटरी इफेक्ट होगा। तीसरा, ऐसे मामले जहां टेक्निकल इर्रेगुलेरिटीज हैं। जैसे लेवल सही नहीं होना, मिट्टी के कम्पेक्शन को सही ढंग से नहीं करना आदि। अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चार्ज लेने या देने की रिपोर्ट नहीं बनाना, ठेकेदारों द्वारा ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करना, ये मामले राजस्थान नहर मण्डल को कार्यवाही करने के लिये सौंपे गये हैं The Board has very sweeping powers. We have decided कि उनको स्ट्रोंगली रिकमण्ड करें, इन्स्ट्रक्शन दे दें कि सीरियस एक्शन लें। फाचु नेटली अच्छा आफिसर लगाया है। मुझे उम्मीद है, कार्यवाही में जल्दी होगी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपकी तो आदत हो गयी है, आपको तो नहर का नक्शा ही दिखता है। काम करवाना नहीं चाहते हो, भाषण देना चाहते हो, ताकि आपके इलाके के लोग सुन सकें, बोल रहा है हमारा देवीसिंह...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, जिन मामलों में संबंधित रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण, तकनीकी स्टाफ की सहायता पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण, समय के अभाव में फैक्ट फाइन्डिग अथोरिटी द्वारा विस्तार से प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये हैं उन्हें राजस्थान नहर मण्डल को विस्तृत जांच के लिये भेजा गया है। माननीय विपक्ष के नेता ने जो उनके समय में आर्डर पास करवाया था, फेक्ट फाइण्डिग अथोरिटी के जो टर्म्स एण्ड रेफरेन्स किये थे, इतने स्वीपिंग दिये, सभापति महोदय, श्रीमान को खुद को पता नहीं था, 6 महीने में अगर वे खुद भी पधार जाते तो शायद वे काम नहीं कर पाते। वार-बार कहते गये कि जल्दी करो, जल्दी करो। अल्टीमेटली फाइनल 18 रिपोर्ट दी। सिर्फ फर्स्ट-स्टेज तक डील किया। न तो सी.ए.डी. में काम पूरा किया, न ही स्टेज-टू को चालू कर पाये और जो रिकार्ड्स इस रेफरेन्स के तहत कलेक्ट किये गये थे, उनके बारे में मंडल को कह दिया, चूंकि रिकार्ड कलेक्ट हो गये थे, तो आप उस पर कार्यवाही करें, न कि उसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। राजस्थान नहर मण्डल को भी लिखा गया कि भविष्य में ऐसी इर्रेगुलेरिटीज को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश जारी करें और उस ऑर्डर के तहत उन्होंने चीफ इन्जीनियर, सी. ए. डी., चीफ इन्जीनियर आर. सी. पी. से क्लियर कट सजेशन मांगे कि आप इस रिपोर्ट को देख कर आगे क्या कार्यवाही कर सकते हैं, मेहरबानी करके कीजिए। We will put it to the Govt. to take action राजस्थान सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्तमान में लागू नियम, पब्लिक वर्क्स फाइनेंस एण्ड अकाउन्ट रूल्स की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जावे, जिसके सदस्य मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक विभाग तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधि हों। उक्त समिति वर्तमान में लागू नियमों का परीक्षण

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

करके सुझाव प्रस्तुत करेगी और इर्र गुलेरिटीज को रोकने के लिए वर्तमान नियमों में क्या क्या तब्दीली करने की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में वित्त विभाग को दिनांक 28-5-82 को समिति का गठन शीघ्र करने के लिए लिखा गया और उन्होंने इसको रीसेन्टली एग्री कर लिया। चार, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राजस्थान नहर मण्डल में विजिलेन्स सेल का गठन किया जाये। अब विपक्ष के नेता वास्तव में मानेंगे कि मेरी सरकार जागरूक है, एक्शन लेने को तैयार है। हमने इतने सब एक्शन के बाद यह इन्स्ट्रक्शन भेज दिये हैं, सभापति महोदय, ऊपर दिये गये विवरण से यह स्पष्ट है कि श्री रामसिंह आयोग की रिपोर्ट में उक्त कार्यवाहियां तत्परता से की जा रही हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को बचाने का प्रयत्न न तो किया गया है और न ही किया जायेगा। राज्य सरकार विचार कर रही है और मैंने तो मेरी तरफ से रिकमण्डेशन भेज दी हैं कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ बहुत ही गम्भीर आरोप हैं यदि वे अनिवार्य सेवा निवृत्ति की परिभाषा में आते हों, तो उन्हें तुरन्त ही कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया जावे।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : उनको कोई जागीर दे दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कम्पलसरी रिटायरमेन्ट को आप जागीर मानते हैं। रिकवरी तो ए.सी.डी. करेगा तो हमने दे दिये वहां पर। एक्शन समझने की कोशिश तो करते नहीं हैं, आप किसी बात को · · ·

(व्यवधान)

कभी हरियाणा में जाते हैं। तुम्हारी तो लोयलिटी ही डिवाइडेड है।

श्री यदुनाथसिंह : हमको अगर पानी नहीं देंगे, गंगा और यमुना का पानी भरतपुर को नहीं देंगे तो मामला उठायेंगे, मांगेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इनकी पार्टी की लोयलिटी ही डिवाइडेड है।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा प्रिविलेज का प्रश्न है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं इनकी पार्टी की लोयलिटी की बात कह रहा हूं · · ·

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, यह मेरी लोयलिटी की बात कह रहे हैं। लोयलिटीज इनकी खराब है। कभी इनकी पहाड़िया जी की तरफ लोयलिटी होती, कभी माथुर साहब की तरफ होती है और अब फिर इनकी लोयलिटी बदल रही है। अब आप इसका फैसला करें कि लायल्टी..

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति जी, पहाड़िया जी और माथुर साहब तो एक ही पार्टी, कांग्रेस (आई) पार्टी के हैं। किन्तु इनसे यह पूछिये कि ये चरणसिंह जी की तरफ हैं, कर्पूरी ठाकुर की तरफ है या जार्ज फर्नान्डीस की तरफ है।

श्री यदुनाथसिंह : चौधरी चरणसिंह जी के साथ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अन्तरात्मा तो कहती है कि आप लिमये जी के साथ है।

श्री यदुनाथसिंह : अन्तरात्मा तो यह कहती है कि आप शिवचरण जी के खिलाफ है, लेकिन देखने की और बात है।

(71)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, क्वेश्चन यह नहीं था। एक मैम्बर के ऊपर इस प्रकार से रिफ्लेक्शन हो, यह उचित नहीं था। जिस रेफरेन्स में आपने बात कही है उसमें न शिवचरण जी आते हैं, न पहाड़िया जी आते हैं, न चरणसिंह जी आते हैं व न जार्ज आते हैं। आपने पानी के मामले में एक मैम्बर को यह कहा कि आपकी लोयलिटी डिवाइडेड है···

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : चरण सिंह जी विशाल हरियाणा को समझ रहे हैं..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चरण सिंह जी विशाल हरियाणा को चाहते हैं तो लोयलिटी का मतलब लोयलिटी विटविन हरियाणा एण्ड राजस्थान, यह रिफ्लेक्शन है, यह उचित नहीं है।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं..

(व्यवधान)

एक मिनट के लिए इजाजत चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गंगा और जमुना का पानी भरतपुर में मांगना डिवाइडेड लोयलिटी है ? क्या राजस्थान के हिस्से का पानी मांगना....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप कहां से कहां पधार रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज continue

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और ऐसे व्यक्ति भी परिभाषा में नहीं आते हैं यह लगे तो उन्हें शीघ्र ही निलम्बित किया जाये ताकि भ्रष्ट अधिकारियों पर एक सैल्यूटरी इफेक्ट हो। एक परीक्षण कार्यवाही के साथ इन क्रिमिनल केसेज में विभागीय जांच की कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री रामसिंह आयोग के 18 प्रतिवेदनों में जो व्यक्ति घोटालों में सम्मिलित पाये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रखी है।

एक प्रश्न और अर्ज कर दूं जैसा अभी पुष्पा जैन ने पूछा था कि इन 193 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति रिटायर हो गये, कितने प्रमोट हो गये, कितनों की डेथ हो गई। मैं बताना चाहता हूं कि इन 193 में से 10 व्यक्ति रिटायर हो गये, 16 प्रमोट हो गये और 3 एक्सपायर हो गये। लेकिन पूरी एग्जेक्ट इन्फामेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है–धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार सरकार के किसी प्रवक्ता के मुंह से यह बात निकली कि सरकार किस प्रकार से बिहेव करती है, किस प्रकार से सरकार सरकार के रूप में बिहेव करती है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहली बार एक्शन ओरियन्टेड स्पीच अगर किसी आदमी के द्वारा इस सदन में सरकार के प्रवक्ता के नाते हुई है, तो वह हैं श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी नियत पर किसी प्रकार का हमें सन्देह नहीं है उसी प्रकार से हमारी नियत पर भी वे सन्देह नहीं करें। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात कही कि जनता पार्टी की सरकार ने टर्म्स आफ रेफरेन्स इतने वाइड कर दिये कि 6 महीने में काम कम्पलीट नहीं हो सका···

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसा नहीं कहा– स्वीपिंग वे में कहा impracticable.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I correct my self. वह इम्प्रेक्टिकेबल था, उसका रिजल्ट तो आपने बता दिया कि 193 अधिकारी इनमें इनवोल्वड है, मुझे इसका दूसरा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : I want to clarify. Impracticable इसलिए कह रहा हूं कि हरेक केसेज में एक भी इन्नोसेन्ट आदमी फस जाय तो I think it is as bad as leaving hundred guilty ones.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I agree with you सभापति महोदय, यह कह रहा था कि आपने केवल एक बात कही, मैं उसकी ताईद कर रहा हूं कि 6 महीने में उन्होंने केवल 18 रिपोर्टस् तैयार की, आपने यह भी कहा कि उन 18 रिपोर्टस् में से स्टेज–II के काम की जांच नहीं हुई। सी. ए. डी. के मामलों की जाच नहीं हुई। सी. ए. डी. के मामलों की जांच नहीं हुई। यह आपने कहा और आपके सारे भाषण को इन टोटेलिटी देखा जाय तो आपने जो जांच हुई उसको उचित माना है। यह जांच गलत ढंग से कराई गई, यह नहीं कहा। जांच कोई अन्य कारणों से कराई गई–यह भी नहीं कहा। इन टोटेलिटी आपने जांच कराने के एक्शन को एप्रूव किया है। शिकायत केवल आपको इतनी ही है कि टाइम केवल 6 महीने का दिया और उस 6 महीने के बाद में इसमें स्टेज-II की और सी.ए.डी. की इनक्वायरी नहीं हो सकी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इतनी बारीकी में जाना आपको शोभा नहीं देता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं शोभा की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो अपने मुंह से वाह-वाह करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वाह-वाह नहीं कराना चाहता· · ·

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको तो हम भी मानते हैं। You are a great personality in this House.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह चाहे मेरी कितनी ही बुराई कर लें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस चीज को आप उचित मानते हैं। मेरे स्वीपिंग रेफरेन्स कि वह कम्पलीट नहीं हो सका को उचित समझते हैं। स्टेज II में और सी. ए. डी. के काम उसमें कवर्ड नहीं हुये तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी और तारीफ होगी रामसिंह कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही करें या नहीं करें, आप और किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए। स्टेज II और सी. ए. डी. के काम में जो गड़बड़ी हुई है उनकी भी जांच की जाय· · ·

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरा स्टेटमेंट तो आपने सुना नहीं। मेरा निवेदन है कि रामसिंह जी खुदा तो थे नहीं, वे रिटायर्ड आई. ए. एस. आफिसर थे। अगर चेयरमेन, राजस्थान कनाल बोर्ड एक नेक आई. ए. एस. आफिसर को हम हिदायत दें कि मेहरबानी करके जो कागजात कलेक्ट किये हैं उनकी भी

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)
आप रिपोर्ट दे दीजिए ताकि उन पर भी कुछ निर्णय लेकर उचित कार्यवाही की जा सके और दोषी हैं उनको पनिशमेंट दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय, इसके दो आस्पेक्ट हैं। पहला आस्पेक्ट तो यह है कि रामसिंह कमेटी ने जिन मामलों में जांच कर ली उसके अनुसार एक्शन लिया जाय। दूसरा, आस्पेक्ट है कि रामसिंह कमेटी ने जिन कागजातों को इकट्ठा कर लिया उसकी स्क्रिनिंग करके दो व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लिया जाय। तीसरी स्टेज है जिन कागजों को इकट्ठा ही नहीं किया, मैटर्स की इन्क्वायरी ही नहीं की उनकी इन्क्वायरी कराई जाय।

आपने अभी तक केवल दो ही बातें कहीं। फर्स्ट रामसिंह कमेटी ने जो बातें कही है उस आधार पर इन्क्वायरी करना और सैकण्ड अभी जो एड की जो रामसिंह कमेटी ने कागजात इकट्ठे कर लिये थे उन कागजातों की स्क्रिनिंग करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेना। आपने स्वयं ने एडमिट किया कि कम समय में सारे मसले की जांच नहीं की जा सकी। अब उस पार्ट को कौन कम्पलीट करेगा, मेरा क्वेश्चन यह है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, अभी जैसे श्री देवीसिंह जी ने कुछ सुझाव दिये खालों के बारे में, सी.ए.डी. के बारे में। इस फ्लोर पर चूंकि मैं यह नहीं कह सकता, मेरे पास डिपार्टमेन्ट नहीं है, सी.ए.डी. में इन्क्वायरी होनी चाहिये लेकिन किसी को मेरी सरकार करप्शन के मामले में बचाना नहीं चाहती है। आप ऐसा समझते है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह चाहता था कि जिस तरह से एक आदमी ने जांच की, एक आदमी इस पर डेप्यूट कर दिया आपने जो रामसिंह कमेटी...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उसकी इतनी आवश्यकता नहीं रही। आप आखिर राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे। आपने आयोग नियुक्त किया और फेक्ट फाइन्डिंग कमेटी ने निर्णय लिया, उस ग्राउण्ड पर इस पोइन्ट तक आ गये हैं कि एक सेपरेट अथोरिटी क्रिएट करें। मैं नहीं मानता हूं कि आज की तारीख में उसकी कोई आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I don't need any authority. सेपरेट कमीशन से कुछ भी, कोई भी जांच...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह तो हम वैसे भी कर रहे हैं

श्री भैरोंसिंह शेखावत : No need for that.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पूछिये श्रीमान् को कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : ये तो रुकवा रहे हैं, बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं एक ही मिनट में कह दूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा, मुझे कोई कमीशन, कमेटी नहीं चाहिये। आप ऐसे आदमी जिसके ऊपर किसी प्रकार का आब्लीगेशन गवर्नमेन्ट नहीं करे, इण्डिपेन्डेन्ट नेचर का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो, आप इसी काम पर लगायें ताकि वह सारी चीजों को कम्पाइल करे और कौन कौन आदमी दोषी है, उसकी जांच कर सकें। कमीशन, कमेटी, अथोरिटी, इससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरा काम करते हुए कोई आदमी यह काम और कर लेगा, एडिशनल ड्यूटी के रूप में यह काम नहीं होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : विरोधी पक्ष के नेता महोदय, मेरे को पूरा विश्वास है आज जो मेरे पास चेयरमैन है, मुझे उम्मीद है कि वह कुछ कर पायेंगे। अगर नहीं कर पायेंगे, जरूरत होगी, अगर वह डिस्इण्ट्रेस्टेड हो जायेंगे अपने काम से और इस काम पर ध्यान नहीं देंगे तो we will definitely look into it.

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : रेकार्ड के लिए एक बात कह रहा हूं, सभापति जी, मंत्रीजी को मैं कान्ग्रेचुलेट करता हूं कि जो बयान दिया है, खास तौर से करप्शन को पिन पाइन्ट करने के लिए, कम करने के लिए कदम उठाना चाहते हैं, और राजस्थान केनाल को कोलडूम से बचाने के लिए कदम उठाना चाहते है। लेकिन दो बातें उन्होंने कहीं वह रेकार्ड में अन-चेलेन्ज्ड न रह जायं, उन्होंने कहा राजस्थान को जो पानी मिला है, वह गिफ्ट है। मैं अर्ज करूं, पंजाब का बंटवारा न होता तो न मिलता। यह हिस्टोरिकली भी गलत है और टेक्निकली भी गलत है। मैं कहता हूं ऐसा स्टेटमेंट ईश्वर के लिए और देश के लिए कभी न दें कि गिफ्ट था। हमारा हक था, राजस्थान का इन पांचों नदियों पर। जितना कमिटेड पानी था वह पार्टिशन से पहले चला गया उधर और जो कमिटेड था, वह भी पंजाब के पास चला गया। आज जो मिल रहा है, हमें 15 मिलियन, 8 मिलियन हैक्टेयर एकड़ फीट मिला था उसमें कमिटेड पानी के बाद, कमिटेड पानी के आने के बाद जो पानी रह सकता है जिसको अब तक कभी संजोया नहीं गया था, बांधा गया था, इसलिए पार्टिशन की गिफ्ट नहीं है। यह गिफ्ट राजस्थान की है और यह हर हालत में मिलती, गंग कैनाल मिल सकती थी उस जमाने में तो अब भी यह मिल सकती थी। इसलिए मैं विनती करूंगा, न तो गिफ्ट थी, न पार्टिशन का कान्सीक्वेन्स है। यह तो हमारा अधिकार था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : राजबहादुरजी, मेरा कहीं कोई ऐसा इन्टेन्शन नहीं है और न...

श्री राजबहादुर : That is all right.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

बहुत बढ़िया, हम तो बड़े खुश हैं, गवर्नमेंट लाइक बिहेवियर दिया, हाउस के सामने हमने एप्रिशियेट किया, हम ऐसे कन्जूस नहीं हैं। जो अच्छा काम होगा अप्रिशियेट करेंगे।

सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है रूल 288 में

"288. Papers quoted to be laid on the Table.—If a Minister

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table:

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest:

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रामसिंह आयोग की रिपोर्ट्स, 18 रिपोर्ट के बारे में, माननीय मंत्री ने जिक्र किया है वह रिपोर्ट सारी की सारी सदन की मेज पर रखवायी जानी चाहिये। उन्हें रिपोर्ट रखने में एक दिक्कत आयेगी लेकिन इसलिये ज्यादा जरूरी हो जाता है ···

(व्यवधान)

क्या सिखा दिया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने जो पढ़ा है अगर एक्व्युअली इसको अपने आपके लिए पढ़ें you will take back your question yourself.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और उस कारण वह पेश नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस कारण से ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जो कागजात मैंने क्वोट किये हैं वे सब पेश कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नो, यह नहीं है, आपने पेपर क्वोट किये और आखिर में कहा है 193 अधिकारी इन्वाल्व्ड हैं, 193 आफिसर्स इसमें इन्वाल्व्ड हैं, रामसिंह आयोग के आधार पर जिनके खिलाफ आरोप बनता है, वह तो है उसमें...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां, इसमें यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह उसमें है तो आप देखिये, आपके साथ एक डिफिकल्टी आयेगी, आपके सामने डिफिकल्टी आयेगी, अधिकारियों के नाम जो आपने दिये हैं वे कल प्रेस में छप जायेंगे। मेरा अर्ज करना है कई इन्नोसेंट चार्जेज भी हो सकते हैं, और सीरियस चार्जेज भी हो सकते हैं तो अगर लिस्ट आफ करप्ट आफिसर्स, करप्ट तो मैं नहीं कहूंगा, आफिसर्स जिनका डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली इन्वाल्वमेंट है that list would be published in the press tomorrow. सभापति महोदय उनकी लिस्ट तो पब्लिश हो जायेगी, लेकिन किस प्रकार का वह इन्वाल्वमेंट है, यह पब्लिश नहीं होगा। किस प्रकार का इन्वाल्वमेंट है यह अगर पब्लिश नहीं होगा तो मैं ऐसा समझता हूं उचित नहीं होगा उन अधिकारियों के प्रति, जिनकी लिस्ट कल इस रूप में छपेगी कि ये अधिकारी राम सिंह आयोग की जांच के अनुसार इन्वाल्व्ड हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जिनके खिलाफ कुछ चार्जेज हैं they are not guilty till they are proved guilty.

(76)

श्री भैरोंसिह शेखावत : Exactly. I agree with you. लेकिन आपने लिस्ट दी है– that means that these officers are involved in the reports which have been submitted by Ram Singh Commission. रामसिंह कमीशन की जिस रेफरेन्स में चर्चा हो रही है·····

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : They are indicated.

श्री भैरोंसिह शेखावत : रामसिंह कमीशन की, जिस कमीशन में चर्चा हो रही है सरकार ने डिस्कशन के उत्तर में दिया है। सुश्री पुष्पा जैन, श्री देवीसिंह भाटी, श्री सुनिल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा राजस्थान नहर निर्माण कार्यों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा बढ़ती हुई अनियमितताओं पर रामसिंह आयोग की रिपोर्ट में निर्देशित कार्यवाही करने पर सुझाव विषयक तारांकित प्रश्न का उत्तर देंगे।

सभापति महोदय, ये अधिकारी किससे रिलेटेड हैं ? इन कर्मचारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं से। अब उन अनियमितताओं का तो कोई उल्लेख है ही नहीं इसलिए मैं चाहता हूं वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय। मैं एक बात और कहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट के पास चली गई है। एन्टी-करप्शन की जो रिपोर्ट दे सकते हैं, आपने कहा · · ·

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : Anti-corruption people come जिस रेफरेन्स में उनका मामला हो, दफ्तर आकर देखकर वापस जाते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देख ली ना उन्होंने।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बिलकुल।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं। यहां तक कि उन्होंने इनको आदेश दे दिया कि उनको एफ. आई. आर. दर्ज करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जहां एफ. आई. आर. होती है F. I. R. is not a confidential document. जिस बेसिस पर एफ. आई. आर. दर्ज की जाती है that also is not a confidential document.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एफ. आई. आर. दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, इन्वेस्टीगेशन किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं ना। आपने आदेश दिया पहली बार कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिये आदमी की जरूरत नहीं है, सोर्स के नाम के ऊपर केस रजिस्टर किया जा सकता है। केस रजिस्टर एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी आपने जो दूसरा आइटम बताया इसमें केस रजिस्टर किया जाय, तो केस रजिस्टर का बेसिस वो होगा। यह रिपोर्ट तो है जो चीज बेसिस बनती है। वह डाक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो उस डाक्यूमेन्ट को हाउस से कन्सील किया जाय, छुपाया जाय। इसलिये मैं चाहूंगा वह सारी रिपोर्ट हाउस की मेज पर रखी जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो यहां तक जाऊंगा, I am very glad . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हम तो कोई खुश नहीं हैं, इनके हम नाम दें, हम तो ग्लेडली इसको विथड्रा भी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : There is no question of withdrawing them now. अब वह कोई है ही नहीं।

श्री सभापति : माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने रूल 288 का हवाला दिया– "Papers quoted to be laid on the Table." इसके दो प्रोविजन लागू हैं "Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : He has not claimed.

श्री सभापति : "Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table." यह जो रिपोर्ट है इसका कोई स्पेसिफिक पोर्शन मन्त्री महोदय ने क्वोट नहीं किया है। उन्होंने समेरिली उसका रेफरेन्स दिया है। इसलिये प्राविजन (2) से मेन्डेटरी नहीं है कि रिपोर्ट को पेश किया जाय।

विधेयक पर खण्डशः विचार

जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982

श्री सभापति : जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 पर खण्डशः विचार।

खण्ड 2। प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : सभापति महोदय, मैं उप-खण्ड (2) में शब्दों "जयपुर में नगर क्षेत्र" की जगह "जयपुर रीजन" प्रतिस्थापित करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (कुम्हेर) खण्ड 2 में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं खण्ड 2 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

(i) इस खण्ड में भाग (1) से (20) तक परिभाषित शब्दों को निम्न प्रकार से वर्णमाला क्रमानुसार पुनर्विन्यास (re-arrange) किया जाय :–

(1) अधिकरण
(2) अधिभोगी
(3) कृषि
(4) जयपुर रीजन
(5) जोन
(6) नगरपालिका
(7) नियम
(8) पंचायत
(9) प्राधिकरण
(10) भवन संकाय
(11) भूमि
(12) योजना
(13) लोक प्रयोजन
(14) विकास
(15) विनियम
(16) विहित
(17) सरकार
(18) सुख सुविधायें
(19) स्थानीय प्राधिकरण
(20) स्वामी

(ii) भाग (16) में शब्द "अथवा किसी अन्य" एवं शब्द "प्रयोजन के लिये"

78

(श्री हरिसिंह)

के मध्य शब्द "जन हितकारी" अन्तःस्थापित किये जायें।

जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक का जो खण्ड 2 है उसमें उन शब्दों की परिभाषा दी गई है जो आगे चल कर इस विधेयक में यूज किये जायेंगे। मेरा इसमें संशोधन प्रस्ताव इसलिये है कि यह जो शब्द इस खण्ड में दिये गये हैं वह हिन्दी भाषा की वर्णमाला का जो क्रम है उस क्रम में नहीं दिये गये हैं बल्कि उसके विपरीत दिये गये हैं। यह जो विधेयक है, यह इस सदन में हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया गया है। जब हिन्दी भाषा में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है तब इस विधेयक में, यह आवश्यक है, हम हिन्दी भाषा की व्याकरण के अनुसार हिन्दी भाषा के शब्दों का सही इस्तेमाल करें। हिन्दी भाषा की जो वर्णमाला है मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। इस विधेयक का जो इंगलिश ट्रांसलेशन है उसकी ओर, श्रीमान, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है, यह विधेयक मूल रूप में हिन्दी में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हिन्दी में यह विधेयक मूल रूप से न होकर अंग्रेजी में इसे लिखा गया और मंत्री महोदय उसका हिन्दी अनुवाद करवाकर यह कह रहे हैं कि इसको हिन्दी में लिखा गया है। आप अंग्रेजी में इस विधेयक को देखें। उसके अन्दर परिभाषा दी गई है। खण्ड 21 खण्ड 2 देखें agriculture, amenities, building operations, development आदि शब्द अंग्रेजी की वर्णमाला ए, बी, सी, डी, के क्रम में रखे गये हैं। उनका इन्होंने हिन्दी में अनुवाद कराया, Agriculture का कृषि हो गया, Amenities का सुख-सुविधाएं हो गया, Authority का प्राधिकरण हो गया और Building operations का भवन संकाय हो गया। इसलिये मूल रूप से यह विधेयक हिन्दी में नहीं लिखा गया। आप इस विधेयक को पारित कराने जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है, हिन्दी भाषा को तोड़-मरोड़ें नहीं। जब इस सदन में राजस्थान सरकार ने इस बात का संकल्प लिया है कि हमें अपना काम काज हिन्दी में करना चाहिये तो उसकी मान-मर्यादा भी रखनी चाहिये। तब हम को चाहिये कि इस खण्ड को भी हिन्दी वर्णमाला के अनुरूप बनायें। मैं समझता हूं इसके लिये आप कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे आदमी नहीं हैं जो मूल रूप से हिन्दी में बना सकें। मैं समझता हूं कि इसमे ऐसी बात नहीं है। आपको हिन्दी वर्णमाला के अनुसार ही इसको बनाना चाहिये था। अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय लिया गया है हिन्दी में काम करने का उसमें आप अग्रणी बनिये। आप जब हिन्दी में विधेयक को रख रहे हैं तो हिन्दी वर्णमाला के अनुसार इस क्लाज को बनायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मैंने जो संशोधन मूव किया खण्ड 1 में, उसको स्वीकृत करा दें।

श्री सभापति : खण्ड 2 के अन्दर जो संशोधन आपने दिया है . . .

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने खण्ड 1 के बारे में निवेदन किया है। खण्ड 1 में जो उप-खण्ड (2) में मैंने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया उसका कोई अपोजिशन नहीं हुआ।

श्री सभापति : खण्ड 1 पर विचार बाद में होगा। पहले खण्ड 2 पर विचार होना है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह किस समय रखेंगे आप तो...

श्री सभापति : खण्ड 2 के सम्बन्ध में और माननीय सदस्यों ने भी अपने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं। वह अपने संशोधन प्रस्ताव रखें और कोई और नई बात कहनी हो तो कह सकते हैं। विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत...

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया है, सभापति महोदय, इसलिए मैं बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने खण्ड 2 में और उसके उप-खण्ड और भागों में अलग-अलग चार-पांच संशोधन पेश किए हैं। मैं चाहूंगा कि मैंने जो संशोधन पेश किये हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाय। गम्भीरता से विचार करके उनको स्वीकार किया जाय। यदि नहीं किया जाय तो उनके बारे में राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताये, स्पष्ट जवाब दें।

मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :

"भाग (i) की चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द, 'किन्तु इसमें भवन से संलग्न किसी भूमि का ऐसे भवन के साथ-साथ उद्यान के प्रयोजनार्थ किया जाने वाला उपयोग नहीं आता है" विलोपित किये जायें;

भाग (4) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'किसी भवन का तात्विक परिवर्तन या उसका विस्तारण" विलोपित किये जायें;

भाग (5) की चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'या किसी भवन या भूमि के उपयोग में कोई तात्विक परिवर्तन' विलोपित किये जायें; और

भाग (15) में प्रयुक्त शब्द 'आदेशों' के स्थान पर शब्द "विनियमों" प्रतिस्थापित किया जाय."

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, यह जो प्राधिकरण का विधेयक लाया गया है इस विधेयक के बारे में हमारी प्रारम्भ से शंकायें हैं। आशंकायें इस बात की हैं कि इस विधेयक को कुछ निहित स्वार्थों के लिए लाया गया है। इस विधेयक को मनमानी करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक के द्वारा वह अधिकार लिए जा रहे हैं जिनका जयपुर के विकास से सम्बन्ध नहीं है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जिसमें जो चाहे किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो परिभाषा दी है उसमें है "कृषि" में उद्यान-कृषि, फल-कृषि, बीज-कृषि, उद्यान कर्म, पशु प्रजनन अथवा भूमि का पौधशाला या गोचर के रूप में उपयोग अथवा भूमि का ऐसा कोई अन्य उपयोग सम्मिलित है जो उस पर खेती के या अन्य कृषिक प्रयोजनों का अनुषंगी हो" इसमें मैंने जिन शब्दों को विलोपित करने का संशोधन प्रस्ताव रखा है वह है, "किन्तु इसमें भवन से सलग्न किसी भूमि का ऐसे भवन के साथ-साथ उद्यान के प्रयोजनार्थ किया जाने वाला उपयोग नहीं आता है।" मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को विलोपित किया जाये। माननीय सभापति, मैं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो मैंने संशोधन प्रस्ताव

(श्री कैलाश मेघवाल)

रखा है, उसको ध्यान से सुनें और ध्यान से सुनकर जो मेरी आशंकायें हैं उनको स्पष्ट करें, अन्यथा जब वह जवाब देंगे तो उनको वह ध्यान में नहीं रहेंगी और उनके जवाब के बाद भी मेरी आशंकाओं का जवाब नहीं आयेगा तो मुझे पुनः पूछने के लिये खड़ा होना पड़ेगा। यह स्थिति कोई अच्छी नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये इसको जरा अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। अंग्रेजी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है

"agriculture' includes horticulture, fruit growing, seed growing, dairy farming. gardening, livestock breeding, or the use of land as a nursery, grazing land, or any other use of land which is ancillary to its cultivation or other agricultural purposes, but does not include the use of any land attached to a building for the purpose of a garden...."

इसलिये मैं, सभापति महोदय, यह चाहता हूं कि शब्द "किन्तु इसमें भवन से संलग्न किसी भूमि का ऐसे भवन के साथ-साथ उद्यान के प्रयोजनार्थ किया जाने वाला उपयोग नहीं आता है" को विलोपित किया जाय। मैं इसलिये इसको विलोपित कराने के लिये संशोधन प्रस्ताव मूव कर रहा हूं कि आज जयपुर शहर की तो कोई बात नहीं लेकिन ज्यों ही आप जयपुर नगर परिषद् की सीमा से बाहर जायेंगे तो जयपुर नगर परिषद् की सीमा के बाहर करीब सात मील पर एक सुराणा का फार्म है और उसके आगे और भी फार्म बने हुए हैं। सभापति महोदय, हर फार्म के अन्दर एक भवन बना हुआ है। सभापति महोदय ...

श्री सभापति : मंत्री महोदय को खण्ड 2 के उप-खण्ड (6) में संशोधन मूव करना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : सभापति महोदय, आप इनको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप अमेंडमेंट मूव करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, जब इनकी रुचि नहीं है संशोधन मूव करने की तो फिर क्या है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मैं इसको मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप क्यों नहीं मूव करना चाहते हैं ? आप रूल क्वोट कर दें।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप मूव नहीं कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां नहीं करेंगे हमने आपकी बात मान ली। अब आप हमारी बात मान लें।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन शब्दों को विलोपित किया जाय। यह अमेन्डमेन्ट मैं इसलिये मूव करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया जयपुर नगरपालिका की सीमा के बाहर निकलने के बाद ही लोगों के फार्म बने हुए हैं। हर फार्म में एक भवन बना हुआ है। उस भवन के पास कहीं पर 10 बीघा जमीन है और जमीन के ऊपर उद्यान लगा हुआ है, बगीचा लगा हुआ है और बगीचों के बीच में एक भवन बना हुआ है। उसी के साथ साथ 10 बीघा, 15 बीघा और 20-20 बीघा जमीन लगी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, उसको आप कृषि भूमि मानेंगे नहीं। सीधी सी बात है, उसे कृषि भूमि नहीं मानेंगे तो वह अपने आप ही अकृषि भूमि हो गयी। सभापति महोदय, जब वह अकृषि भूमि हो गयी तो फिर, सभापति महोदय, अकृषि भूमि होते ही कृषि भूमि का जो कानून है उसका उल्लंघन हो गया इस परिभाषा में। आपको मालूम होगा कि इस बिल के पहले कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने के नियम बने हुए हैं उसके साथ 10 बीघा, 15 बीघा और 20 बीघा जमीन लगी हुई है जिस पर उद्यान हैं और बगीचा लगाया हुआ है तो आप इसको कृषि भूमि नहीं मानेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस कानून के बनने के बाद अगर आप उसको कृषि भूमि नहीं मानते हैं तो अरबन प्रापर्टी सीलिंग कानून के अन्तर्गत वह आ जाती है। वह अरबन प्रोपर्टी सीलिंग कानून के अन्तर्गत आ जाती है तो वह जमीन सरेन्डर करनी पड़ेगी, कृषि भूमि जो है वह नहीं करनी पड़ेगी। जो दस्तावेज हैं राजस्व डिपार्टमेंट में उनमें वह कृषि भूमि है, उसे, सभापति महोदय, लैंड सीलिंग के कानून से बचाने के लिये लॉ आफ लैण्ड से बचाने के लिये उसमें लोगों ने भवन बना लिये हैं, और भवन बनते ही वह जमीन कृषि भूमि से अकृषि भूमि हो गयी है। इस परिभाषा के आते ही वह कृषि भूमि अकृषि भूमि हो गयी और वह लैण्ड सीलिंग के अन्तर्गत नहीं आयेगी। सभापति महोदय, इस प्रकार यह सारा का सारा बिल भ्रामक हो जायेगा। जयपुर के भूतपूर्व महाराजा ने अपनी जमीन बहुत से लोगों को बेच रखी है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आपका प्रयोजन क्या है? कृषि भूमि में उद्यान लगे हुए हैं, लोगों ने बगीचे लगा रखे हैं और एक भवन बना दिया है तो वह कृषि भूमि नहीं मानी जायेगी। उस भूमि को जब आप कृषि भूमि नहीं मान रहे हैं तो आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर के बाहर हजारों बीघा जमीन कृषि भूमि है वह सब भूमि अकृषि भूमि हो जायेगी क्योंकि उस पर बहुत से उद्यान बने हुए हैं और बगीचे बने हुए हैं। उस जमीन को अकृषि भूमि कहते ही उस पर कन्वर्शन चार्ज नहीं लगेगा। भूमि को सीलिंग से बचाने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर के भूतपूर्व महाराजा ने एक बीघा नहीं सैंकड़ों बीघा जमीन लोगों को बेची है। वह कृषि भूमि थी, उस पर लोगों ने भवन बना लिए हैं। लोगों के पास एक बीघा नहीं 10-10 बीघा और 15-15 बीघा जमीन है वह इस परिभाषा में नहीं आयेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि आप क्या करने जा रहे हैं? एक निहित स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए आप आज यह कह रहे हैं। कृषि भूमि में भवन बना लिये राजा महाराजा की जमीन को

(श्री कैलाश मेघवाल)

सीलिंग से बचाने के लिए, यह सबसे अच्छा तरीका राज्य सरकार ने निकाला है। एक चोर दरवाजा निकाला है। ऐसी भूमि पर अरबन प्रापर्टी सीलिंग और लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू नहीं होगा। इन दोनों एक्ट से बचने का मौका लोगों को मिल जायेगा। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर करना क्या चाहते हैं। आप भी, सभापति महोदय, जयपुर के हैं, आपको भी मालूम होगा। खैर, अब आप वहां नहीं रहे। पर यह तो मालूम ही है कितनी बड़ी मिस्चीफ है। आश्चर्य होता है, इसको सुन कर। सभापति महोदय, किसी भी भूमि के ऊपर अगर एक छोटा-मोटा, कच्चा-पक्का मकान या कोठरी बनी हुई है, जैसे आप सुराणा का फार्म ही ले लें, उसकी भूमि अब कृषि भूमि इस बिल के पास होने के बाद नहीं रहेगी। उसके कन्वर्शन चार्जेज अगर उनसे कोई मांगेगा तो वह कह देंगे कि हम कोई कन्वर्शन चार्जेज नहीं देते हैं। इस बिल के पास होते ही वह जमीन अकृषि भूमि हो गयी इसलिये वह कह देंगे यह अकृषि भूमि है, हम कुछ नहीं देंगे। चलो, फिर मजे करो। आखिर यह आपने क्या तमाशा लगा रखा है। ऐसी जमीन के लिए आप क्या करना चाहते हैं, कृषि भूमि की परिभाषा में वह नहीं है। फिर आपका मन्तव्य क्या है। आखिर आपकी इसके पीछे भावना क्या है, आपका इन्टेंशन क्या है, आपके क्या उद्देश्य हैं? यह आप स्पष्ट रूप से बता दें। तो एक तो यह बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

तो, सभापति महोदय, इस खण्ड 2 के भाग (4) में यह दिया है। सभापति महोदय, मैं सब पर एक साथ ही बोलूं या एक खण्ड पर।

श्री सभापति : आप एक खण्ड पर एक साथ बोलें।

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी व्यवस्था क्या है?

श्री सभापति : एक साथ ही एक खण्ड के लिये बोल लीजिये। यह जो डेफिनेशन है।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, इस खण्ड 2 के भाग (15) के ऊपर यह है "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों या आदेशों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि इस तरह से हर लाइन में किसी न किसी तरह की मिसचीफ है, कानून को अस्त व्यस्त किया गया है। सभापति महोदय, मुझे विशेष तौर से इस बात का अफसोस है कि आखिर सरकार इस कानून का क्या करना चाहती है।

सभापति महोदय, अंग्रेजी में पढ़ना ज्यादा उपयुक्त है . . .

श्री सभापति : अंग्रेजी में पढ़ दीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : आप बार बार अफसोस क्यों कर रहे हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अफसोस इसलिए कर रहा हूं कि उधर के बैठने वाले जो बहिर्गमन कर गये, दल बदल कर गये, इसको पास करवा रहे हैं। इसलिए मुझे अफसोस होता है। आप बिराजे रहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिह राठौड़ : आप अफसोस क्यों करते हैं, इधर आ जाइये ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो उधर तब आऊंगा, खेतसिह जी, जब मुझे आना होगा। आज एक भी मंत्री स्तर का आदमी यहां नहीं है । गुफ्तगू बड़ी गंभीर चल रही है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री कैलाश मेघवाल : "Prescribed" means prescribed by the rules or orders under this Act.

माननीय सभापति महोदय, आर्डर का कोई स्थाई नेचर नहीं होता है। मुझे कोई लेजिस्लेशन बता दीजिए कि आर्डर की जो पत्रावली आती है उस पत्रावली में जो तथ्य होते हैं, उस पत्रावली में जो बिन्दू होते हैं उन बिन्दुओं के आधार पर आदेश दिये जाते हैं, वह आर्डर होते हैं। उस आर्डर के लिये कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि उस आर्डर का क्या होगा। यह प्रेस्काइब्ड बाई आर्डर लिखा हुआ है, मुझे इस पर दया आती है। आप पढ़ लेना या किसी से समझ कर आ जाना। आर्डर कोई स्थाई चीज नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, आर्डर इस के तहत स्थाई मानेंगे ? रूल्स बनाने का गवर्नमेन्ट को अधिकार है, सरकार रूल्स बनायेगी। इस विधेयक की मंशा पूरी करने के लिए सरकार नियम बनायेगी वह नियम स्थाई होंगे। वह विधान सभा के पटल पर भी रखे जा सकेंगे। उन नियमों को हम देख भी सकेंगे, उन नियमों को जनता जान भी सकेगी। उन नियमों के आधार पर अपना काम भी कर सकेंगे। दूसरा होता है रेगुलेशन विनियम, रेगुलेशन स्थाई होते हैं। सरकार जो नियम बनायेगी उसके बाद कुछ मसले बचे रह सकते हैं उन मसलों को हल करने के लिए रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। रेगुलेशन भी स्थाई होते हैं और उनका निश्चित एक स्वरूप होता है, उनकी निश्चित दिशा होती है, उनका निश्चित मन्तव्य होता है। मैंने संशोधन यह मूव किया है, "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" प्रतिस्थापित किया जाय। Prescribed by rules and regulations. आदेश से क्या प्रेस्काइब होगा। मुझे समझाया तो जाये। आर्डर्स कोई परमानेन्ट नेचर का किसी भी कानून में आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। यह प्रावधान आप इसलिये लाये हैं क्योंकि आपका तो शुरू से मन्तव्य यह रहा है कि किस तरह से अपने स्वार्थों की बात रखें : जब चाहा तब आर्डर दे देंगे। इसलिये यह शब्द order अनावश्यक है। इसके बजाय आप regulations रखिये। सारे विधेयक में, माननीय सभापति महोदय, रेगुलेशन बनाने का अधिकार तो प्राधिकरण को है। आपने रेगुलेशन को, विनियमों को इस विधेयक में रखना उचित नहीं समझा इसलिये मैंने संशोधन दिया है। भगवान के लिये कुछ तो रहम करो, कानून पर रहम करो, कानून की ड्राफ्टिंग पर रहम करो, कानून के मन्तव्य पर रहम करो और एक स्थाई चीज है उसको रखो। इसलिये मैंने इसको रखा है। कि "आदेशों" के बजाय शब्द विनियमों, "order" के स्थान पर शब्द "regulation" प्रस्थापित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे दो ही संशोधन प्रस्ताव हैं। मैं चाहूंगा कि इसका मंत्री महोदय स्पष्ट तौर से स्पष्टीकरण देते हुए जवाब दें।

(84)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे है उन्हीं तक सीमित रहेगी बहस।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम डिलीशन के लिये बोलना चाहेंगे तो बोल सकेंगे।

श्री सभापति : वह बाद की बात है।

सुश्री पुष्पा जैन।

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

अब आप बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आप चेयर पर बैठे हैं। मुझे तो बोलने दीजिये।

सभापति महोदय, खण्ड 2, जो परिभाषा का है, के सब-सेक्शन (4) में है :

(4) 'भवन संकाय' में भवन अथवा उसके किसी भाग का परिनिर्माण पुनः परिनिर्माण, छादन या पुनर्छादन अथवा किसी खुले स्थान पर कोई संनिर्माण, किसी भवन का तात्विक परिवर्तन या उसका विस्तारण, भवनों के परिनिर्माण संबंधी परिवर्तन या उसका विस्तार, किसी भवन का ऐसा परिवर्तन, जिससे उसके जल निकास या स्वच्छता प्रबंधों पर प्रभाव पड़ना अथवा तात्विक रूप से उसकी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, अथवा ऐसे किसी मार्ग या भूमि, जो भवन के स्वामियों की न हो, पर दरवाजे का संनिर्माण आते हैं। इसको समझाने के लिए जैसा कि माननीय कैलाश जी ने कहा था उसको मैं भी अंग्रेजी में पढ़ देता हूं।

श्री सभापति :

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं सब के लिए पढ़ देता हूं :

"building operations' includes erection, re-erection of a building or any part thereof, roofing or re-roofing, or any construction on any open space, any material alteration or enlargement of a building, structural alterations of or additions to a building and any such alteration of a building as is likely to effect an alteration of its drainage or sanitary arrangement or as materially affects its security or the construction of a door on any street or land not belonging to the owner of a building."

अब इसमें लिखा है : includes erection or re-erection। मेरी दीवार बनी हुई है वह यदि बरसात में टूट गयी तो मैं उसका री-इरेक्शन नहीं करा सकता अर्थात् आलरेडी दीवार बनी हुई है वह टूटती है तो उसका री-इरेक्शन नही करा सकता मैं। इसके आगे है "or any part thereof" मान लीजिए, किसी मकान का एक छोटा सा हिस्सा भी गिर गया या चबूतरा भी टूट गया या उसका निर्माण करना हो या री-इरेक्शन करना हो तो मैं जे. डी. ए. के पास जाऊंगा और परमिशन लूंगा। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद यह है कि बरसात में मेरा छत चूने लग गयी और उसका मुझे री-रूफिंग कराना है, पुनर्छादन कराना है, उस पर सीमेन्ट करना चाहता हूं तो मैं नहीं करा सकता। उसके लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। न छत डलवा सकता और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

न डली हुई छत को दुबारा किसी तरह से मजबूत करा सकता। यह शब्द इसमें जोड़ दिये हैं। फिर आपने एक शब्द जोड़ा है "any material alteration" याने तात्विक परिवर्तन। अब any material alteratio की परमिशन देने वाला जो अधिकारी है उसका विवेक इसमें काम करेगा कि यह मेटीरियल है या नहीं। आप कुछ भी बना लीजिए, यदि वह आफिसर समझता है कि यह मेटीरियल नहीं है तो आपके पास कोई मापदण्ड नहीं है कहने का कि इसे तो मेटीरियल मानेंगे। यदि उसको जंचती है तो वह मानेगा। यदि आपने कोई बारना बड़ा कर दिया, तो वह कहेगा कि मैं इसको मेटीरियल मानता हूं। वह उसको तोड़ देगा। अगर उसने यह समझा ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम लेकर कहें, साहब !

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी बात सुन रहा हूँ एक एक शब्द।

श्री भंवरलाल शर्मा हाँ हाँ,' आपका ध्यान मेरी तरफ ही है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री भंवरलाल शर्मा : Any material alteration. यह मेटीरियल आल्ट्रेशन क्या होगा; यह इसमें डिफाइन नहीं किया है। फिर मेरी जमीन खाली पड़ी हुई है और उसमें मैंने एक काऊंड बना दिया या मैं बनाना चाहता हूं तो नहीं बना सकता हूं। छोटे से छोटा कन्सट्रक्शन 2 फीट का भी है तो उसके लिए भी मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। या ऐसा कोई कार्य करूं जिससे कि स्वच्छता या सेनीटेशन पर असर पड़ता हो तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कहीं मेरे मकान में कहीं ढाल ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिये भी परमिशन लेनी पड़ेगी। हवा नहीं आती है, यदि कहीं हवा के लिये खिड़की या दरवाजा निकलवाना चाहूं तो उसके लिये परमिशन लेनी होगी। यानि हम हर कदम-कदम पर इनकी सेवा में ही हाजिर रहेंगे क्या ? तो मेरा निवेदन है कि इसमें से शब्द "तात्विक परिवर्तन" हटा दिये जायं। आप स्पेसिफाई करिये। ऐसी एक तलवार आप अधिकारियों के हाथ में दे देंगे तो आज तो मंत्री है, कल हटेंगे..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल क्यों हटेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : कभी तो हटेंगे..

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप जचे सो कहें मन के लड्डू फीके मत रखो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मकान का पट्टा दे सकते हैं, मंत्री बनने का पट्टा नहीं ले सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अपना क्या है ? इनकी बीमारी है, ये जाने। It is your arrangement. मैं यह जानना चाहता हूं, आप जयपुर की जनता को...

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप यह क्या सोच रहे हैं। कानून तो सही पास करवा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है इस कानून का दायरा कितना अधिक हो गया है। सभापति महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप आसन पर हैं। आप जयपुर को जानते हैं, जयपुर की स्थिति को जानते हैं और जिन्होंने कानून बनाया है, उनकी मंशा को भी जानते हैं। अब इसका क्षेत्र यहां की नगरपालिका तक ही सीमित नहीं रहा। इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। इसमें ग्राम पंचायतें भी आ गई। अब किसी गरीब किसान को ईंट भी लगानी होगी तो जयपुर चलकर आयेगा। यहां उसकी क्या हालत होगी, यू. आई. टी. में आप रह चुके हैं आप जानते हैं, लोगों की क्या हालत होती है। आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद यह स्थिति है। यह बात तो तब है जब आप जैसे ईमानदार अधिकारी हैं। पर अब अथोरिटी के अध्यक्ष आप नहीं होंगे...

श्री सभापति : इस समय तो ध्यान रखिये। मेरा जो उत्तरदायित्व है, वह तो पूरा करने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : You are very well performing your duties.

तो मेरा यह निवेदन है, जनता को परेशानी न हो। आप यह कानून बनाकर जयपुर का जो डवलपमेंट करना चाहते है उसमें भी इस कानून से कोई योगदान नहीं मिलने वाला है। इस एक्ट की तो यह मंशा हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे चंगुल में फंसा रहे। जैसा पिछले दिनों एक आदेश निकला था कि प्रत्येक दुकानदार असेन्सियल कमोडिटी की सूची अपनी दुकान के बाहर लगायेगा। माचिस बेचने वाला भी हो तो उसको भी उसकी स्टॉक लिस्ट और उसकी कीमत प्रदर्शित करनी पड़ेगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप ऐसा शिकंजा कसेंगे तो वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यही मंशा इस कानून की है।

इसमें आगे चलकर (7) पर है--"जयपुर रीजन से अनुसूची 1 में विनिदिष्ट शहरों, नगरों और गांवों की सीमाओं के क्षेत्र अभिप्रेत है। राज्य सरकार समय-समय पर राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र को जोड़कर या उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी, और इसके उपरान्त उपान्तरित क्षेत्र जयपुर रीजन होगा।

श्री सभापति : जो संशोधन है, उसमें तो नहीं है–खण्ड 4, 5।

श्री भंवरलाल शर्मा : (7) में है।

(व्यवधान)

संशोधन इसी का है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अगर आप इस टेक्निकलिटी में जायेंगे तो फिर और भी मुश्किल हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आज का ही दिन है इस बिल के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारा ख्याल नहीं है क्या। हम भी सब जानते हैं। कानून जनता के हित में बनाना है तो यह नहीं देखना होगा। पूर्ण विचार-विमर्श करना होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, क्या हाउस में सोना अलाउड है ?

श्री सभापति : वे सो नहीं रहे हैं, मनन कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो।

(विराम)

श्री भंवरलाल शर्मा: क्यों साहब, बोलूं ? आपकी नींद पूरी हो गयी।

श्री सभापति : सदन में सोना अच्छी बात नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सदन में सोना मना तो नहीं है पर अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये इम्पार्टेन्ट विषय है आज का।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : जयपुर विकास प्राधिकरण का जो अधिकार क्षेत्र रहेगा इसमें उसका निर्धारण किया गया है। उसके निर्धारण के लिये परिशिष्ट 1 है, उसमें उल्लेख किया गया है, जिन जिन गांवों का उल्लेख किया गया है वे इसकी परिधि में रहेंगे। प्रत्येक गांव और प्रत्येक क्षेत्र पर कहूंगा तो काफी लम्बा होगा इसलिए मैं नमूने के लिए बताना चाहता हूं। दिल्ली तक तो आप गये होंगे, और जमवा रामगढ़ भी आपने देखा होगा। दिल्ली रोड पर अचरोल इसमें इन्क्लूड है। मतलब इसका क्षेत्र जयपुर से अचरोल तक और उधर जमवा रामगढ़ तक होगा। इसमें काफी गांव आते हैं। उदाहरण के लिए डण्ड आता है, अभी भारद्वाज जी यहां पर नहीं हैं उनका गांव भी आता है। ऐसे अनेक गांवों को इसमें नहीं जोड़ा गया है तो फिर उनका क्या होगा। उसका कारण क्या है ? कारण यह है कि जिन्होंने एक्ट बनाया है, उनकी मंशा यह है कि उनके काम में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने वाला कोई हो ही नहीं। जयपुर से अचरोल तक माननीय भारद्वाज जी का गांव छोड़ दिया, डण्ड को छोड़ दिया, कूकस वगैरह सब छोड़ दिये। अचरोल से जयपुर को जो जोड़ने वाले इलाके हैं, जो जयपुर व अचरोल के बीच में पड़ते हैं, उनका क्या होगा ?

श्री सभापति : कुछ छोड़ दिये जायेंगे, कुछ ले लिये जायेंगे। जहां अच्छी स्कीम होगी, वहां ले लेंगे और जहां अच्छी स्कीम नहीं बनेगी उसको छोड़ देंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा : हां, ठीक है। आप न्याय कर रहे हैं इसलिए कह दिया। जिसको चाहेंगे जोड़ देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं जोड़ेंगे। यही नीति है इनकी। जैसा अभी बनाया एक कानून, एरिया नोटिफाई करने का। अपना मतलब बनता होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है ही। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय जवाब दें बिना जोश में आये, होश से, किन-किन को जोड़ा गया है और किन किन को छोड़ा गया है। जैसा आपने कहा विकास करना चाहते हैं जयपुर का। तो माननीय भारद्वाज जी के गांव में विकास नहीं करना है इसलिये वह स्थान छोड़ा है या किस कारण से छोड़ा है हमको समझा दें। अगर और कोई कारण है तो वैसा भी हमको बता दें ताकि आपकी नीयत का पता चल जाय। इसलिये जिन दो मुद्दों पर मैंने

(श्री भंवरलाल शर्मा)
विचार रखे हैं माननीय मंत्री महोदय इन पर अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री सभापति : आपने तो खण्ड 2 पर कोई अमेण्डमेन्ट ही नही दिया है। ऐसा है कि···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : प्रस्ताव मूव होता ही नहीं है।

श्री सभापति : डिलीशन के प्रस्ताव पर आप इस तरीके से डिस्कशन्स करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन है, यह कानुन पास कर रहे हैं अपने····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अमेण्डमेन्ट चल रहा है तो मन्त्री महोदय क्यों उसको····

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रारम्भ में बोल चुके।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि प्रारम्भ में ही आप यह नहीं कहें, अलाउ करिये आप। अगर आपका यह निर्णय हो कि हम बड़े शार्ट में कुछ कहें या कुछ न कहें, कुछ समझें, या नहीं समझें तो इसको पास कर दें। यदि इस कानून को पास करना हो, और विचार से पास करना हो, अगर आप चाहते हैं···

श्री सभापति : कानून को तो आपके सामने इसीलिए रखा है कि····

श्री भंवर लाल शर्मा : यह तो भाषण नहीं है। यह तो कानून की धाराओं का मामला है। आप यह कहें कि आपने संशोधन नहीं दिया है या दिया है तो इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आप उदारतापूर्वक इस कानून पर विचार करने के लिए सब को अवसर दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं उप खण्ड (2) में (5) पर कहना चाहता हूँ कि····

श्री सभापति : उप खण्ड (5) पर आपका संशोधन आया उस पर तो आप बोल लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रीजन्स आफ डिलीशन्स पर बोल दिया। मैं 5 पर नहीं बोला हूं, सब (5) पर बोले हैं मैं (4) पर बोल गया। "विकास से इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित" इसमें लिखा है, "इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित" मैं तो व्याकरणिक का ज्ञाता नहीं कि विकास के क्या क्या व्याकरणिक अर्थ हैं इसलिए मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि विकास के क्या-क्या व्याकरणिक रूप भेद हैं, वह विकास के व्याकरणिक रूप भेद बतायें। सभापति महोदय, कुछ व्याकरण के ज्ञाता हैं, व्याकरण के आचार्य हैं, वह बता सकते हैं लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं। यह मेरी समझ में नहीं आता इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय स्पष्ट करें कि विकास के व्याकरणिक रूप भेद इसमें कौन कौन से हैं।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा इसमें समुद्र, संकरा गढ्ढा, नदी, झील है। जयपुर के आसपास समुद्र का निर्माण हो गया हो तो मैं तो नहीं जानता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आप जयपुर के रहने वाले हैं, आप जानते होंगे या मंत्री महोदय··

श्री सभापति : यहां चेन्ज हो जाय, हालात बदल जायें तो हो सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो इसलिए इसको जितना भी आप पढ़ेंगे, तो एक खास बात मैं कहना चाहूंगा··

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रलय की सम्भावना है एक दो साल में।

श्री सभापति: हो सकता है। 1/50 साल में क्या क्या चेंजेज हो गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए, सभापति महोदय, इसको पूरा आप पढ़ेंगे, क्योंकि ओथेन्टिक हिन्दी में है और वर्सन अंग्रेजी में है, पढ़ने पर यह उपहास का पात्र बन कर रह जाता है। इस प्रकार के कानून बनाते हैं। "व्याकरणिक रूप भेद" आप, माननीय मन्त्री महोदय, स्पष्ट करेंगे। और समुद्र कहां से आ गया ? मैं चाहूंगा, सारी की सारी-जो इसमें उप-धारा आपने 5 लिखी है, वह समाप्त की जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है "जयपुर रीजन" से अनुसूची 1 में विनिदिष्ट शहरों, नगरों और गांवों की सीमाओं के क्षेत्र अभिप्रेत हैं। राज्य सरकार समय समय पर राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र को जोड़कर या उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी और इसके उपरांत उपान्तरित क्षेत्र जयपुर रीजन होगा। सभापति महोदय, अपनी पंचायत है, नगरपालिका है, उन दोनों के अन्दर यह है, नगरपालिका क्षेत्र का विस्तार करने का नियम है कि एक दो किलोमीटर के रेडियस के अन्दर करना चाहिए, पंचायत का करना चाहते हैं तो एक या दो किलोमीटर रेडियस में कर सकते हैं। इसमें, सभापति महोदय, आगे भी मैंने पढ़ने की कोशिश की है, कहीं व्याख्या दी हो तो मंत्री महोदय बताएं, मेरे ध्यान में है कि इस परिभाषा के बाद इस राज्य सरकार की, माननीय मंत्री महोदय की इच्छा होगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो नोटिफिकेशन जारी करके सीकर को भी जयपुर रीजन में सम्मिलित कर देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लास्ट लाइन भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नहीं आयेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहीं भी नहीं है।

श्री सभापति शिड्यूल के अन्दर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसके बाद किसी भी दिन राजनीति में इसका इस्तेमाल करने की जरूरत हो गयी, उस दिन सीकर को जयपुर रीजन में ले सकते हैं, पूरे राजस्थान को भी ले सकते हैं। एक प्रकार से जे.डी.ए. के नाम से गवर्नमेंट बनाली। इतना बड़ा कानून बनाकर उसमें इतना ध्यान में नहीं रखा कि किस क्षेत्र को इसमें लेंगे और किसको छोड़ देंगे। अब, सभापति महोदय, यह तो ऐसा महत्वपूर्ण कानून बन रहा है कि जयपुर के पास कोई गांव पर इनकी नजर है कि इस गांव को इसमें लेना है, इस गांव की जमीन में चांदी है तो उस गांव को जयपुर रीजन में घोषित कर देंगे और दूसरा गांव छोड़ना चाहेंगे तो उसे छोड़ देंगे। मतलब आसपास के किसान, आसपास के गांव में रहने वाले व्यक्ति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिस पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी उसको ही नोचेंगे। इस विधेयक के अन्दर जयपुर रीजन का सब-क्लाज लिया है इस सब क्लाज से बचने का, लोगों से आपत्तियां आमंत्रित करने, लोगों की आपत्तियां सुनने और उनको सुन कर उनका फैसला करने का कहीं भी आगे कोई क्लाज दिया है तो मंत्री महोदय बतायें। इस सब-क्लाज का इतना बड़ा भयंकर दुरुपयोग हो सकता है, उस दुरुपयोग की कोई सीमा नहीं होगी। हम कानून बना रहे हैं आगे आने वाले काफी लम्बे समय के लिए किन्तु आगे आने वाले समय पर श्रीराम जी की दृष्टि नहीं है। मैं कहता हूं, मेरी दृष्टि तो है। हो सकता है, आगे कोई सरकार आ जाय वह किसी गांव को छोड़ना चाहे। इसमें कोई इस प्रकार का आदमी आ सकता है जो अपने दृष्टिकोण से देखे कि कौन-कौन जमीन बढ़िया है। इन सारे प्रावधानों को देखने से लगता है कि राज्य सरकार का कानून लाने का मकसद केवल कुछ व्यक्तियों की संतुष्टि करना है। जिनकी जमीन पर दृष्टि पड़े, उसको जयपुर रीजन में शामिल कर लो। मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय स्पष्ट कर दें कि उनकी ऐसी दृष्टि नहीं है, जयपुर का मास्टर प्लान बनायेंगे। सब क्लाज में बताया गया, इसमें दिया गया है कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसके बाद यह नहीं है कि सुनवाई होगी, आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी, इसके पश्चात् सरकार में फैसला होगा। उसके बाद, सभापति महोदय, इसमें एक स्पष्ट किया गया है, कोई भी फैसला, जो विकास प्राधिकरण कर लेगा, के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं जा सकेगा। तो जब यह क्लाज रहेगा कि किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकेगा तो इस क्लाज को रखने का मतलब इतनी बड़ी पावर सरकार को दे देना होगा कि किसी भी नगरपालिका, पंचायत का कोई भी क्षेत्र हो, उसको इसके अन्दर शामिल कर ले। यह बहुत बड़ा अधिकार है। यह अधिकार सरकार को नहीं लेना चाहिए। अगर कहीं ऐसा क्लाज दिया हुआ है तो माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करने की कोशिश करें और इनको हटाया जाय। व्याकरणिक रूप भेद जो हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या हो सकती है। यह बताया जाय कि व्याकरणिक रूप भेद की व्याख्या क्या है। दूसरे समुद्र कहां से आ गया, समुद्र कहां से बन जायेगा। यह सारी बातें रख कर इस विधेयक को कपोल कल्पित आधार पर इन्होंने बनाया है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं समझी और आर्डिनेन्स द्वारा जारी किया। कानून पास कर यह बता देना चाहते हैं कि विधान सभा में सदस्यों के दिमाग नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से हम जो बोल रहे हैं, यह रिकार्ड में आ जायेगा जिससे यह सिद्ध होगा कि हमारे अन्दर तो दिमाग था लेकिन जो सदस्य इसको पास कराने में वोट देंगे, उनके बारे में विश्वास हो जायेगा कि जैसा सरकार का दिमाग था, वैसा ही दिमाग उनका भी था क्योंकि उनके दिमाग में भी समुद्र था और व्याकरणिक रूप भेद थे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी विस्तृत व्याख्या माननीय मंत्री महोदय करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): डिलीशन पर तो कोई भी बोल सकता है।

श्री सभापति: आपने तो किस किस बात के लिए इसमें···

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं बोल रहा हूं इस प्राधिकरण की सदस्यता की समाप्ति

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
का वलाज है, इसमें जो मेम्बर्स बनाये हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो बहुत आगे है। अभी कहां है वह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह 2 में ही तो है।

श्री सभापति : आप उत्तर दीजिए मंत्री महोदय।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आप गलत हैं। आपको जानकारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपको तो है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य, हवामहल और सीकर से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार अपने संशोधनों पर पेश किये हैं। इनकी कुछ चीजें तो गलतफहमी पर आधारित हैं, जैसे इन्होंने एक बात यह कही है कि कोई सुराणा फार्म है उसकी जमीन छोड़ने के लिए किया है...

श्री कैलाश मेघवाल : उदाहरण दिया था। मैंने व्यक्तियों के लिये नहीं कहा था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं उस प्वाइन्ट पर ही अनुरोध कर रहा हूं। मैं खास ही ज्यादा नहीं बोलना चाहता। इसके बारे में उसी के हिसाब से अनुरोध करे रहा हूं। जो खण्ड 2 (1) में सुझाव दिया गया है, उसके बारे में मेरा निवेदन है जो कृषि उद्यान का है, उद्यान भवन के साथ भवन के प्रयोजनार्थ ही लगाये जाते हैं। उसमें यह क्लियर कर दूं, माननीय सभापति महोदय, जो जयपुर में अरबन सीलिंग एक्ट लागू है और उसमें 15 सौ मीटर से ज्यादा जमीन नहीं रह सकती। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि किसी ने बिल्डिंग में उद्यान लगाया है या उसके बाहर उद्यान लग रहा है तो उस पर सीलिंग एक्ट कैसे लागू करेंगे, यह बात नहीं रहेगी। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय संशोधन पेशकर्ता इसको वापस ले लें।

कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण संशोधन दिया है, जो अल्फाबेटिकल आर्डर दिया गया है वह बी सी नहीं होकर क ख ग घ इस प्रकार से दिया जाय। मैंने इस बारे में लॉ डिपार्टमेंट और भारत सरकार से भी पूछा था। उन्होंने हमको यही बताया था कि सही प्रक्रिया यही है और इस समय तक यही जारी है। इससे कोई बहुत बड़ा प्रक्रिया संबंधी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से बिल में लिखा गया है वह ठीक है, इसके अन्दर परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं आने वाला है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसको भी वे वापस ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

(व्यवधान)

तीसरी बात जो हवामहल से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कही, तात्विक परिवर्तन या उसका विस्तारण की बात प्रेक्टीकल आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जिस स्थिति में किसी ने दो मंजिल का नक्शा पास करा रखा है जैसे कि सरगम होटल है या दूसरे जो बड़े भवन बन गये हैं, दो मंजिल का नक्शा तो पास करा लिया, उसे सात मंजिल तक ले जावें तो आप उनको रोक नहीं सकते। इसके लिए पावर्स नहीं थीं। इसलिए मैं आप से अनुरोध

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

करूंगा कि टेक्निकल परिस्थितियों में जो कठिनाइयां सामने आ जाती हैं उनको सामने रखते हुए हमने यह सारी चीजें रखी हैं। इसलिए मैं सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं उनको वापस ले लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : उनका एप्रिहेंशन यह है कि आपने दो मंजिल की परमिशन दे दी, बिल्डिंग तैयार हो गई और बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिर जाता है या उसकी छत गिर जाती है तो क्या उसको दुबारा परमिशन लेनी पड़ेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जिसका नक्शा अप्रूव हो गया है उसको दुबारा परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की छत गिर जाती है या और किसी तरह का नुकसान हो जाता है और उसकी रिपेअरिंग करवानी है तो उसको दुबारा परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते की उसका पहले का नक्शा पास है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : गांव वाला कैसे नक्शा पास कराएगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप पहले बोल चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर आपको बुलाऊं करें तो आप फिर बोल लें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! जो माननीय सदस्य का सस्पीशन था वह मैंने पूछ लिया है।

श्री भंवर लाल शर्मा : गांव वाला नक्शा पास कराने कहां से आएगा।

श्री सभापति : जो प्रश्न पूछना था वह मैंने पूछ लिया है, अब बाधा नहीं डालें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, सीकर से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने फर्माया कि इसका विस्तार सीकर तक कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें बहुत क्लियर जयपुर रीजन की व्याख्या की गई है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गजट नोटिफिकेशन निकाल कर ले जावें तो क्या बंदिश है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : नोटिफाइड एरिया कमेटी अलग है वह इस एक्ट में नहीं आती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं गजट नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर ! मैं; माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था चाहता हूं और वह व्यवस्था इसलिए चाहूंगा कि हम एक सब्सटेंशियल लॉ पास कर रहे हैं। मैंने जैसा श्रीमान से निवेदन किया था, उनके बारे में जो सवाल उठाये गये है, जो संशोधन दिए हैं मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बतायें। इस समय हम कोई साधारण वाद-विवाद या आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं; काल अटेंशन या ध्यान आकर्षण पर बहस नहीं कर रहे हैं या और कोई विषय नहीं है। यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्थान की विधान सभा का मुख्य कार्य कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा बिल हम पास करने जा रहे हैं, एक सब्सटेंशियल लॉ पहली बार पास करने जा रहे हैं। अमेंडमेंट तो एक्ट्स में बहुत कर दिए लेकिन इस बार सब्सटेंशियल लॉ पास कर रहे हैं। मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि हमने जो संशोधन दिये हैं उन संशोधनों पर मंत्री महोदय ने जिस तरह से मंतव्य व्यक्त किये हैं, उनका उत्तर जिस तरह से दिया है, जैसा कि अभी दिया है, माननीय सभापति महोदय, तो हम स्पष्टीकरण के लिये कहां जायेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि जो सवाल खड़े किये जावें उनका स्पष्ट उत्तर दे दें। एक सवाल खड़ा किया कि आपकी दुबारा परमिशन चाहिए, यह आपने पूछा है। मैंने उदाहरण के तौर पर अर्ज किया था कि जो कृषि फार्म हैं, एक कमरा है और उसके चारों ओर कृषि भूमि है, आपने उसको कृषि उद्यान कर दिया। एक छोटा सा भवन बना हुआ है और उसके साथ कृषि भूमि लगी हुई है, उसको आपने एग्रीकल्चर फार्म कर दिया। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे निवेदन करूंगा कि जयपुर नगर परिषद् की सीमा के बाहर जो-जो बंगले हैं, वे बड़े-बड़े अफसरों के हैं, भूतपूर्व और वर्तमान मंत्रियों के बंगले हैं, कहने को गांव में रहते हैं, दो मंजिला मकान है, दो कमरों का मकान है और उसके चारों तरफ 25-25, 30-30 बीघा कृषि भूमि लगी हुई है, उसको आपने कृषि उद्यान कर दिया।

श्री सभापति : आप व्यवस्था चाह रहे थे। मैं व्यवस्था दे दूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं व्यवस्था यह चाह रहा था, पर बहुमत के आधार पर आप जो चाहें वैसा पास करवा लें लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमारे सवाल रिकार्ड पर आयें और उनके जवाब भी रिकार्ड पर आयें। मैंने जो सवाल किए उनका मंत्री महोदय क्या जवाब दे रहे हैं, वह सब रिकार्ड पर आना चाहिए। मैंने एक सवाल किया कि एक भवन कृषि भूमि पर बना हुआ है और उसके चारों ओर 25-30 बीघा भूमि कृषि की है उस कृषि भूमि पर उद्यान कर रखा है...

श्री सभापति : इस संशोधन पर आप बोल चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने यह भी कहा था कि आदेश और नियमों में क्या अन्तर है, यह स्पष्ट हो जाय। मंत्री महोदय ने जिस तरह का जवाब दिया है उसके बाद बहुमत के आधार पर भले ही आप कुछ भी कर लें लेकिन जो हमने मुद्दे खड़े किए हैं वे भी रिकार्ड पर आ जायं और मंत्री महोदय जो भी उनका उत्तर दें वह भी रिकार्ड पर आ जायं।

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और जो व्यवस्था चाही है कि हम जिस लेजिस्लेशन को यहां बनाने जा रहे हैं उसमें खण्ड 2 में जो अमेंडमेंट लाए हैं उन अमेंडमेंट्स को जिस तरीके से उन्होंने रखा है, वे चाहते हैं कि उनके उत्तर पर्याप्त हों जिससे उनको सेटिस्फेक्शन हो। उन्होंने यह कहा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि आप अपने जो अमेंडमेंट हैं उनको वापस ले लें। माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो मंत्री महोदय साधारण रूप से यही कहेंगे कि जो अमेंडमेंट

(श्री सभापति)

रखा है वह वापस ले लें। अगर वापस लेने को तैयार नहीं होते हैं तो मंत्री महोदय ने अभी अपना रिप्लाई पर्याप्त रूप से शुरू नहीं किया है और आपने पोइन्ट आफ आर्डर रेज कर दिया। पोइन्ट आफ आर्डर तो मंत्री महोदय के उत्तर होने के बाद भी आ सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं, सभापति महोदय। जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं मैंने उन सब के बारे में उनको उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

तसल्ली तो रखें। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, जो उन्होंने डाउट रेज किए थे उनके बारे में मैंने निवेदन किया कि जयपुर में अरबन सीलिंग एक्ट लागू है और किसी के पास पचास बीघा या बीस बीघा होने का सवाल नहीं है। कहीं पर प्रश्न पैदा नहीं होता है। जहां तक उन्होंने दूसरा अमेंडमेंट दिया था जिसके बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं। जहां तक मुझे याद आता है आपने भी मेरे से एक प्रश्न पूछा था, मैं उसका भी उत्तर दे चुका हूं।

तीसरी बात उन्होंने व्याकरण के बारे में कहीं, मैंने निवेदन किया था कि बाकायदा ड्राफ्ट करके, अनुवाद करके और सही शब्दावली का उपयोग करके ही बिल बनाया गया है। जो शब्द इसमें दिये गये है उनसे कोई परेशानी नहीं होने वाली हैं। कौन सी ऐसी टैक्निकल बात पैदा हो रही है...

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : हम कानून बना रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जहां तक अभी सम्माननीय सदस्य ने कहा कि हम इसको सीकर तक मिला देंगे। इसके बारे में मैं अनुरोध कर चुका हूं कि जयपुर रीजन की व्यवस्था इसमें साफ दे रखी है। इस प्रकार जो भी संशोधन रखे गये हैं और जो मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी का मैं उत्तर दे चुका हूं। इसलिए अब मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि या तो वे अपने संशोधन वापस ले लें। यदि नहीं लेते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको नामंजूर किया जावे।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट के लिए आप विराजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जो भी सवाल उठाये थे, जो भी आपसे निवेदन किया था आप रिकार्ड उठा कर देख लीजिए, आप अभी का रिकार्ड देख लीजिए, क्या उनका उत्तर आया है। आखिर मैंने मुद्दे उठाये थे। मैंने एक बात कहीं है। मेरे उस संशोधन के बारे में एक शब्द मंत्री महोदय ने नहीं कहा। मेरे संशोधन का क्या उन्होंने जवाब दे दिया? मैं यही व्यवस्था चाहता हूं। हमने संशोधन दिये हैं उन पर आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं लेकिन छोटा सा जवाब दे दें, आदेश किसको कहते हैं, नियम किसको कहते हैं? यह आवश्यक है। मैं यही व्यवस्था चाहता हूँ। क्या आसन व्यवस्था करेगा कि जो संशोधन दिये, उन संशोधन में जो मुद्दे उठाये उनका जवाब नहीं दें, किसी तरह के शब्द नहीं बोलें। मैं आपसे यही व्यवस्था चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, जब हम बहस कर रहे थे उस समय ना हमारे बुजुर्ग थे और न आपके बुजुर्ग थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे बुजुर्ग तो मेरे पास बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा जो निवेदन था, भवन संकाय के विषय में। इसमें आपने केवल एक बात कह कर टाल दिया, नक्शा पास करते समय चेंज का कोई मतलब नहीं होगा। यह नहीं होगा। रिरूफिंग और रिरूफिंग के लिए मैंने कहा था, अगर किसी का मकान बना हुआ है बरसों से, चाहे गांव में है या शहर में, बरसात से या किसी वजह से उसकी एक पट्टी भी टूट गई, या छत उघड़ गई तो वह उसकी व्याख्या में आयेगी कि नहीं। उसका जवाब नहीं दिया आपने।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वापस कैसे लेंगे? सदन की अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसको पढ़ दूं। इसका जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : आपने अपनी समझ से सवाल किया। मंत्री महोदय ने अपनी समझ से जवाब दिया।

श्री भंवर लाल शर्मा : जवाब ही नहीं दिया। एक का भी जवाब आप बता दीजिये, क्या जवाब दिया।

श्री सभापति : हाउस पास करेगा। प्रश्न यह है...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, क्लियर होने दीजिये। हम कानून बना रहे हैं। एक झोंपड़ी बनायेगा उसके लिये परमिशन लेनी होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने से पहले अभी जो प्रक्रिया चल रही है वह पूरी होने दीजिये। आप रूल कोट कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रूल कोट कर रहा हूं। सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 14 में यह व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है उसमें यह कहा गया है "Section invalid for delegating uncontrolled power to the executive."

एक्जीक्यूटिव को अनकन्ट्रोल्ड पावर नहीं दी जा सकती हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आखिर में समझ में आयगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह एक महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है। आपने अपना पक्ष रख दिया, आपने इसमें अमेंडमेंट रख दिये, मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया। यह हाउस की प्रापर्टी है। मैं हाउस की राय जान लेता हूं, हाउस क्या चाहता है। हम कांस्टीट्यूशन बनाने नहीं बैठे, जिसका हवाला दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, कोई भी इस विधेयक का प्रावधान कांस्टीट्यूशन के विपरीत हो,

(श्री परसराम मदेरणा)

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल के, मैं ऐसा मानता हूं यह सदन की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेन्स नहीं है कि कांस्टीट्यूशनल वेलिडिटी के संबंध में हम यहां कोई डिसीजन लें। कांस्टीट्यूशन के इन्टरप्रिटेशन के विपरीत अगर कोई धारा आ रही है तो वह मैटर जुडिशियल कोर्ट का है। क्यों, जो भी हमें विधि के संबंध में राय लेनी थी, लीगल ओपिनियन वह यहां भी ली है, प्रेसीडेंट की प्रायर कन्सेन्ट मिलने के पूर्व, कन्सेंट मिलने के पहले भारत सरकार के विधि विभाग और वहां के दूसरे विभागों में इसकी जांच हो चुकी है। इसलिये कांस्टीट्यूशन के संबंध में हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं कि पर्टीक्यूलर क्लाज डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, संविधान के बारे में कोई रूलिंग नहीं दे सकते है यह तो है...

(4.05 म. प.)

(श्री महमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा : अब संविधान के पंडित आ गये, अब बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बोलो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही, यह जो खण्ड 2 है इसमें जो परिभाषा हैं, इन परिभाषाओं में दो तीन बातें बताइये, आप देख लीजिये, यह (5) है।

(विराम)

मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें जो खण्ड 2 में (5) है।

"व्याकरणिक रूप भेदों सहित" इसका अर्थ समझ में नहीं आया। व्याकरणिक कौनसा रूप है, कौनसे भेद हैं, कौनसा अलंकार है, कौनसा क्या है। क्या क्या शामिल होता है। इसका मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप पढ़िये

"जयपुर रीजन से अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट शहरों, नगरों और गांव की सीमाओं के क्षेत्र अभिप्रेत हैं। राज्य सरकार समय समय पर राज-पत्र से प्रकाशित अधिसूचना द्वारा. उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र को जोड़कर या उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी और इसके उपरांत उपान्तरित क्षेत्र जयपुर रीजन होगा।"

मैंने इसमें कहा, उपाध्यक्ष महोदय, सेविंग क्लाज नहीं है यानी जयपुर रीजन है, जयपुर रीजन में सीकर को शामिल कर लें और बाकी के क्षेत्र छोड़ दें तो कोई सेविंग क्लाज नहीं है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि कोई आपत्तियां मांगी जा सकती हैं। यह जो इसमें परिभाषा दी है इसका कोई अर्थ नहीं दिया है। जयपुर रीजन के अलावा सीकर को शामिल कर लें और बीच के गांवों को छोड़ दें तो इसमें कोई सेविंग क्लाज नहीं है। इसमें आपत्तियां दे सकते हैं, यह क्लियर नहीं है। कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं, इसमें यह नहीं है। इस कानून में इतनी बड़ी खामी है, इसका सेविंग क्लाज नहीं है। मंत्री महोदय, बता दें। मंत्री महोदय ने दोनों बातें तो बता दीं। यह बताइये, इतना बड़ा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
कानून पास करने से मतलब क्या है ? आप के ध्यान में है, नगरपालिका की सीमा अगर थोड़ी सी बढ़ाती है तो नोटिफिकेशन करती है, 30 दिन में आपत्तियां मांगती है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सवाल रिपीट कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाब तो आया ही नहीं। इन दो बातों का जवाब दिला दें, हम संतुष्ट हो जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य इस विषय पर पांच बार बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सुन रहा था।

श्री हरिसिंह : मुझे अपना संशोधन वापस लेने की इजाजत दी जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में श्री हरिसिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिसिंह : मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक ने खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 में संशोधन आये हैं। श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री भंवर लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, अभी आपने जिन प्रस्तावकों के जो अमेन्डमेंट थे उनमें से कुछ के नाम बोल दिये, उनके तो गिर गये लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अमेण्डमेंट यहां पर रखे थे उन पर आपने मत नहीं लिया और धारा वैसे ही पास करा दी। यह ठीक नहीं हुआ। इस पर व्यवस्था दीजिये, उनके अमेण्डमेंट का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : Thay were not moved. मूव ही नहीं किये गये थे।

श्री भंवर लाल शर्मा : They were taken into consideration. There was debate on them उन पर डिबेट हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) में मद

98

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किय जायेंगे-क (xvii) जयपुर जिले की जिला परिषद् के जिला प्रमुख। (ख) (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, सात नगरपालिकाओं के · ·

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : यह मूव नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

संशोधन प्रस्ताव वितरित करने में विलम्ब

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी अमेण्डमेंट जब दिया जाता है तो वह 24 घंटे पहले दिया जाता है, और माननीय सदस्यों को उसकी एक प्रति सर्क्यूलेट की जाती है। ऐसा नहीं किया गया है, 24 घंटे पहले देते और उसकी प्रति सर्क्यूलेट होती तो हम उसको पढ़ कर आते और अपने विचार प्रकट करते। इसलिये व्यवस्था का प्रश्न है, इसको यहां पर मूव नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : एक साथ दो दो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर कैसे हो सकते हैं। पहले एक पर व्यवस्था दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक साथ उत्तर दे दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया उसमें मुझे कुछ जोड़ना है। माल ऑफ ए सडन एक संशोधन रखा गया है उस संशोधन के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का नियम 71 है—

"71— संशोधनों की सूचना:—(1) यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची के किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दें तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी :

परन्तु किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में ऐसा संशोधन, जिसकी सूचना प्रभारी सदस्य से मिली हो, इस कारण व्यपगत नहीं होगा कि प्रभारी सदस्य मंत्री या सदस्य नहीं रहा है और ऐसा संशोधन विधेयक के नये प्रभारी सदस्य के नाम में छापा जायेगा।

(2) यदि समय हो तो सचिव सदस्यों को, समय-समय पर, उन संशोधनों की सूचियां उपलब्ध करेगा जिनकी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हों।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा निवेदन है कि इन्हीं नियमों में प्रावधान है कि अगर कोई संशोधन आता है उस संशोधन पर संशोधन रखने का अधिकार भी प्रत्येक माननीय सदस्य को है नियमों के अन्तर्गत। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह क्या तो बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हो-हल्ला

(श्री कैलाश मेघवाल)
और कर रहे हैं उसमें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, क्या मन्तव्य है पता नहीं। इस स्थिति में मेरा भी अधिकार है संशोधन पर संशोधन देने का, उसकी पूर्ति कैसे होगी। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसके निस्तारण के साथ मेरी आपत्ति का निस्तारण भी करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन को भी सुन लीजिये। बांदीकुई और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई उनके सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पद से जो महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये हैं उसके पृष्ठ संख्या 124 पर 14-8-74 को आसन ने एक व्यवस्था दी है वह व्यवस्था स्पष्ट है :

"राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर श्री गिरधारी लाल भार्गव ने आपत्ति प्रस्तुत की कि संशोधन प्रस्ताव देने के लिए आज 11.00 बजे तक का समय निश्चित किया गया था और उन्होंने निर्धारित अवधि में संशोधन की सूचना दे दी थी परन्तु उसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि वह अंग्रेजी में है जब कि प्रभारी मंत्री द्वारा 11.00 बजे के बाद भी दिये गये संशोधन स्वीकार किये गये हैं। प्रभारी मंत्री श्री खेतसिंह के इस स्पष्टीकरण के पश्चात् कि उन्होंने संशोधन की सूचना हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी है श्री उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी–

हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि 11.00 बजे के बाद भी संशोधन मन्त्री महोदय ने दिये हैं तो वे क्यों नहीं दे सकते। नियमों में प्रावधान है कि सदन की कार्यवाही हिन्दी में हो, विधेयक पेश हुआ है वह भी हिन्दी में है, इसलिये हिन्दी में ही अमेण्डमेंट स्वीकार कर सकते हैं। अंग्रेजी में स्वीकार नहीं कर सकते।

अब जहां तक प्रभारी मन्त्री द्वारा देर-जल्दी संशोधन पेश करने का प्रश्न है, वे किसी भी स्टेज पर संशोधन पेश कर सकते हैं। इसलिये उनके संशोधनों के प्रत्युत्तर में या सन्दर्भ में आप कोई और संशोधन पेश करना चाहें तो उनके लिये समय दिया जाना सम्भव नहीं है, न नियमों में इसका प्रावधान है। इसलिये जो आपने एतराज उठाया है उसे मानने में आसान असमर्थ है।"

मेरा निवेदन करना यह है कि यह व्यवस्था आसन द्वारा सन् 1974 में दी जा चुकी है इसलिये अभी जो आपत्ति उठायी गयी है इन दोनों माननीय सदस्यों द्वारा वह निरस्त किये जाने योग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सन् 1974 में जो व्यवस्था दी गयी है वह और अभी जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाये गये हैं···

(व्यवधान)

सुन लीजिये। –

(व्यवधान)

Sit down.

(व्यवधान)

वह जो व्यवस्था दी गई है वह व्यवस्था ठीक है।

(श्री उपाध्यक्ष)

दूसरा यह है, कौल एण्ड शकधर की किताब है, उसके 540 पेज पर है संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार। संशोधन की पूर्व सूचना। इस दिन से कम से कम दो दिन पहले देना आवश्यक है, ठीक है, "जब कि उस पर लोक सभा में विचार होना हो। कोई भी सदस्य उस संशोधन को रखे जाने पर आपत्ति कर सकता है जिस की आवश्यक सूचना न दी गयी हो और जब तक कि अध्यक्ष उस संशोधन को रखे जाने की अनुमति न दे दें, यह आपत्ति मान्य होती है।" मैं अनुमति दे रहा हूं।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आॅर्डर। हम अमेण्डमेंट देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. अमेण्डमेंट दिये जा सकते हैं।...

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी इसलिये आप कृपापूर्वक व्यवस्था का पालन कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय आपने व्यवस्था अभी दी है "मैं अनुमति देता हूँ"। आपके अनुमति देने के पहले जो मूव कर दिया उसके बारे में क्या होगा ? वह बिना अनुमति के किया गया है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय की अनुमति से किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : मूव हुआ ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने, स्वीकृति प्रदान की है।

श्री यदुनाथसिंह : इतना बड़ा डकैती का कानून बनाने जा रहे हो, सारे गांवों की जमीन छीन रहे हो ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अभी जो प्रभारी मन्त्री ने मूव किया अमेन्डमेंट वह तो रद्दी की टोकरी में गया है क्योंकि बिना अनुमति लिए हुए ही प्रस्तुत कर दिया गया। ...

श्री उपाध्यक्ष : कहां किया है ? It has not been moved.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : He has moved.

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : Yes. अब करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (प्रभारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) में

(क) मद (xvii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"(xvii) जयपुर जिले की जिला परिषद् का जिला प्रमुख;"

(ख) मद (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,

"(xviii) नगरपालिका, परिषद्, जयपुर से भिन्न ऐसी नगरपालिकाओं, जिनकी अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के अध्यक्षों में से कोई भी दो अध्यक्ष, जिन्हें प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये, तथा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(ग) विद्यमान मद (xxv) को मद (xxvi) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद (xxvi) से पहले निम्नलिखित मद को अन्तर्विष्ट किया जाये अर्थात् · · ·

(व्यवधान)

"(xxv) ऐसी पंचायत समितियों, जिनकी पूर्ण या आंशिक अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के कोई भी दो प्रधान, जिन्हें प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये;"

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा और पाप नहीं होगा · · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोई भी दो स्थान · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनको मूव करने दीजिये।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

संशोधन प्रस्ताव वितरित करने में विलम्ब

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पेज 96 में . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको अमेन्डमेंट पेश करना हो तो बोलें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाइये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप कौनसी किताब पढ़ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन मार्च 1952 से 1977 तक, मई 1980 में प्रकाशित हुआ है इसके पेज 96 पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी हुई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : व्यवस्था तो हो गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है :

राजस्थान जिला मंडल विधेयक, 1953 पर अग्रेतर खण्डशः विचार प्रारम्भ होने से पूर्व श्री अध्यक्ष ने कहा :

"Before we take into consideration the Rajasthan District Boards Bill, 1953 from clause 147 onwards, I am very sorry to inform the House that inspite of my announcement that all amendments should be given on the 9th by 3 O'clock, members have been tendering their amendments till yesterday and till today.

I am sorry, but I cannot ignore the privilege of hon. Member of this House that they must receive all amendments in sufficient time so that they may give their full consideration. In view of this and in view of the great inconvenience that is caused to the Secretariat ..... I have disallowed all these amendments."

श्री उपाध्यक्ष : इसका हिन्दी में तर्जुमा कर दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड : आपने तो व्यवस्था दे दी।

श्री यदुनाथसिंह : आप कानून बना रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको सवर्यूलेट करने की व्यवस्था नहीं है। हम अपने अधिकारों को कैसे छोड़ दें ? आपने जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था तभी मान्य होगी जब वह व्यवस्था परम्परा के अनुसार और नियमों के अनुसार होगी···

श्री उपाध्यक्ष : अपोजीशन लीडर, विराजिये···

श्री खेतसिंह राठौड : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी पढ़ कर सुनाया है 1974 में···

श्री यदुनाथसिंह : वह लागू नहीं है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : वह इस पर लागू नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह तो मैं व्यवस्था नहीं दे पाऊंगा। कृपया बीच में न बोलें। मैंने एक माननीय सदस्य को अनुमति दे दी है।

श्री सूर्यकुमार : साधारण माननीय सदस्य अगर कोई अमेंडमेंट देता है तो उसके बारे में तो यह लागू होती है लेकिन 1974 वाली जो व्यवस्था है वह अगर मंत्री अमेंडमेंट देता है तो लागू होगी···

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह संशोधन नियमों के खिलाफ है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, अगर कोई साधारण मैम्बर अमेंडमेंट देता है तो वह लागू होगी जो आप कह रहे हैं लेकिन अगर प्रभारी मंत्री कोई संशोधन देता है तो यह लागू नहीं होगी। इसलिए आपने जो पाइन्ट आॅफ आर्डर उठाया है मैं उसको निरस्त करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : फिर इस पर हम अमेंडमेंट किस प्रकार से देंगे।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : हमारे अधिकार तो आपके हाथ में सुरक्षित होने चाहिए। यह तो आप उनको छीन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नियमों के अनुसार ही व्यवस्था दे रहा हूँ। मैंने जो व्यवस्था दी है वह नियमों के आधार पर ही दी है।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह हमारा अधिकार है, आप हमारा अधिकार ही ले रहे हैं।

श्री यदुनाथसिंह : हम इस पर संशोधन देना चाहते हैं वे किस प्रकार देंगे, इसके लिये आप व्यवस्था दे दें। इस बात को आसन साफ करे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर हम अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं तो हम करें क्या ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले इनको बैठ जाने दें फिर ले लेना।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : फिर हम संशोधन देना चाहते हैं। वह कैसे दे सकते हैं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगूंदा) : हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हम बोल नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बात बता दूं··

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक वाया मीडिया यह भी है कि यह जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है इसको आप सक्यूं लेट करवाने की व्यवस्था करवा दें। उसके बाद में इस पर विचार कर लेंगे, तब तक आगे का खण्ड ले लिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड : यह भी ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन की जिस व्यवस्था का उल्लेख किया है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय यह अच्छी तरह जानते हैं, वे इस सदन में 25 सालों से ऊपर सदस्य रहे हैं इन 25 वर्षों की लम्बी अवधि में सैकड़ों विधेयक यहां पर पारित किये गये हैं। मुझे भी इस सदन में ज्यादा नहीं तो कम से कम चार दर्जन बिलों का प्रभारी मंत्री रहने का सौभाग्य मिला है। बिल की सैकण्ड स्टेज, क्लाज वाइज क्लॉज जब चर्चा चलती है, जब क्लाज बाई क्लाज विचार चल रहा है तो आसन की अनुमति के बाद प्रभारी मंत्री, जो बिल के प्रभारी मंत्री होते हैं, के अमेंडमेंट आते रहे हैं। कई दफा वरबल अमेंडमेंट भी इस सदन के अन्दर बाद में लिखित में सभी को दिये गये हैं और आसन की अनुमति से क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन की स्टेज पर उन पर विचार हुआ है। ऐसी बात आयी है। एक टर्म प्रतिपक्ष के नेता इस सदन के सदस्य नहीं रहे और ढाई साल मुख्य मंत्री भी रहे हैं, आप स्वयं इस हाउस की प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, प्रभारी मंत्री की हैसियत से मैं एक दफा ऐसा अमेंडमेंट नहीं लाया कम से कम दर्जनों बार लाया हूं। यह प्रभारी मंत्री के लिए इस सदन की परिपाटी रही है कि मिनिस्टर इन-चार्ज ऑफ दी बिल द्वारा दिया गया अमेंड-मेंट क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन की स्टेज पर आसन की अनुमति से मूव होता है और उस पर कन्सीडरेशन होता है। यह, माननीय उपाध्यक्ष, प्रभारी मंत्री का अधिकार है। इस वक्त क्लाज 4 पर जो अमेंडमेंट आसन की अनुमति से प्रभारी मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं, वह अमेंडमेंट क्या है, कहां-कहां पर किस-किस स्थान पर कर रहे हैं और उससे उस क्लाज का क्या स्वरूप रहने वाला है यह माननीय सदस्यों को प्रभारी मंत्री स्पष्ट देंगे। स्पष्ट देने के बाद में जो काउण्टर अमेंडमेंट की बात होती है वह लागू नहीं होती है। जो व्यवस्था अभी उपाध्यक्ष महोदय ने दी है ऐसी आसन से कई दफा व्यवस्था हुई है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है प्रभारी मंत्री जी को संशोधन प्रस्तुत करने की क्लाज 4 पर उस पर मैं यही कहूंगा कि वह इस सदन की परम्पराओं के अनुरूप है, पूर्व की व्यवस्थाओं के अनुसार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी अनुमति से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बात कही है मैं उस बात का विरोध नहीं करता हूं, विरोध इसलिए नहीं करता हूं कि इस सदन में इस प्रकार के अवसर आये हैं कि मौखिक संशोधन भी स्वीकार किये गये हैं। इस प्रकार के संशोधन आये हैं, केवल प्रभारी मंत्रीजी ने पढ़ कर सुनाये और वह संशोधन स्वीकार कर लिए गये। लेकिन मंत्री महोदय एक भी उदाहरण ऐसा बता दें। मैं पूछना चाहता हूं जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकृति नहीं देने के उपरांत भी इस प्रकार संशोधन कर लिए गये हों, कोई संशोधन चाहे वह लिखित में हो या मौखिक हो विचार-विमर्श के बाद ही लिए गये हैं।

श्री परसराम मदरणा : मौखिक वाली बात तो एक ही बिल की कही है लेकिन इसके अलावा भी आते रहे हैं और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उसका विरोध भी करते रहे हैं, उसके बावजूद भी संशोधन पर आसन की तरफ से अनुमति मिलती रही है। यह सदन की प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूं उसमें से ही कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, सदन में सब तरह की परम्पराय रही है, मौखिक संशोधन आया है उसको भी स्वीकार किया गया है और 24 घन्टे से पहले नहीं 24 घन्टे के अन्दर दिया गया है तो उसको भी स्वीकार किया गया है, हाउस की अनुमति से स्वीकार किया गया है। सभी तरह के संशोधन हुए है लेकिन उसके लिए अध्यक्ष से, आसन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अगर अनुमति हुई है तो वह सदन की अनुमति हुई है। सदन के सामने कोई इस तरह का प्रश्न आ जाये, इस प्रकार का संशोधन रखा जाय, जिसका विरोध किया जाय तो वह स्वीकार नहीं होता है। यह सही है कि दोनों पक्ष राजी हों तो संशोधन रखें उसको स्वीकार कर सकते हैं। मौखिक संशोधन भी स्वीकार किया है सदन ने··

श्री परसराम मदेरणा : अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह अमेंड-मेंट आलरेडी दिया हुआ था, उसको आलरेडी सक्यूलेट किया जा चुका था परन्तु जिसको सक्यूलेट नहीं किया जा सका, सक्यूलेट करना चाहिए, वैसा संशोधन जब बहस होती है उस समय प्रस्तुत किया जाता है। जिसके लिये प्रभारी मंत्रीजी समझते हैं उसको स्वीकार किया जाना चाहिए तो वह स्वीकार कर सकते हैं सदन की अनुमति से क्योंकि वह सक्यूलेट नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक चीज तो म्यूचुअल अन्डरस्टेंडिंग की होती है, मंत्री महोदय ने कोई संशोधन रखा उस पर म्युचुअल अन्डरस्टेन्डिंग हो गयी, विरोध पक्ष ने स्वीकार कर लिया तो उसको कर सकते हैं। आप प्रभारी मंत्री रहे हैं ऐसे बिलों के लेकिन विरोध पक्ष में रह कर इस व्यूह रचना में मेरा भी हाथ रहा है, यह मैं कह सकता हूं। मैंने पहले भी कहा था और आज कह रहा हूं कि इस तरह का कानून जो कि 20-21 विधेयकों को तरजीह देता हो, उनको सुपरसीड करता हो, उनकी पावर लेता हो, इस प्रकार का कानून जल्दी में पास करायेंगे तो न जयपुर का हित हो पायेगा और न राजस्थान का हित हो पायेगा। इसमें जो संशोधन माननीय सदस्यों ने मूव किया है······

श्री उपाध्यक्ष : That is a different question.

जल्दी है·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन पेश किया है, वह क्या है, आप बता दें। हमको तो जाने दीजिए, हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। आपने तो सुना है, आप बता दें···

श्री उपाध्यक्ष : वही मैंने साइक्लोस्टाइल के लिए···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साइक्लोस्टाइल होकर आये तो ले लीजिए, यह कहना है। इसका मतलब यह है, आपको भी ज्ञात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। ब्रह्म रसायन खाये हुए नहीं हैं हम····

श्री उपाध्यक्ष : क्लेम नहीं कर सकते; कंठस्थ याद हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम निवेदन यह करना चाहते हैं, जो संशोधन रखा है, उसकी जानकारी तो हमें मिले। हमको दिला दीजिए, उसके बाद रखिये। आने दीजिए, बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, साइक्लोस्टाइल के संबंध में निवेदन करूंगा। प्रभारी मंत्री का अमेण्डमेण्ट है इस क्लाज के अन्दर। पूर्व में भी ऐसी व्यवस्था रही है। साइक्लोस्टाइल की बात करते हैं तो साइक्लोस्टाइल में समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि सदन की कार्यवाही 11 बजे से लेकर 5 बजे जब तक चले, हाउस में डिस्आॅर्डर होता रहे, एक फ्रेक्शन आफ दी सैकण्ड के लिए भी हाउस की कार्यवाही बंद नहीं होती। इसलिए अगर आप····

(व्यवधान)

साइक्लोस्टाइल की बात तो है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आगे का खण्ड ले रहा हूं इसको अब डेफर करता हूं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : हम तो बोलेंगे, खण्डशः विचार होगा।

श्री यदुनाथसिंह : इस पर खण्डशः विचार होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर संशोधन प्रस्तुत किया है, नाथूसिंह जी ने।

श्री नाथूसिंह।

एक माननीय सदस्य : किस पर ?

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 5 पर। हाउस की कार्यवाही को सस्पेन्ड विदाउट रीजन नहीं किया जा सकता।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–4 के अन्दर, अगर आप कहते हैं, अमेण्डमेण्ट आयेगा। मुझे ऐसा मालूम होता है सचिव महोदय ने जो कुछ भी बात कही, हाउस की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। इनको आदेश दिया है साइक्लोस्टाइल का। यह हो सकता है कि क्लाज–4 को डेफर कर दें, 5 को ले लीजिए अगर साइक्लोस्टाइल कराना चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वैक्यूम तो रह नहीं सकता, सदन में।

(व्यवधान)

खण्ड-5 ले लिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं, रूल्स की किताब देख लीजिए। आपको डैफर करने का अधिकार कहां है, आप देख लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा रही है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस को चलाने के लिए जरूरी है, हर एक मुझे····

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : एडजार्न कर दीजिए, हाउस को। वैक्यूम नहीं हो, इसलिए जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Rule 81. The Speaker, may, if he thinks fit, postpone the consideration of a clause.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां ठीक है, पढ़िये आप।

श्री उपाध्यक्ष : The Speaker may if he thinks fit, postpone the consideration of a clause.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है, मेरी भी बात सुन लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, वैक्यूम रहे, उस समय तक जब तक साइक्लोस्टाइल होकर न आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वैक्यूम नहीं रह सकता। There can be no vacuum in the House.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल सही है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज को डैफर कर दिया है रूल्स 81 के तहत। मैं अगला खण्ड ले रहा हूं। वह आ जायेगा तो उसको टेक अप कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पांचवां आप लेना चाहते हैं। 5वां क्या है ?

अध्यक्ष महोदय-मीटिंग्स आफ अथॉरिटी ? चौथा है कम्पोजीशन ऑफ द जयपुर डवलपमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी का पता नहीं है। मीटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, हद हो गई।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जिस चीज की व्यवस्था दे चुका हूं, उस पर पाबन्द रहूंगा। आपकी बात सुन ली मैंने। मीटिंग तो उस वक्त होगी, जब फाइनली बिल पास होगा। अभी तो होच-पोच हो रहा है सब।

श्री नाथूसिंह : संशोधन प्रस्ताव करेंगे।

(व्यवधान)

मैंने टेक अप कर लिया है, माननीय सदस्य बाधा न डालें।

श्री नाथूसिंह : एक प्रश्न····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिल पास होगा, तो सब पास हो जायेगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : कोई XXX थोड़े ही है कि सब पास हो जायेगा।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : आपको शोभा नहीं देता यदि हाउस को XXX कहें। स्ट्राइक ऑफ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : आपकी होच पोच क्या···

श्री उपाध्यक्ष : XXX कहें, यह आपको शोभा देता है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : नहीं नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह से कह दिया···

श्री उपाध्यक्ष : please sit down.

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : 5 वां आप ले नहीं सकते क्योंकि 4 में आप और बढ़ा रहे हैं, 25 तो अभी हैं, 26, 27 और एड कर रहे हैं। फिर कोरम का सवाल आयेगा, 5 वें में है··

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब हाउस की अनुमति लेता हूं।

श्री यदुनाथसिंह : फिर कोरम का अमेण्डमेण्ट आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Please, माननीय सदस्य, अगर आप एतराज करते हैं तो मैं हाउस··

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दे दी है, आप मानते नहीं हैं, तो इसका इलाज क्या है? मैं हाउस के सामने रख लेता हूं।

श्री यदुनाथसिंह : क्लॉज-5 पर अमेण्डमेण्ट आयेगा कोरम की संख्या का फिर अमेण्डमेण्ट आयेगा···

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री यदुनाथसिंह : +++

श्री उपाध्यक्ष : बातचीत करने का ढंग होना चाहिए, गरिमा है हाउस की This is very derogatory to the House.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज-5 है···

श्री उपाध्यक्ष : You should address properly.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज-5 में है, मीटिंग्स ऑफ दी अथॉरिटी। मेरा निवेदन है कि मीटिंग में कोरम का सवाल आयेगा। अभी तो 25 है, बढ़कर अगर हो जाते हैं-30, 1/3 कर रखा है तो 7 से 10 नम्बर हो जायेंगे, उस समय 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, यह उस पर निर्भर रहेगा। इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूं 10 मिनट के लिए जब तक साइक्लोस्टाइल होकर आ न जाये, मीटिंग एडजोर्न कर दो। दुबारा बुला लें···

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बात सुनिये और हमारे जवाब सुन लीजिए। उसके बाद में इस क्लॉज को पास कर दें। अगर वह मूव करना चाहते हैं, दूसरे जो अमेण्डमेण्ट दिये हैं, तो उनसे पूछ लीजिए।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज-5 मे 5-7 माननीय सदस्यों ने अमेण्डमेण्ट दिये हैं, घनश्याम जी तिवाड़ी, भैरोंसिह जी शेखावत, पुष्पा जैन, कैलाशजी मेघवाल, इन सबको पूछ लीजिए।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
+++ माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)
ये मूव करना चाहते हैं क्या? जो रीजन्स देते हैं, उन पर मंत्री महोदय का जवाब सुन लीजिए। आपने एक बात कही, मीटिंग कैसे होगी। हम सब जवाब दे देंगे। इसी प्रकार दूसरों से भी पूछ लें। फिर उसके बाद वोट पर रख लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार की तरफ से कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आ रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड : नहीं, आ रहा है।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री भैरोंसिंह शेखावत, सुश्री पुष्पा जैन, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक संशोधन प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो उनको अनुमति दी जायगी।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव मूव करता हूं कि उप-खण्ड 5 (1) में शब्द "छः मास" के स्थान पर "तीन मास" प्रतिस्थापित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि इसकी जो मीटिंग्स होंगी वह छः महीने में होंगी। छः महीने तक बीच के जो काम हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक्जीक्यूटिव करेगी। सारे अधिकार एक्जीक्यूटिव को दे रखे हैं, एक्जीक्यूटिव कमेटी एक्जीक्यूशन करके निर्णय लेगी वह एक्जीक्यूशन गलत होता है या कोई निर्णय लेती है छः महीने का लम्बा चौड़ा पीरियड होना है···

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन का समय आज की कार्य सूची सम्पूर्ण हो, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक घण्टे तक के लिए बढ़ाई जाती है।

(व्यवधान)

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह छः महीने की व्यवस्था क्यों की? माननीय मंत्री महोदय हैं। क्लाज 4 पर जब अमेन्डमेन्ट आयेगा तब इस पर और बोलूंगा, लेकिन मीटिंग का इतना लम्बा समय आखिर क्यों किया? 6 महीने में मीटिंग करने का लाभ क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आया। आप तीन महीने का समय रख सकते थे, 4 महीने का रख सकते थे। 6 महीने में एक बार मीटिंग होगी, इससे जाहिर है कि···

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेन्डमेन्ट क्या है?

श्री नाथूसिंह : मेरा अमेन्डमेन्ट 3 महीने का है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनका इन्टेन्शन इसमें खराब सा लगता है। इसलिए खराब लगता है कि माननीय मंत्री महोदय इसके वाइस चेयरमेन हैं, इनका जो मंत्रालय है उसके पीछे यह जे. डी. ए. है। मंत्री तो इसके वाइस चेयरमेन बन गए हैं,

(श्री नाथूसिंह)
चेयरमेन मुख्य मंत्री जी हैं वह आयेंगे नहीं, उनको समय मिलेगा नहीं इसलिए वाइस चेयरमेन ही आयेंगे . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप रेलेवेन्ट इश्यू पर ही बोलें।

श्री नाथूसिंह : मैं वही बता रहा हूं कि मैंने अमेन्डमेन्ट क्यों दिया। रीजन्स तो मैं, बताऊंगा कि मैंने यह अमेन्डमेन्ट क्यों दिया है कि 3 महीने का समय किया जाना चाहिए। 6 महीने में जब इसकी मीटिंग कन्डक्ट करेंगे तब तक जो कुछ भी होगा यह अपने पक्ष में करवाते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको यकीन है कि ये ही रहेंगे।

श्री नाथूसिंह : अभी हाल-फिलहाल तो यही हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह होगा। यह जाने वाले हैं; आप कहते हैं वह तो सही है कि जल्दी जाने वाले हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब ये बोल रहे थे तब कह रहे थे कि जो चार्जेज मैंने लगाये हैं वह कुछ नहीं हैं वह सब बेसलैस चार्जेज हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : They are not relevant.

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बात पूछना चाहता हूं कि तब तो जे. डी. ए. की घोषणा हुई थी अब तो मीटिंग होगी। मैं पूछना चाहूंगा कि सूरजपोल के सामने गलता घाटी की कच्ची बस्ती में मिस्टर गोर्धन शर्मा कौन हैं ? जानते हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह से। जे. डी. ए. की घोषणा के पश्चात् समाचार-पत्रों में यह बात पब्लिश होने के पश्चात् कि 3 साल की सजा होगी, अगर अनधिकृत रूप से कब्जे करेंगे, उन्होंने वहां पर जमीन पर कब्जा किया। उन अवैध मकानों को तोड़ा नहीं गया। जब इस सम्बन्ध में बात की जाती है तो हमको कहते हैं कि नया कन्स्ट्रक्शन है हम क्या कर सकते हैं ? यह जानते हैं कि कच्ची बस्ती बनी या नहीं बनी और मिस्टर गोर्धन शर्मा कौन हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, धामा ट्रस्ट रोडवेज सिन्धी कैम्प के सामने है, शायद आप जानते होंगे, माननीय मंत्री महोदय जानते होंगे। एक बात कहना चाहता हूं कि धामा ट्रस्ट के ट्रस्टीज को कैसे बदल दिया आपने ? कौन-कौन थे ट्रस्ट में-मिस्टर प्रमोद भसीन, मिस्टर गोपाल बाजोरिया, मिस्टर श्रीराम। कौन हैं ये लोग ? आपकी मित्र मण्डली के कौन कौन सदस्य बनाये इस ट्रस्ट में ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मीटिंग्स का प्रोविजन करके मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि दोस्तों और घर वालों भरकर 1 लाख रुपये के अन्दर वह जमीन खरीद ली उस जमीन के ऊपर ट्रस्टीज बदल करके मार्केट बनाना चाहते हैं। उस मार्केट में लोगों को दुकानें अलाट करना बतायेंगे लेकिन यह बेचेंगे और, उपाध्यक्ष महोदय, 3 करोड़ का इस प्रकार से राज्य सरकार पर भार पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या 3 महीने का प्रोविजन हो जाने से ऐसा नहीं होगा ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वही मैं बता रहा हूं कि 3 महीने का प्रोविजन हो जाने से ऐसा क्यों नहीं होगा। इनका

(श्री नाथूसिंह)

इन्टेंशन ऐसा क्यों है ? इन्होंने यह कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों के नाम कोई जमीन नहीं है, मेरे नाम कोई जमीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह नन्दलाल गोटेवाला कौन है ? शायद आप जानते नहीं होंगे, यह आपके छोटे भाई हैं, जिनके नाम 20 बीघा जमीन अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को···

(व्यवधान)

बेनामी करके··

श्री उपाध्यक्ष : आप रेलेवेन्सी का ध्यान रखिए। आप तो एडवोकेट हैं, यह बताइये कि 3 महीने का समय क्यों होना चाहिये ?

श्री नाथूसिंह : हां, रेलेवेन्सी पर ही आ रहा हूं। 3 महीने का समय इसलिए होना चाहिए कि गोटेवाला जी और घोटाले नहीं करें। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मै चाहूंगा कि जब मंत्री महोदय जवाब दें तो वह इन सब बातों का जवाब दें कि यह धामा ट्रस्ट को जमीन कैसे मिली ?

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जा रहे हैं वह तो सुनना ही नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब आप आते हैं विधान सभा तो न्यू गेट आपने देखा होगा, कितनी जमीन है और कितनी महत्वपूर्ण जमीन है। त्रिमूर्ति उन्होंने बनाई···

(व्यवधान)

उस जमीन को अपने चहेतों के नाम, अपनी मित्र मण्डली के नाम अलॉट करके कागज नीचे से ऊपर भिजवा दिये। मैं पहाड़िया जी का शुक्र गुजार होऊंगा कि उन्होंने उसे वापस कर दिया। फिर इन्होंने शास्त्रीनगर के अन्दर करीब 4 बीघा जमीन त्रिमूर्ति के कार्यकर्ताओं के नाम अलाट करायी। कौन थे कार्यकर्ता ? श्री प्रमोद भसीन जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में लेक्चरर थे, जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से टीप-कर डिग्री प्राप्त की और लेक्चरर बन गये थे लेकिन जब उनके टीपने की फाइल खुली तो··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर कर रहा हूं कि आप अपनी बात कह चुके हैं। यह कोई रेलेवेन्ट बात नहीं है। अगर आप कहे तो मैं इसे प्रोसीडिंग्स से निकलवा दूं।

श्री नाथूसिंह : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कहीं पाइन्टेड इश्यू नहीं है। आप दूसरे मौके पर और बोल लेना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–5 "प्राधिकरण की बैठकें" है उसमें है (1) प्राधिकरण की छः मास में कम से कम एक बार बैठक ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष विनिश्चित करें, इसमें प्रयुक्त शब्द "छह" के स्थान पर शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जाय, यह संशोधन प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्रीजी दिल्ली गये हुए हैं तो मीटिंग वहां करेंगे, दिल्ली में, काश्मीर में, जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मीटिंग होगी। इसमें साफ लिखा है कि "बैठक ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर होगी" जो अध्यक्ष महोदय को रात को 12 बजे याद आ जाय, चीफ मिनिस्टर 12 बजे मीटिंग करें, तो उसके स्थान में कम से कम मीटिंग...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो हरएक में ऐसा होता है।

(व्यवधान)

कोई नई चीज नहीं। आप मुझे बुलायेंगे काश्मीर या कन्या कुमारी तो....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाडी : काश्मीर में, उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

कोई मोहम्मद तुगलक जैसा आदमी पैदा हो जाय, उपाध्यक्ष महोदय, तो हम क्या करेंगे। वह काश्मीर में चला जायेगा यात्रा करने के लिये, नेपाल चला जायेगा तो अध्यक्ष विनिश्चय करेगा और कोई नहीं। इसमें देते कि जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रत्येक दो माह में एक बैठक होगी, तब तो उसका कोई स्थान होता। अब स्थान कोई भी स्थान हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्या अमेण्डमेंट दिया है।

श्री घनश्याम तिवाडी : उसमें दिया है मैंने कि जयपुर रीजन के किसी स्थान पर हो। जयपुर में हो तो बात समझ में आती है। अध्यक्ष विनिश्चित करेगा वहां बैठक होगी। इसका मतलब क्या हुआ। यह वेग कर दिया है कि.....

श्री उपाध्यक्ष : लाजिक आपने पढ़ा हो तो मैं आपको बताऊं, इसमें सर्किल ऑफ डिस्कोर्स है। यह सर्किल आफ डिस्कोर्स ही है, जयपुर के बाहर थोड़े ही है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केलगिरी में कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जयपुर और केलगिरी जुड़वा शहर है, चलो जुड़वा शहर में कर लें। रीजन में यह रख देते, किस गांव में मीटिंग होगी। इसमें निश्चित नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह होता कि इस रीजन में आने वाले किसी गांव में मीटिंग होती, तो बात समझ में आ सकती थी।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि "उप-खण्ड (2) में प्रयुक्त अभियुक्ति" प्राधिकरण का कोई अन्य सदस्य, जो बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाय, के स्थान पर शब्द बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम विधायक" प्रतिस्थापित किया जाय। अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या पैदा होती है। आपने क्लाज 4 को डेफर कर दिया और क्लाज 5 आप ले रहे हैं। क्लाज 4 में मेरा अमेण्डमेन्ट दिया हुआ था कि जयपुर रीजन में आने वाले समस्त विधायक इसके सदस्य होंगे। क्लाज 4 में विधायक और संसद सदस्य का दिया हुआ था, यह उसमें सम्मिलित कर दिया। उसके आधार पर मैंने क्लाज 5 के पार्ट (2) में संशोधन दिया। क्लाज 4 को आपने डेफर कर दिया तो अब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
यह संशोधन मैं इसमें कैसे रखूं क्योंकि वह तो पास ही नहीं हुआ। यह डिफिकल्टी मेरे सामने अराइज हो गई। इसको आप स्पष्ट कर दें तो फिर (2) में जो

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मजाक की बात नहीं है, I am very serious। मैं आपको निवेदन करता हूं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, (XXVI) जयपुर रीजन के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र के विधायक 19वें नम्बर पर मेरा संशोधन है। यह मैंने धारा 4 में दिया है। जब यह मेरा संशोधन स्वीकार होता है या अस्वीकार होता है उसके बाद में मैं 5 के सब क्लाज (2) के अन्तर्गत जो मैंने यह जोड़ा है, "बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाय," स्थान पर उपस्थित "वरिष्ठतम विधायक अध्यक्षता करेगा" प्रतिस्थापित किया जाय। अब जब कि यह मामला तय नहीं हुआ, कोई विधायक उसका मैम्बर रहेगा या नहीं तो इस अमेण्डमेंट का क्या होगा यह पहले स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले जो संशोधन दिया है उसको मूव कर दें।

(व्यवधान)

आप प्रिज़्यूम करके चलिये कि खण्ड 4 मान लिया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले आप अगर उसको मान ले ...

श्री उपाध्यक्ष : प्रिज़्यूम करके मान लें हाउस का ट्रेन्ड देखते हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या प्रिज़्यूम करूं? मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, आप कानूनदां आदमी हैं I am very serious.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आपको हाउस का ट्रेन्ड देखते हुए तो......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाउस का ट्रेण्ड कुछ नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। इसमें कोई संशोधन स्वीकार हो जाय, हो सकता है मेरा संशोधन स्वीकार हो जाय। It is very important.

श्री उपाध्यक्ष : आप भी रख दीजिये I have called for another man,

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं मूव कर दूं लेकिन, आप बता दीजिये इसका क्या करूं मूव ?

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन मूव कर दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मूव कर दूं और फिर वह विधायक नहीं आये तो क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप चिन्ता मत कीजिये। अभी आता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइंट ऑफ ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मूव कर दूं।

(व्यवधान)

हां साहब।

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 4 में विधायक के नामिनेशन का अगर प्रावधान या किसी भी प्रकार का प्रावधान होगा, वह क्लाज 5 पर लागू हो जायगा, यह नहीं हो सकता क्योंकि क्लाज 4 का कान्सीक्वेशन्ल अमेण्डमेंट नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके रखने से क्या होगा, क्लाज 4 में अगर विधायक नहीं है तो क्लाज 5 में कैसे रख सकते हैं।

(व्यवधान)

जब क्लॉज 4 डेफर हो गया तो डेफर हो गया अभी तो....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसके बिना यह नहीं होगा। जब वह डेफर हो गया....

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मान लें वह संशोधन ड्राप हो जाय तो माननीय सदस्य अपना माईन्ड बनायेंगे कि इन्हें क्या करना है। अभी इमीजियेट कैसे करेंगे। इसे डेफर कर दिया कैसे मानें कि वह मन्जूर नहीं होगा। जब वह कन्सीडर होगा तो वह संशोधन तो मूव करेंगे और हमें सभी भी सुझाव देंगे, इसलिए इसको भी पोस्टपोन किया जाय और आगे का क्लाज लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर मैंने व्यवस्था तो दे दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या करूं अभी, आप बताइये, क्या करूं अभी ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा कि आप अपना संशोधन रख दीजिए।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, किस बात पर रखें, साहब ? जब क्लाज 4 पारित ही नहीं हुआ, उसके अनुसार यह पारित नहीं हुआ, सदस्य कौन कौन हैं। क्लाज 4 पास नहीं हुआ, और क्लाज 4 में विधायक या संसद सदस्य हैं ही नहीं तो संशोधन रख कैसे दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर दूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप ठंडे दिल से विचार करिये। आप कानून दां आदमी हैं, मान लीजिये हाउस इसको मेरी प्रार्थना से

(व्यवधान)

हाउस इसको मान लेता है, अगर, क्लाज 4 पर संशोधन नहीं रखा तो इसको रखने का मतलब नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उसको वैसे ही मूव कर दीजिये। जिस वक्त वह आये, उस वक्त आपकी बात को मैं मौका दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय,

श्री यदुनाथ सिंह : वह पास कैसे हो जायगा जब विचार नहीं होगा।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह)

जब उस पर विचार ही नहीं होगा तो

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिना अनुमति के····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपसे विनम्र···

(व्यवधान)

आप विराज जाइये, उपाध्यक्ष महोदय। एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपको कह रहा था···

श्री भंवरलाल शर्मा : मान लीजिये, आप कहते हैं रख दो, और संशोधन पास भी हो गया और क्लाज 4 में पास नहीं हुआ तो कैसी स्थिति हो जायगी। यह तो विचार करिये, 5(2) को डेफर कर दीजिये।

(व्यवधान)

अगर मान लीजिये इनका अमेण्डमेंट मन्जूर हो जाता है और क्लाज 4 में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए क्लाज 4 के बाद क्लाज 5(2) को आप डेफर कर दीजिये। क्लाज 4 हो जायगा फिर 5(2) को ले लें। 4 के बाद इसको..

(व्यवधान)

एक तो क्लाज पास कर दीजिये, आप मतदान करा लीजिये

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तब आपकी बात दुबारा कहने के लिये मौका दिया जायगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं नहीं, साहब।

श्री यदुनाथसिंह : सुनने से क्या हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आनरेबल मेम्बर्स के अमेण्डमेंट हैं वह आ जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : पास हो जाने के बाद कोई विचार नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : बोलने का शौक नहीं है जो आप बाद में सुन लेंगे। यह थोड़े ही है कि बाद में सुन लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर है, आई. जी. हैं। एम.एल.ए. शामिल नहीं हैं। मैंने एम. एल. ए. के लिए रखा है। इसमें जिला प्रमुख भी ला रहे हैं, सरपंच शामिल नहीं हैं। इतने बड़े एरिया के सारे मामलों पर विचार कर रहे हैं तो संशोधन प्रस्ताव बोलने के लिए ही नहीं है। यह क्लाज 5 (2) में संशोधन प्रस्ताव बैठक की अध्यक्षता के लिए रखा है कि वरिष्ठतम विधायक अध्यक्षता करेगा। क्लाज 4 के साथ क्लाज 5(2) को आप डेफर कर दीजिये। आगे के खण्ड पास कर दीजिये। क्लाज 6 पर विचार कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट के लिए हाउस एडजोर्न करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.08 बजे म. प. 5.18 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 5.20 बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी संशोधन मूव करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : खण्ड 5 के बारे में जवाब दूं या खण्ड 4 के अन्दर संशोधन मूव करूं।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 4 के अन्दर संशोधन मूव करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आपके आदेशानुसार खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) में

(क) मद (xvii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(xvii) जयपुर जिले की जिला परिषद् का जिला प्रमुख";

(ख) मद (xviii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

(xviii) नगरपालिका परिषद्, जयपुर से भिन्न ऐसी नगरपालिकाओं, जिनकी अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के अध्यक्षों में से कोई भी दो अध्यक्ष, जिन्हें प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये,"; तथा

(ग) विद्यमान मद (xxv) को मद (xxvi) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद (xxvi) से पहले, निम्नलिखित मद को अन्तर्विष्ट किया जाये, अर्थात् :–

"(xxv) ऐसी पंचायत समितियों, जिनकी पूर्ण या आंशिक अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के कोई भी दो प्रधान, जिन्हें प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये,"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन पेश किये हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो इन्होंने रखा है उसके साथ में मेरा यह संशोधन भी जोड़ दिया जाय। इन्होंने खण्ड 4 में जो संशोधन किया है इसमें है नगरपालिका परिषद्, जयपुर से भिन्न ऐसी नगरपालिकाओं, जिनकी अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के अध्यक्षों में से कोई भी दो अध्यक्ष, जिन्हें प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये। इसमें शब्द "दो अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सभी क्षेत्र में आने वाले अध्यक्ष" प्रतिस्थापित की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो अमेंडमेंट रखा है, इससे तो यह पालिटिकल अथारिटी हो जायेगी। मैंने जो संशोधन रखा है उसके बाद में यह पालिटिकल नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा संशोधन मैं जो मूव कर रहा हूं वह मन्त्री महोदय ने जो आगे संशोधन मूव किया है उसमें है कि ऐसी पंचायत समितियों, जिनकी पूर्ण या आंशिक अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के कोई भी दो प्रधान की जगह सभी प्रधान जिन्हें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाय। यह संशोधन मूव किया है। खण्ड 4 के भाग (xviii व xxv) में जो संशोधन मैंने दिये हैं वह जोड़ दिये जायें। इसके अलावा जो पहले मैंने अमेंडमेंट मूव किये हैं वह भी इसमें जोड़े जायं। जब इस पर विचार होगा तब मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खंड 4 के उप-खण्ड (i) में प्रयुक्त शब्द 'राज्य के मुख्य मन्त्री'' के स्थान पर शब्द ''संसद सदस्य जो जयपुर रीजन के संसद सदस्यों एवं विधायकों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति।''

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। अभी जो अमेंडमेंट मूव किया है उसको सभी माननीय सदस्यों को सक्यूंलेट करा दिया जायेगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : It is an amendment to the amendment.

वह नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट हाउस में प्रस्तुत किये जाते हैं उनको हाउस में सक्यूंलेट मेम्बर्स में किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : जिसका राइटिंग में नोटिस दिया जाता है वह सक्यूंलेट होता है।

श्री यदुनाथसिंह : तो फिर हम भी राइटिंग में अमेंडमेंट नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed him to put it verbally and he has done it. It is over.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट जो मूव होते हैं वह तो सक्यूंलेट होने चाहिये। नहीं तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या मूव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : He sought permission to move amendment to the amendment verbally and I allowed him.

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्होंने क्या मूव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : No. It is not necessary. You have heard as I have heard. It has been recorded.

श्री भंवरलाल शर्मा : What has been recorded.

हम लोग भी अपना विचार रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I will put it to vote.

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज आप यह कैसी व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : It is a part of clause 4. So whenever an amendment is moved.......

श्री खेतसिंह राठौड़ : This is an amendment.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : This is an amendment to the amendment.

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अमेंडमेंट रखा है वह तो ठीक है लेकिन माननीय सदस्य घनश्याम तिवाड़ी ने क्या अमेंडमेंट मूव किया है। आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जगदीश तिवाड़ी, नहीं I am sorry. घनश्याम तिवाड़ी ने मन्त्री महोदय ने जो अमेंडमेंट रखा है उस के ऊपर अपना अमेंडमेंट रखा है। उन्होंने जबानी अमेंडमेंट रखा उसकी मैंने अनुमति दे दी थी ? इसके बाद में मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी और उनका नाम लेकर पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

अब कोई आब्जेक्शन नहीं होता है। आप उस समय आब्जेक्शन करते। अब यह वक्त नहीं है। I over rule it.

श्री भंवरलाल शर्मा : We are putting our case before the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी उसमें एक कठिनाई है। यह निवेदन है कि हम जो अमेन्डमेन्ट ...

श्री उपाध्यक्ष : This is not the clause.

श्री नाथूसिंह !

श्री भंवरलाल शर्मा : When we have heard him, let us also put our amendment.

श्री उपाध्यक्ष : I have called Mr. Nathoo Singh.

श्री भंवरलाल शर्मा : पर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य घनश्याम तिवाड़ी तो अपना अमेंडमेंट रख चुके हैं और उस पर बोल चुके हैं।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 के अन्दर प्रभारी मन्त्री जी ने जो संशोधन मूव किये वह माननीय सदस्यों को वितरित भी किये जा चुके हैं। इसके अलावा, खण्ड 4 के ऊपर संशोधन रखने की आपने सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को मौखिक अनुमति प्रदान की। प्रभारी मन्त्री जी ने जो खण्ड 4 के अन्दर संशोधन मूव किया उस पर संशोधन आपकी अनुमति से उन्होंने मूव कर दिया। वह स्वीकार किया जावे या नहीं किया जावे, उसके लिए मन्त्री जी तब कहेंगे जब जवाब देंगे, खण्ड 4 डेफर कर दिया गया था उस पर अमेंडमेंट की सूची संख्या 4 माननीय सदस्यों को दी जा चुकी है। और जो माननीय सदस्य संशोधन देंगे उन सभी का एक एक करके नाम उपाध्यक्ष महोदय पुकारेंगे और वह अपने अपने अमेंडमेंट प्रस्तुत करेंगे। जो भी अमेंडमेंट प्रस्तुत होंगे और जो घनश्याम तिवाड़ी जी ने संशोधन मूव किया है उसका उत्तर मन्त्री जी जब खण्ड 4 के संशोधनों पर बोलेंगे तब देंगे। उस समय सभी माननीय सदस्यों ने जो श्री संशोधन खण्ड 4 पर रखे हैं उनका उत्तर भी देंगे।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य घनश्याम तिवाड़ी ने तो अपना अमेंडमेंट मूव कर दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी जी को उपाध्यक्ष महोदय ने मौखिक अमेन्डमेन्ट पेश करने की अनुमति दे दी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभारी मन्त्रीजी ने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है वह आफिशियल अमेन्डमेन्ट है जो कि पार्ट आफ दी क्लाज हो गया। मेरा निवेदन है कि दूसरे माननीय सदस्य, जिन्होंने अमेन्डमेन्ट मूव किये हैं या करेंगे उनके अमेंडमेन्ट्स माननीय सदस्यों में सक्यूलेट किये जायें। श्री घनश्याम तिवाड़ी ने वरबल अमेंडमेंट दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : This is a verbal amendment on an amendment.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह भी सारा क्लियर न हो तो फिर उसका क्या उपयोग रहा।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का अमेंडमेंट है उसी में जोड़ते हुए श्री घनश्याम तिवाड़ी ने पेश कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपना अमेन्डमेंट मूव करने का राइट है। हमको भी राइट है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं प्रस्ताव करती हूं कि उपाध्यक्ष पद के लिए राजस्थान राज्य के नगर विकास...

श्री यदुनाथ सिंह : हमें तो पहले अभी अमेन्डमेन्ट देने हैं। यह तो प्रस्ताव पर बोल रही हैं।

श्री नाथूसिंह : मैंने अपने प्रस्ताव को मूव ही नहीं किया है। पहले मेरे अमेंडमेंट को मूव तो करवाइये।

श्री यदुनाथ सिंह : हमें तो अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट मूव करना है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : जो हमने अमेंडमेंट रखा है आप उनको मूव करवाइये पहले।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभी आपको पुकार रहा हूं ना।

श्री नाथूसिंह : मैं मूव कर रहा हूं ना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 4 के उप-खण्ड (i) में प्रयुक्त शब्द 'राज्य का मुख्य मंत्री' के स्थान पर शब्द 'संसद सदस्य जो जयपुर रीजन के संसद सदस्यों एवं विधायकों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति' प्रतिस्थापित किये जायें।

दूसरा है, भाग (iii) को विलोपित किया जाये, और

तीसरा है, भाग (xxv) में प्रयुक्त शब्द 'प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित सात सदस्यों' के स्थान पर शब्द 'जयपुर रीजन के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित संसद सदस्य तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित विधान सभा सदस्य' प्रतिस्थापित किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका अमेंडमेंट है ना ?

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : घनश्याम तिवाड़ी जी का।

श्री नाथूसिंह : नहीं, यह मेरा अलग है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इसमें इन्होंने इसका चेयरमैन जो रखा है वह मुख्य मंत्री जी को रखा है। मुख्य मंत्री जी, आप जैसा जानते हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। जोधपुर के विकास, उदयपुर के विकास, अजमेर के विकास, अलवर के विकास, भरतपुर के विकास; बीकानेर के विकास, कोटा के विकास, सब की जिम्मेदारी···

व्यवस्था का प्रश्न

संशोधन प्रस्ताव की सूची का परिचालन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 में संशोधनों की सूची सक्यूलेट हुई है यह सूचना किस ने सक्यूलेट कराई ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्राफिस ने।

एक माननीय सदस्य : श्रीराम गोटेवाला ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस ने करवाई ? गोटेवाला तो नहीं करा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रभारी मंत्री नहीं करा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सक्यूलेट करा दी। अब आपके पास आ गयी···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि It is a loose paper.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लूज पेपर नहीं है। सदन को सूचना दी थी कि साइक्लोस्टाइल होने के लिए गयी है। मैंने दस मिनट के लिए हाउस एडजोर्न कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कृपापूर्वक यह व्यवस्था कर/दी कि साइक्लोस्टाइल होकर सक्यूलेट हो जाय। सक्यूलेट न तो मुख्य मंत्री जी कराते हैं और न प्रभारी मंत्री जी। अगर इस पर प्यारे मोहन के दस्तखत हों तो मैं समझता कि विधान सभा की तरफ से सक्यूलेट हुई है। आप दस्तखत बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : This is copy

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कापी कहां लिखा है ? जो हमें सक्यूलेट हुए हैं उन सब पर प्यारे मोहन हैं और सरकार की सक्यूलेट हुई उसमें प्यारे मोहन गायब। यह सदन का अपमान है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे लिए परेशानी नहीं है। मैं समझता हूं कि आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई बात करें, उपाध्यक्ष महोदय, वह आपकी मर्जी की बात है। हम तो केवल आपके ध्यान में लाने वाले हैं।

श्री नाथूसिंह : प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उपाध्यक्ष महोदय। It is useless.

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्री जी ने क्लाज 4 में संशोधन प्रस्तुत किये। आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी गई कि इसको साइक्लोस्टाइल कराया जाये और वितरित किया जाय। साइक्लोस्टाइल कराया गया और इस विधान के सचिवालय के कर्मचारियों ने इसको वितरित किया। इसलिए यह सदन के अपमान का प्रश्न नहीं है। प्रभारी मंत्री जी सदन का बहुत सम्मान करते हैं। कोई गलती अगर हुई है तो सचिवालय की तरफ से हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जुबान से बोल रहे हैं या मन से ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं बोटम आफ माई हार्ट से बोल रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि यह गलती भी हुई है तो सचिवालय के द्वारा हुई है। सदन के सम्मान में कोई कमी लाने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने सही कहा।

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रस्तुत हुआ है इसमें प्रभारी मंत्री का नाम ऊपर नहीं आकर नीचे आ गया है, बात तो इतनी ही है।

मैं इस सदन का ध्यान सूची 2 और सूची 5 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सूची नम्बर 2 में जिन संशोधनों की सूचना प्रभारी मंत्री जी ने पूर्व में विधान सभा सचिवालय को भेजी, आसन ने उनको प्रसारित करने की अनुमति दी, साइक्लोस्टाइल हुई, माननीय सदस्यों को वितरित हुई। सूची संख्या 2 जो है उसमें ऊपर लिखा है।

राजस्थान विधान सभा

पंचम सत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 संशोधनों की सूचना।

श्री श्रीराम गोटेवाला प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि :

इन्होंने खण्ड 8, 34 और 35 में कुछ अमेन्डमेंट पेश किये हैं वह सूची संख्या 5 में है

श्री श्रीराम गोटेवाला प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि :

अब जो संशोधन प्रस्तुत करता है वह पहले अपना नाम रखता है नीचे और सचिवालय ऊपर करता है उसको साइक्लोस्टाइल कराने के पहले, सचिव नीचे लिख देता है, यह सचिवालय के द्वारा जिन संशोधनों की अनुमति अध्यक्ष महोदय ने दी है उनकी सूची सक्यूलेट की जा रही है। गलती उसमें यह हो गई कि प्रभारी मंत्री का नाम ऊपर नहीं आया नीचे आ गया। बात तो इतनी ही है।

श्री नाथू सिंह : कैसे मानें कि किसने सक्यूलेट किया है।

श्री परसराम मदेरणा : इतना ही फर्क रहा है। इससे ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो यहां अभी व्यवस्था का प्रश्न प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने प्रस्तुत किया है उसमें कोई वजन नहीं है, उसे निरस्त किया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका ध्यान रूल...

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं आपकी बात को मानते हुए ही कहता हूं। होना यह चाहिए था कि सचिवालय के सैक्रेटरी के नीचे दस्तखत होने चाहिए थे। यह साइक्लोस्टाइल

(श्री उपाध्यक्ष)
सचिवालय के द्वारा हुआ है और वितरित भी सचिवालय के द्वारा ही हुआ है।

श्री नाथूसिंह : हुआ होगा, हमें क्या पता।

श्री उपाध्यक्ष : यह टैक्निकल चीज है।

श्री नाथूसिंह : हमें क्या पता कि यही संशोधन दिया है मंत्री जी ने।

श्री उपाध्यक्ष : मानकर चलिये कि It is brought before the House by the Secretariat. इसमें कोई व्यक्तिगत बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमें कैसे पता चले कि यह श्री श्रीराम जी की तरफ से आया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री नाथूसिंह : यह कैसे पता चले कि यह संशोधन प्रामाणिक है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।

श्री नाथूसिंह : विरोधी पक्ष के नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया . . .

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टेक है, मैंने मान लिया आपकी बात को। यह साइक्लोस्टाइल सैक्रेटेरियट के द्वारा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन भी सैक्रेटेरियट के द्वारा हुआ है।

श्री नाथूसिंह : यह तो सही है।

श्री उपाध्यक्ष : It has been placed by the Assembly Secretariat before the House and not by the Minister.

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे पता लगे कि यह किसके द्वारा सक्यूलेट हुआ है . .

(व्यवधान)

मेरा प्रश्न यह है कि . .

श्री राम किशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रीराम गोटेवाले को यहां का सैक्रेटरी बना दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। श्री नाथूसिंह, आप अपना संशोधन रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सवाल इस बात का नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, आपका कहना शिरोधार्य है, मैं बैठ जाता हूं लेकिन यहां की परम्परायें हैं, नियम हैं उनके अनुसार ही सदन का कार्य चलना चाहिये।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कन्धों पर पूरे राजस्थान का भार है, अकेले जयपुर का नहीं है। जयपुर राजधानी है, उसको रखिये और उसका विकास करिये, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। जयपुर का विकास किया जाय। मुख्य मंत्री जी जब इसके चेयरमेन बन जायगे तब भी उनकी उतनी ही जिम्मेदारी होगी जितनी आज इसके चेयरमेन नहीं बने हैं तब जयपुर के विकास की उनकी जिम्मेदारी है। क्यों मुख्य मंत्री जी इसमें कोई पद ले करके जयपुर का विकास करेंगे और बिना पद लिये जयपुर का विकास नहीं करेंगे? अगर ऐसा

(श्री नाथूसिंह)

है तो फिर मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितने विभाग हैं, राजस्थान में जितने छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स हैं और जो आपके दूसरे-दूसरे · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत थोड़ा टाइम लीजिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अमेन्डमेंट दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष: Within one minute

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन क्यों रख रहा हूं उसके कारण तो सदन के सामने बताऊंगा वरना सदन कैसे पास करेगा उसे।

मैं निवेदन कर रहा था, इसका मतलब यह हुआ, छोटी मोटी बॉडी में मुख्य मंत्री जी जब तक चेयरमेन नहीं बन जाते हैं तब तक उस बॉडी का विकास नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूँ जो जे. डी. ए. है इस बॉडी का वाइस चेयरमेन मंत्री होगा। मंत्री तो आलरेडी उस डिपार्टमेंट के ही मिनिस्टर हैं।

इसलिये मंत्री जी की जिम्मेदारी बिना वाइस चेयरमेन के भी उतनी ही है। सवाल यह है कि मंत्री जे. डी. ए. के वाइस चेयरमेन बनें या नहीं बनें। उपाध्यक्ष महोदय, ये वाइस चेयरमेन क्यों बनना चाहते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वह रीजन यह है कि ये इसमें बता रहे हैं कि जयपुर का विकास करने की नीति है, अगर ऐसी ही नीति है तो इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन इस नीति के पीछे मंत्री महोदय की नीयत खराब है। नीयत क्यों खराब है, वह मैंने अभी बताया, 3-4 पाइन्ट्स बताये, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में आज ऐसी स्थिति है कि आज के दिन कहीं ऐसी जमीन नहीं बची है जिस जमीन के घोटालों में मंत्री महोदय का हाथ नहीं हो। ये वाइस चेयरमेन बन जायेंगे तो फिर उस पूरी बॉडी पर ही इनका कन्ट्रोल हो जायगा। कन्ट्रोल होने पर जैसा मैंने बताया, सिन्धी कैम्प के सामने आप जाते होंगे और देखते होंगे, वहां पर एक मस्जिद है, ओपन जहां छोटे गरीब लोग रहते हैं, उस जमीन को ट्रस्ट बनाकर हड़पना चाहते हैं। मैंने मंत्री महोदय को निवेदन किया था, वे इसका जवाब दें, उस ट्रस्ट के मेम्बरों को बदला और अपने अपने आदमियों को बिठा दिया। एक लाख में उसको खरीद लिया और नाजायज रूप से इन्होंने ट्रस्ट बनाकर, व्यक्तियों को बदल कर अब उसमें दुकानें बनाने के लिए परमिशन की मांग की है और कहा है कि हमें यहां पर बाजार बनाने की इजाजत दी जाय। ये मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के और अब ये ही वाइस चेयरमेन बनेंगे इस जे. डी. ए. के तो फिर क्या स्थिति होगी। इन्होंने ट्रस्ट से अभी एक एप्लीकेशन दिलवाई है कि हमें बाजार बनाने की अनुमति दी जाय। उस बाजार बनाने की अनुमति के पीछे इनकी नीयत यह है क्योंकि महत्वपूर्ण जगह पर है इसलिये जितनी भी दुकानें हैं वे सब दुकानें पगड़ी पर जायेंगी एक-एक लाख, दो-दो लाख, तीन-तीन लाख में। ऐसी स्थिति में · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत है आगे चलिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, करीब तीन करोड़ रुपये का घोटाला होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तो इनसे बहुत बड़ी दोस्ती है।

श्री नाथूसिंह : मैं मानता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिल तो पीछे रही और उनके ऊपर...

(व्यवधान)

आपकी इनसे मोहब्बत है।

एक माननीय सदस्य : इस विधेयक के जो आब्जेक्ट्स हैं, उन पर इनको बोलने दीजिये।

श्री नाथूसिंह : इसी तरह से मैंने निवेदन किया आपको कि आप जाते होंगे इधर से, यहां से गये होंगे आप हास्पिटल, उसके पहले सूचना केन्द्र आता है, मंत्री महोदय बहुत जाते रहते हैं वहां, पिछले दिनों जब ये बोल रहे थे तो इन्होंने कहा, जनता पार्टी के जमाने में यह हुआ और वह हुआ, जल्दी में बना दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय प्रभाकर जी जब मंत्री थे इसके ऊपर तीन मंजिलें और बनाने के लिये उनके पास फाइल गई और उन्होंने उसको रोक दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही वे मंत्री पद से हटे आज वह भवन 7 मंजिला हो गया बिना परमीशन के। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी आप जाकर देख सकते हैं, खुद अवलोकन कर सकते हैं, जाते समय, इस समय भी ऊंचाई पर सैकड़ों मजदूर वहां काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह काम आज भी जारी है। विधान सभा में मामला आ गया लेकिन बिना कानून कायदे के, बिना परमिशन के काम आज भी जारी है। रिजर्व बैंक की बिल्डिंग मंत्री महोदय को दिख गई उसका काम बंद करवा दिया लेकिन इसकी आज 7 मंजिल बन गई है उसका काम बंद नहीं करवा रहे हैं। इसके पीछे कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, पीछे से कहते हैं जारी रहे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं आज यह भी कह रहा हूं कि आज इनके परिवार के सदस्यों के नाम से, इनके मित्रों के नाम से, इनका पालिटिकल जो ग्रुप फैला हुआ है, जयपुर में उनके नाम पर...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, यह वाइस चेयरमैन होना चाहते हैं क्योंकि ये उन सबको अपनी जेब में रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीराम गोटेवाले यहां नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसलिए उठ कर चले गये।

श्री नाथूसिंह : यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री नाथूसिंह : यही मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने इसी कारण वाइस चेयरमैन का पद लिया। पूरे बिल के अन्दर आप देखेंगे, जगह जगह कहा है कोर्ट को कोई पावर नहीं

(श्री नाथूसिंह)

होगी, हम जो कर देंगे वही होगा, क्योंकि हम इसके वाइस चेयरमेन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने घोटाले किये हैं, जो मैं आरोप लगा रहा हूं उनका ये जवाब देंगे। नन्दलालजी गोटेवाला इनके छोटे भाई हैं उन्होंने 20 बीघा जमीन पर किशन बाग में नाजायज कब्जा कर रखा है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर वह जमीन थी। उस पर इन्होंने अपने भाई के नाम पर कब्जा करवा दिया, उस 20 बीघा जमीन की आज करोड़ों रुपया कीमत होती है। उपाध्यक्ष महोदय, वे इनके भाई हैं। जवाब देंगे भाई है या नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जगह जगह पर इनके घोटाले हैं। कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति है, उपाध्यक्ष महोदय, उस कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति के ऊपर रोक लग गई। कोर्ट से आदेश आ गया कि यह सहकारी समिति प्लाट नहीं काटे। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद जब जे.डी.ए. बन गया, उसकी घोषणा भी हो गई, उस कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति को माननीय गोटेवाला जी ने कह दिया, प्लाट काटें। प्लाट कट गये और बिक भी गये। मैं आज कहना चाहता हूं कि क्या क्या घोटाले हो रहे हैं। मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में इसका भी उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, उनकी जगह आपने एम.पी. का नाम रखने को कहा है, वे ही वाइस चेयरमेन होने चाहिये।

श्री नाथूसिंह : क्यों होने चाहिये वह मैं बता रहा हूं, पूरे तर्क के साथ बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा, यह सांवर मल लोहिया कौन है। सांवर मल लोहिया, जिसके साथ में इनका बिजनेस चलता है और जिसने न मालूम कितने कितने घोटाले किये हैं, को जयपुर के सब व्यक्ति जानते हैं। यह मैं नहीं कहता, जयपुर में जितने कोर्ट्स हैं उनके फैसले कहते हैं। जयपुर में जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों में काम करने वाले लोग हैं वे कहते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : निर्धारित अवधि में सदन के बिजनेस को पूर्ण करना है। मेरे साथ कोआपरेट करें।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं नाथू लाल मीणा उर्फ गुलाब चन्द मीणा की 20 बीघा जमीन है। मैं नाम बता रहा हूं, यह नाम इसलिए दे रहा हूं ताकि मन्त्री महोदय जवाब दे सकें इस सदन में और अपनी पोजीशन क्लियर कर सकें। मैंने अमेण्डमेन्ट इसलिये दिया है कि इसका चेयरमेन निष्पक्ष होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चाहा है कि जे.डी.ए. की कमान जिस चेयरमेन के हाथ में रहे, जे.डी.ए. का उच्च अधिकारी, चेयरमेन हो, वह वह व्यक्ति होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जिस समय यू.आई.टी. के चेयरमेन थे माननीय सदस्य, जो आज सदन में हैं तकीउद्दीन जी, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय यू.आई.टी. में जितने घोटाले होते थे, मन्त्री महोदय उनको प्रोटेक्शन देते थे लेकिन जब यू.आई.टी. की मीटिंग होती थी तो गलत काम को

(श्री नाथूसिंह)

यू. आई. टी. की मीटिंग में पास नहीं किया जाता था तो मन्त्री महोदय को बड़ा दुःख होता था। इसी कारण उन्होंने मानस बनाया कि यू. आई. टी. भंग किया जाना चाहिए। इन्होंने देख लिया कि जब तक जे.डी.ए. मेरी जेब में नहीं रहेगा, जे.डी.ए. के ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं रहेगा तब तक मैं इस तरह के घोटाले नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इन्होंने कान्सप्रेसी की और चेयरमेन के पद पर तो मुख्य मंत्री जी को बैठाया ताकि मुख्य मंत्री जी इसको समय नहीं दे सकें। यह सदन सात दिन से चल रहा है, उनके केवल दर्शन हुए हैं वह भी पांच मिनट के लिए। जैसे गोविन्द देव जी की झांकी होती है वैसे पांच मिनट के लिए दर्शन देकर चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्री के पास विधान सभा में समय देने को नहीं है, विधान सभा में बैठने का मुख्य मंत्री जी के पास समय नहीं है जो कि सुप्रीम हाउस है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निर्णय चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी विधान सभा के सामने नहीं आते, विधान सभा में उनके प्रश्नों के जवाब दूसरे मंत्री देते हैं, विधान सभा के अन्दर जब वह बैठते नहीं, विधान सभा में आकर विधान सभा की कार्यवाही को सुनते नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली की देवी के चरणों में सात दिन में से पांच दिन लगाते हैं, वह जे.डी.ए. की मीटिंग में कैसे आयेंगे? जयपुर के विकास के लिये इस जे.डी.ए. का जिम्मा कैसे लेंगे? मैं यह निर्णय आपसे चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह योजना बनायी कि मुख्य मंत्री जी तो जे.डी.ए. की मीटिंग में आयेंगे नहीं, मुख्य मंत्री जी तो जे.डी.ए. का काम संभालेंगे नहीं, मुख्य मंत्री जी दूर रहेंगे तो मैं वाइस चेयरमेन बन जाऊं तो मिनिस्टर भी मैं ही उसका उपाध्यक्ष भी मैं ही, उसका चेयरमेन भी मैं ही, कर्ता धर्ता भी मैं ही होऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जे. डी. ए. और मन्त्री के डिपार्टमेन्ट में कोई फर्क नहीं रहेगा। विभाग का भी मन्त्री और वहां का वाइस चेयरमेन, फिर गोटेवाला जी की कलम चलेगी, फिर आज जो गोटेवाला जी अपने भाई के नाम 20 बीघा जमीन अलाट करते हैं, उस समय दो सौ बीघा जमीन अलाट करेंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इतने सारे जो भ्रष्टाचार हैं इन भ्रष्टाचार पर रोक लगे, भ्रष्टाचार समाप्त हो। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह। माननीय सदस्य, ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने एक उसमें संशोधन दिया है कि इसमें जहां पर मुख्य मंत्री जी शब्द आया है, मुख्य मंत्री शब्द के स्थान पर संसद सदस्य जो जयपुर रीजन के संसद सदस्यों एवं विधायकों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति चेयरमेन होना चाहिए। आप, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का निर्णय करेंगे, मैंने इसमें नहीं कहा कि चेयरमेन मुझे बना दो, मैंने यह भी नहीं कहा कि चेयरमेन फलां व्यक्ति को बना दो, मैंने इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम रखा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे? उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर रीजन इन्होंने

(श्री नाथूसिंह)
कहा है, जयपुर रीजन में जो जो क्षेत्र आते हैं, उनसे सम्बन्धित सभी संसद सदस्य और चुने हुए, इलेक्टेड, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर रीजन के समस्त विधायक जो जनता के प्रतिनिधि हैं · · ·

श्री परसराम मदेरणा : यह रीजन कहीं डिफाइन किया हुआ नहीं है। आपका रीजन से क्या अभिप्राय है ?

श्री नाथूसिंह : जी ?

श्री परसराम मदेरणा : रीजन कहीं डिफाइन किया हुआ नहीं है।

श्री नाथूसिंह : इसमें किया हुआ है, जयपुर रीजन डिफाइन किया हुआ है। यह मैं पढ़कर सुनाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Please proceed further. Already you have said.

श्री नाथूसिंह : He has asked for definition of Jaipur region.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई सीमा नहीं है, विस्तृत है, सारे राजस्थान को बना सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रीजन है, इसमें जितने विधान सभा क्षेत्र आते हैं, उनके विधायक सब इसके मैम्बर हैं। जब मम्बर होंगे तो चेयरमेन कौन होगा। फिर मैंने इसमें डीसेन्ट्रलाइजेशन की व्यवस्था की है, इसमें फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम रखा है कि विधायक और संसद सदस्य और बाकी सब लोग चुन कर एक संसद सदस्य · · ·

श्री उपाध्यक्ष : You have already said that. Don't repeat that.

श्री नाथूसिंह: नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूँ।

जो इलेक्टोरल कालेज संसद सदस्य और विधायकों का बने उसमें भी क्योंकि संसद सदस्य सीनियर होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति चुना जाय और वह चुना हुआ व्यक्ति इसका चेयरमेन हो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय आधा घंटे बढ़ा दिया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं साहब, बहुत हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घण्टे के लिये बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

अब आप समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल नहीं।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री नाथूसिंह : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने · · ·

श्री परसराम मदेरणा : आप जो रीजन बता रहे हैं, वह रीजन नहीं जो क्लाज 2 (7) में है। वही तो जयपुर रीजन है, वह जयपुर रीजन शिड्यूल में दिया हुआ है।

श्री नाथूसिंह : बिल्कुल हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब क्लाज (7) में है।

श्री परसराम मदेरणा : क्लॉज 2 (7) का एक शिड्यूल भी है, पीछे, वह रीजन है। आप यों ही खड़े हो रहे हैं वह कान्सटीट्यूशनल पण्डित हैं, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी बात को समझ गये। क्लाज 2 (7) में है जो शिड्यूल में हैं वह रीजन है; वह रीजन इतना सीमित रहेगा, आप संसद सदस्य ला रहे हैं कई···

श्री नाथूसिंह : जी नहीं, कई क्षेत्र पड़ते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, वह आयेंगे ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय मन्त्री महोदय ने उठाया है। मैंने इसलिए कहा है कि जहां जहां जयपुर रीजन की सीमाएं है, उन क्षेत्र के संसद सदस्य आते हैं क्योंकि उनके गांव इसमें आते हैं। जमवारामगढ़ आमेर, जयपुर ग्रामीण, आमेर, अचरोल, जयपुर तहसील, यह सारे रीजन दौसा पार्लियामेंट कान्स्टीट्यूएंसी में आते हैं, चौमू सीकर पार्लियामेंट कान्स्टीट्यूएंसी भी आते है, यह चौमू सीकर बस्सी जयपुर वाला भी आता है। आमेर भी आता है, टौंक वाला भी आता है। मैंने संशोधन प्रस्ताव में व्यवस्था की कि संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य, जिन के क्षेत्र के भाग इसमें आते हैं, वह सब मिल कर अपने संसद सदस्यों, क्योंकि संसद सदस्य सीनियर होना हैं, में से व्यक्ति चुनें और वह व्यक्ति इसका चेयरमेन हो ताकि किसी को आब्जेक्शन न हो। मुख्य मन्त्री जी और मंत्री जी की तो वैसे ही कृपा जे. डी. ए. पर है, मुख्य मन्त्री जी और मन्त्री जी पूरे राजस्थान के हैं इसलिए यह दोनों तो बाहर रह कर भी मदद और सहयोग कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे में मैंने कहा है कि भाग (iii) को विलोपित किया जाय। चीफ सैक्रेटरी को इसमें जरूरत क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं राजस्थान मन्त्रिमंडल पर पूरे राजस्थान की जिस प्रकार जिम्मेदारी है चीफ़ सैक्रेटरी की जिम्मेदारी भी उसी तरह से पूरे राजस्थान की है। जे. डी. ए. का चीफ़ सैक्रेटरी मेम्बर होगा, तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि कितनी मीटिंगों में चीफ़ सैक्रेटरी भाग ले सकता है? क्या वह सभी मीटिंगों में भाग ले सकेगा? क्या यह पोसिबल है? मान लीजिए, जिस दिन जे. डी. ए. की मीटिंग हो उसी दिन कोई दूसरी महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में हो गयी और वहां चीफ सैक्रेटरी को जाना पड़ा तो क्या वह यहां आ सकेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो व्यवस्था की है कि चीफ सैक्रेट्री को भी इसका मेम्बर बनाया जाय, वह इसलिए की है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जो इसके चेयरमेन हैं। तो जब अध्यक्ष ही बदल जायेगा, चीफ सैक्रेटरी को भी नहीं रखा जाय। इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि भाग (iii) को भी विलोपित किया जाय। इस पर मैं जोर देना चाहता हूं।

(श्री नाथूसिंह)

एक मेरा अन्तिम है, उपाध्यक्ष महोदय, भाग (XXV) में कहा है कि सात सदस्यों का मुख्य मंत्री जी अपनी मर्जी से नामिनेशन करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है, जो इसकी संरचना है, फार्मेशन है, उस फार्मेशन को देखिये, उसमें कहा गया है कि मुख्य मंत्री जी सात सदस्यों को नामिनेट करेंगे। अब वह सात सदस्य कौन होंगे, यह इसमें कहीं लिखा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सात सदस्य बढ़ाना चाहते हैं किन्तु इस बात से डरते हैं कि चुने हुए विधायक या चुने हुए नगरपालिका के मैम्बर या दूसरे लोग चुने हुए जायेंगे तो वह सात की जगह भर देंगे। तो माननीय मुख्य मंत्री को इसका अधिकार दिया है। इसके पीछे मैं नीयत बता रहा था, क्या बुरी नीयत है गोटेवाला जी की, उपाध्यक्ष महोदय, यह सात आदमी वही होंगे जिन्हें गोटेवाला जी चाहेंगे। गोटेवाला चाहेंगे सांवर मल लोहिया को, गोटेवाला चाहेंगे प्रमोद भसीन को जिसको यूनिवर्सिटी ने बरखास्त किया है टीपने के आरोप में। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्तियों को यह नामिनेट करना चाहेंगे। जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, उनको नामिनेट करना चाहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह किनको नामिनेट करेंगे? इनकी गृह निर्माण समितियों के अध्यक्षों को नामिनेट करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह किनको नामिनेट करना चाहेंगे? मैं निवेदन करना चाहता था कि इस तरह के कई लोग हैं जिनको ये नामिनेट करेंगे। श्री गोरधन शर्मा जिसने सूरजपोल के सामने का पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट में समाप्त करता हूं। आधा मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : इस सब्जेक्ट पर, इस इश्यू के ऊपर काफी टाइम लग गया है। मैं अब यह प्रपोज करता हूं···

श्री नाथूसिंह : आधा मिनट। सिर्फ आधा मिनट आपकी अनुमति से।

श्री उपाध्यक्ष : केवल संशोधन पेश किये जावेंगे, भाषण नहीं होंगे।

श्री नाथूसिंह : ये नामिनेट करेंगे गोपाल बाजोरिया को···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जावें।

श्री नाथूसिंह : आधा मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से।

श्री उपाध्यक्ष : केवल संशोधन पेश कर दिये जावें।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ आधा मिनट।

ये नामिनेट करेंगे गोपाल बाजोरिया को·

श्री उपाध्यक्ष : How can you anticipate

श्री नाथूसिंह : इसलिए घोटाला मंत्रीजी सांवरमल लोहिया को लगायेंगे, गोपाल बाजोरिया को नामिनेट करेंगे, इन सारे घोटाले वालों का जमघट इस जे. डी. ए. में हो जायेगा । जे. डी. ए. में बैठ कर लूटो और खाओ । मंत्री गोटेवाला जी और घोटालेवालों का संगठन जे. डी. ए. में और उसमें बाकी सारे अधिकारी होंगे । अधिकारी बोल नहीं सकेंगे । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, ये सब मिल कर जयपुर को लूटेंगे और खायेंगे, यह करप्शन का अड्डा हो जाएगा । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट मैंने मूव किया है उसको स्वीकर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर): मैं बोल रहा हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे भी बोलने का अवसर दिया गया था । मैं मेरा संशोधन पेश करना चाहती हूं ।

श्री हरिसिंह : पहले मैं बोल रहा हूं । मेरा नाम पुकार लिया गया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे संशोधन पेश करना चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Please. माननीय सदस्या ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 के सब खण्ड (1) के सब क्लाज (i) और (ii) में मेरे अमेंडमेंट हैं । वे इसलिए हैं कि हमारी प्रजातांत्रिक शासन-प्रणाली के अन्दर जैसे कि वैकल्पिक व्यवस्था होती है राज्य चलाने की उसका विचार करते हुए हमें इसमें भी उसका समावेश करना चाहिए । इसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष राजस्थान का मुख्य मंत्री होगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी भी वैकल्पिक व्यवस्था शासन प्रणाली में हो सकती है कि जब मुख्य मंत्री नहीं हो । राष्ट्रपति शासन हो सकता है उस समय यह एक्ट जहां तक अथोरिटी का प्रश्न होगा, शून्य हो जाएगा । अध्यक्ष कोई होगा नहीं, मुख्य मंत्री जी के अलावा और किसी व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकते । मुख्य मंत्री शब्द जो है वह, श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के अन्दर आर्टिकल 163 और 164 के अन्दर आया है । उसके अन्दर डेफिनेशन नहीं दी गई है। उसके अन्दर यह दिया गया है कि मुख्य मंत्री कौन होगा । मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें यह है कि:--

"There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions......"

164 में है, "The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister.

तो चीफ मिनिस्टर को न तो कान्स्टीट्यूशन में डिफाइन किया गया है, न जनरल क्लाजेज

130

(श्री हरिसिंह)

एक्ट में डिफाइन किया गया है। कांस्टीट्यूशन में यह लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर वह व्यक्ति होगा जिसको गवर्नर अपोइन्ट करेगा। तो राष्ट्रपति शासन के अन्दर चीफ मिनिस्टर कोई हो नहीं सकता। अतः जब कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो अथारिटी कोई अध्यक्ष हो नहीं सकेगा और जब अध्यक्ष नहीं होगा तो यह जो अथारिटी है इसका कोई चेयरमेन नहीं होगा। चेयरमेन को इसमें बहुत सी पावर्स और फंक्शन्स दिये हुए हैं। इस तरह से राष्ट्रपति शासन काल के अन्दर अथोरिटी वर्क नहीं करेगी। तो हमें ऐसा एक्ट नहीं बनाना चाहिए कि उस शासन प्रणाली के अन्दर अथोरिटी शून्य हो जावे, काम नहीं करे। किसी एक्ट का मकसद हुआ करता है कि जो बॉडी है वह हर वक्त काम करे। एक तो यह अमेंडमेंट मैंने दिया है।

दूसरा अमेंडमेंट सब क्लाज (2) में है। उसमें यह दिया है कि उपाध्यक्ष राज्य के नगर विकास के प्रभारी मंत्री होंगे। इन दोनों में मैंने अमेंडमेंट दिया है कि राष्ट्रपति शासन काल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वे होंगे जिसे गवर्नर नामिनेट करे।

तीसरा मैंने, श्रीमन् जो अमेंडमेंट दिया है इसके सब क्लाज (XXV) में प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सात सदस्य। इस पर मैंने सीमा सीमित करने की कोशिश की है। सात सदस्यों में से चार सदस्य वह होंगे, तीन तो होने चाहिये जयपुर रीजन के चुने हुए एम. एल. एज. और एक होना चाहिए जयपुर रीजन से चुना हुआ एम.पी. यह बहुत जरूरी बात है। हम मुख्य मंत्री, जो इसका अध्यक्ष है, को इतना वाइड डिस्क्रिशन नहीं देना चाहते हैं। इसको थोड़ा सीमित करें। इसलिए यह अमेंडमेंट दिया है कि जिससे एम.एल.एज. और एम.पी. का प्रतिनिधित्व इसमें हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मेरे अमेंडमेंट स्वीकार किये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मूव करना चाहती थी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, जिन्होंने पहले से अमेंडमेंट दे रखे हैं वे बोलेंगे। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से आती हूं। मेरा अधिकार पहले है। आप मुझे बार-बार बैठा देते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई संशोधन लिखित में नहीं है मेरे पास। माननीय सदस्या, बैठ जावें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन जब आपने माननीय सदस्यों के लिए ओपन कर दिया तो मैं भी अपने संशोधन रखूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठ जावें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने नोटिस दिए हैं उनको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

जिन्होंने पहले से सूचना दे रखी है वे मूव करेंगे अपने संशोधन।

(व्यवधान)

Please, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब आपने ओपन कर दिया तो मुझे भी मूव करने का अधिकार है। आप व्यवस्था दे दीजिए कि मैं संशोधन नहीं दे सकती।

श्री उपाध्यक्ष: मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं लेकिन आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब आपने संशोधन मूव करा दिये···

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कर सकती हैं लेकिन नोटिस तो दें। जिन्होंने नोटिस दिए हैं उनको पहले मौका दूंगा। मैं आपकी बात सुनूंगा। आप बैठ जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव दिया है कि 4 की मद संख्या (XXIV) के पश्चात् यह जोड़ा जावे "जयपुर रीजन के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्रों के विधायक।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों का जो ढांचा है पंचायत समिति में विधान सभा के क्षेत्र आते हैं, जैसे एक विधायक के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो पंचायत समितियां आती हैं तो उस विधायक को उस दूसरी पंचायत समिति का भी मेम्बर बनाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अपनी सभी संस्थाओं, जो जो संस्थाएं हैं, के अन्तगत इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है। विधायक और संसद सदस्य लोकल बाडीज और जिला परिषद् में भी मेम्बर होते हैं। जिला परिषद् में सभी एम एल.एज. मेम्बर होते हैं। यह जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी का जो बिल पास करने जा रहे हैं इसके अन्तर्गत आपने किसी भी विधायक को लेने का प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि सारे के सारे गवर्नमेंट के हायर आफिसर्स को नियुक्त कर दिया लेकिन एम. एल. एज. उसमें नहीं लिए। उपाध्यक्ष महोदय, डी.एल.बी. यह डिपार्टमेंट का नाम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी.एल.बी. की व्याख्या होती है, डायरेक्टर लोकल बाडीज लेकिन अब तो इसकी व्याख्या भी बदल दी है। इसकी व्याख्या हो गई है–डी माने देओ, एल माने लेओ और बी माने वेचो। देओ, लेओ और वेचो। देओ पैसा, लेओ जमीन और वेचो। डी. एल. बी. की श्रीरामजी के राज में यह व्याख्या हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या कारण था कि विधायकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो इसमें इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है अभी अभी, इस संशोधन को प्रस्तुत करने के पीछे भी एक कारण है। सुबह मैं सुन रहा था, बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी माननीय कमलाजी की जो जयपुर जिले के बाहर से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आती है, और माननीय श्रीरामजी, जो जयपुर से आते हैं। माननीय कमलाजी के आग्रह करने पर, जोर देने पर यह संशोधन आया है। इसके पीछे बहुत थुक्काफजीती हुई और इन्होंने तेवर बदलें। उन्होंने कहा कि मैं बाजोरिया वाला मामला बताऊंगी, सीमेंट वाला वह मामला बताऊंगी। उसी तरह से भारद्वाज साहब ने और सब एम एल एज. ने कहा कि आपने सब को ले लिया, हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है ? तो यह संशोधन पेश किया गया है मैं भारद्वाज साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इसमें भी उन्होंने एक चक्कर रखा है। इसमें रखा है "नगरपालिका/परिषद्, जयपुर से भिन्न ऐसी नगरपालिकाओं, जिनकी अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के अध्यक्षों में से कोई भी दो अध्यक्ष, जिन्हें प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये।"

मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर नगरपालिका/परिषद् के दो अध्यक्षों को क्यों छोड़ा गया, जयपुर नगर परिषद् के प्रतिनिधि को क्यों छोड़ा गया ? इसमें चार अध्यक्षों में से दो को क्यों लिया गया है। चार नगरपालिकाएं हैं उनमें से दो को ही नाम निर्दिष्ट क्यों होंगे ? दो नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को निर्दिष्ट नहीं करने का क्या कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी राजनीति है। राजनैतिक कारण है उनके सामने। अगर चार नगरपालिकाओं में से दो नगरपालिकाओं के अध्यक्ष विरोधी पार्टी के होंगे तो उनको नहीं लिया जाएगा। चार नगरपालिकाओं में से दो नगरपालिकाओं के कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो उनको लिया जाएगा। इस प्रकार की रचना इन्होंने की है। चार की चार नगरपालिकाओं के अध्यक्ष अगर इसके मेम्बर बन जाते हैं तो उनके सामने कोई आफत आने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा ही दूसरा संशोधन है इनका :

"ऐसी पंचायत समितियों, जिनकी पूर्ण या आंशिक अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के कोई भी दो प्रधान, जिन्हें प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये" इसमें भी दो प्रधान क्यों ? इसमें तीन पंचायत समितियों के क्षेत्र आते हैं तो तीन पंचायत समितियों के प्रधान क्यों नहीं ? इसका कारण क्या है ? कारण समझ में नहीं आता। कारण, श्रीमान्, सीधा साधा यह है कि जो दो प्रधान श्री राम जी गोटेवाला का समर्थन करेंगे उनको लेंगे। अगर उनमें से एक प्रधान कमला जी का सपोर्टर है तो उसको नहीं लिया जायगा। यह सारा का सारा हुआ कमला जी के लड़ाई से है। इसके पहले यह प्रावधान नहीं था। लेकिन लिया उसको जायेगा जो श्रीराम जी के समर्थक होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम जी की और कमला जी की तो घर घर की लड़ाई है। अगर कोई भूलचूक से हमारी नगरपालिका का चेयरमेन या प्रधान आ गया. .

एक माननीय सदस्य : खास बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खास बात नहीं है। यह राजनैतिक कारण से है। क्यों कि उसमें यह बैठते हैं, यह नहीं चाहते हैं इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जयपुर विकास प्राधिकरण में कोई व्यक्ति बैठकर इनके जो कारनामे इसके अन्दर होने वाले हैं, उन कारनामों की पोल खोले। पोल खुलने से बचने के लिये इस प्रकार का प्रावधान किया है। अन्य कोई कारण नजर नहीं आता। मंत्री महोदय स्पष्ट करें, आपने दो प्रधान शामिल किये हैं, दो नगरपालिका के अध्यक्ष शामिल किये हैं उसके बाद क्या कारण है कि आप इस क्षेत्र में आने वाले··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अमेंडमेंट रख दीजिये।

श्री. घनश्याम तिवाड़ी : अमेंडमेंट रख रहा हूं। अमेंडमेंट की व्याख्या करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिये, मेरे व्याख्या करने से मंत्री महोदय की आत्मा जागरूक हो जाय या हाउस की आत्मा जग जाय। उनको सम्मिलित न करने का कोई कारण नजर नहीं आता। खण्ड 4 में धारा (2) देखिये "में निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार यदि वह उचित समझे तो किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त कर सकेगी।" क्या मतलब है? इसको डिलीट किया जाना चाहिये। यह कृत्यकारी बोर्ड जो गठित किये गये हैं, इनमें दो ही मैम्बर क्यों नियुक्त किये जायें? इन्होंने बैन लगा दिया एम.एल.एज. पर, इन्होंने बैन लगा दिया प्रधान पर, इन्होंने बैन लगा दिया नगरपालिका के अन्य अध्यक्षों पर। लेकिन अन्य व्यक्तियों, जिसको चाहे नियुक्त कर सकेंगे। कारण क्या है? कोई भी ऐसे अधिकारी, जिसको यह कृत्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनायेंगे, को इसके अन्दर लेकर शामिल कर लेंगे। यह सारा का सारा मामला, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा मसला है, इस मसले पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। विधायक, जन प्रतिनिधियों को दूर रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। दो प्रधानों को शामिल कर लेंगे। 342 ग्राम पंचायतें रखी हैं, उसमें तीन प्रधान होंगे तो बाकी की पंचायतों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बाकी जो नगरपालिकाएं बची हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इस बात का क्या जवाब है। उनकी समस्याओं का समाधान क्या होगा? इस प्रकार अन्याय क्यों किया जा रहा है? आधी नगरपालिकाओं के सदस्य नामिनेट करेंगे, आधे प्रधानों को नामिनेट करेंगे। आधी पंचायतों के सरपंच हैं, उसके जो प्रधान हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? श्रीरामजी, जो किशन पोल से जीत कर आते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। मुख्य मंत्री मान लिया राजस्थान के हैं, लेकिन उनको इतना समय नहीं कि एक एक पंचायत पर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा यह कि भेदकारी कानून है, यह विभेद पैदा करता है। यह अधिकार उन सदस्यों को, उन प्रधानों को होना चाहिए, यह अधिकार उसके चेयरमैन को नहीं होना चाहिये कि भेद पैदा करें। दो प्रधानों को ले लिया और दो नगरपालिकाओं को ले लिया लेकिन यह संविधान की मूल भावना और कानून की मंशा के खिलाफ है। यह जस्टिस नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होगा, आप दो प्रधानों को शामिल करें और दो को छोड़ दें। दो नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को शामिल करें और दो को छोड़ दें। यह कानून की मंशा नहीं है। यह कानून नहीं हो सकता है। यह डिस्क्रिमिनेशन है। यह भेद है। उसके अन्दर विभेद की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। इस प्रकार टर्न डाउन हो जायेगा। किसी भी न्यायालय में जायेगा, न्यायालय में जाने के बाद यह धारा, जो बिना सोचे समझे और लड़ाई के कारण से जोड़ी गयी है, टर्न डाउन हो जायेगी। जब भी न्यायालय के द्वार पर जाकर कोई भी प्रधान कहेगा, यह मेरे अधिकार का हनन है तो, उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय इसको टर्न डाउन करेगा क्योंकि भेद किया जा रहा है। इस भेद को आप क्यों पनपा रहे हैं? इस भेद की व्याख्या कीजिये। कारण क्या है? वहां पर 20 आदमी बैठते हैं 27 आदमी बैठते हैं, अगर वहां पर 32 आदमी बैठ जायेंगे तो आपको तकलीफ क्या होने वाली है? क्या आपके पास उनके लिये कुर्सियां नहीं हैं? क्या उनके लिये मेज नहीं हैं? क्या उनके लिये बैठने के लिये हाल नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कोई भी कानून, जिसको हम हाउस में पास करते हैं, पास करने के बाद न्यायालय में जाता है न्यायालय में जाने के बाद अगर उसको निरस्त किया जाता है तो हाउस का एक तरह से उपहास है। इस हाउस को उपहास का पात्र मत बनाइये। हाउस में समझदार लोग भी बैठते हैं। श्रीमान् जी, यह डी. एल. बी. की व्याख्या तो आपने बदल दी लेकिन जे. डी. ए. की व्याख्या मत बदलिये। डी. एल. बी. का तो बंटाधार कर दिया। इसको तो देखो, लेओ, और बेचो क्लब कर दिया। लेकिन जे.डी.ए. को आप क्या बनाना चाहते हैं। इसमें क्या आप भाई भतीजावाद घुसेड़ना चाहते हैं? इसमें आप पार्टी पालिटिक्स का विकास करना चाहते हैं। जिस समय बिल लेकर आये उस समय कह रहे थे मेरी पार्टी की नीति है, यह तो बोलते रहेंगे हम विकास करते रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा, आपकी पार्टी की नीति यह है बोलो कुछ, करो कुछ और भेद पैदा करो। दो प्रधानों को लेओ और दो को छोड़ो। दो नगरपालिकाओं के चेयरमैनों को लेओ और दो को छोड़ो। यह विभेदकारी संशोधन लेकर आये हैं। क्या तकलीफ थी इनको विधायकों को लेने में? जब विधायक पंचायत समिति में बैठते हैं, जब पंचायत समिति की हर तहसील में विधायक बैठता है तो जयपुर डवलपमेंट अथारिटी में एम. एल. एज. क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आपने व्यवस्था की है, दूसरे सात व्यक्तियों को लिया जाएगा। दूसरे सात व्यक्तियों को क्यों, वहां के एम. एल. एज. को क्यों नहीं लिया जाता है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है, उप-खण्ड (1) में मद संख्या (XXIV) के पश्चात् मद संख्या जोड़ी जाये, जयपुर रीजन के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र के विधायक।

दूसरा मैंने जोड़ा है, नगरपालिका परिषद् जयपुर से भिन्न ऐसी नगरपालिकाएं, जिनकी अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के अध्यक्षों में से कोई भी दो, इसमें शब्द "के अध्यक्षों में से कोई दो" के स्थान पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शब्द "सभी अध्यक्षों" शामिल किये जावें।

"तीसरा विद्यमान मद (XXV) को मद (XXVI) के रूप में पुनर्संख्यांकित इन्होंने किया है और इसमें जोड़ा है" ऐसी पंचायत समितियों, जिनकी पूर्ण या आंशिक अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के कोई भी दो प्रधान, जिन्हें प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जावे के स्थान पर "के क्षेत्र में आने वाले सभी प्रधान" यह मैंने जोड़ा है।

मेरे कहने का मतलब है, चुने हुए जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे नगरपालिका के चेयरमेन हों, चाहे पंचायत समितियों के प्रधान हों, चाहे विधायक हों, यह लोकल बाडीज का मामला है, स्वायत्तशासी संस्थाओं का मामला है इसलिये हर क्षेत्र के व्यक्तियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कमला जी से दब कर तो आपने दो दो का प्रावधान कर लिया लेकिन थोड़ा बहुत हमारे सदन का भी ख्याल रखो। माननीय सदस्या का तो आप ख्याल रखिये लेकिन किसी क्षेत्र की जनता के साथ भेद मत करिये। बचरोल का आ जाएगा, सोडाला का नहीं आयेगा, आमेर का आ जायगा, लेकिन सांगानेर का नहीं आयेगा। इसलिये भेद मत करिये, गोटेवाला साहब, और इन संशोधनों को स्वीकार करिये। आप कहिए कि सब एम. एल. एज. इसके मेम्बर होंगे, सभी प्रधान इसके मेम्बर होंगे, सभी नगरपालिकाओं के अध्यक्ष इसके मेम्बर होंगे।

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करूंगा। यह आगे के जो सैक्शन हैं, उस सैक्शन में इनका अमेंडमेंट है वह कान्ट्रे-डिक्टरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा आगे चलकर इन्होंने व्यवस्था की है...

श्री उपाध्यक्ष : वह आ जाये उसके बाद में।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्लाज 7 में लिखा है, आप देखिये आखिर में "(XIII) आयुक्त नगरपालिका/परिषद् जयपुर, परन्तु नगरपालिका जयपुर के लिये कोई प्रशासक नियुक्त हो जाने पर वह सदस्य होगा।" इन्होंने उसमें भी चेयरमेन को गायब कर दिया। या तो कमिश्नर उसका मेम्बर होगा या प्रशासक उसका मेम्बर होगा। इन्होंने जोड़ दिया वह। इस प्रकार यह दोनों कांट्रेडिक्टरी हैं। इसमें एक तरफ इन्होंने प्रतिबन्ध लगा दिया है कि नगरपालिका के आयुक्त, नगर परिषद् के आयुक्त और नगर परिषद् के प्रशासक के अलावा दूसरा व्यक्ति इसमें मेम्बर नहीं होगा। क्लाज 7 के आखिर में पढ़ लीजिये। इसमें जो संशोधन लेकर आये हैं इसमें ये चेयरमैन को लेकर आये हैं। इसलिये यह संशोधन जो खंड 4 में लेकर आये है यह संशोधन खण्ड 7 के विपरीत है। दोनों कांट्रेडिक्टरी है। कांट्रेडिक्टरी होने से उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिये, इसलिये मैंने संशोधन रखा है, चारों नगरपालिकाओं के दो, और चारों ओर। खंड 7 में जो रखा है, उसको तो विलोपित किया जाना चाहिये और इस खंड के लिये तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा। कांट्रेडिक्टरी लॉ अपन नहीं बना सकते। एक क्लाज, आगे जाकर जिस का विरोध

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
यह विधेयक करता है पहले वाले क्लाज से वह चीज नहीं जोड़ी जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप इतना तो कहेंगे, हमने हर संशोधन को पढ़ा है और पढ़ने के बाद निवेदन कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा जो संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया है वह धारा 7 के प्रावधानों के खिलाफ है। कैसी मजाक की बात है जिस बात का अपन आगे विरोध करते हैं, उस बात को आप दबाव में आकर स्वीकार करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार का कानून, जो भेद करता है, नहीं होना चाहिये। विनम्र शब्दों में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कमला जी से आज आपने दब कर दो को स्वीकार किया, तो हाउस की भावनाओं की, सबकी भावनाओं की, जन प्रतिनिधियों और जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए आप इन संशोधनों को स्वीकार करिये। इसमें कोई बुराई नहीं है। जगह आपके पास पर्याप्त है। कुर्सियां आपको उपलब्ध हो जायंगी। कागज भी आपको मिलेंगे। सदस्यों की संख्या 30 के बजाय 34 हो जाय, या 32 हो जाये या 27 हो जाये, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह जन समस्याओं का वर्णन कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय इसको स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

Not transferable.

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं, नहीं। विलोपित करने के लिये...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने नोटिस दिया।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

यह कानून बनाने वाली बात है, कानून बनाने में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। सुनने की अगर जरा क्षमता है तो सुनिये। वह मुद्दे की बात नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप नहीं थे, फिर भी कानून बनते थे यहां पर।

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय कोई और होंगे जो इस तरह बहस करते होंगे। विधान सभा तो थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 4 में और उसके उपखण्डों और भागों में 5 या 6 संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

इन संशोधन को प्रस्तुत करने की पृष्ठ भूमि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है।

श्री कैलाश मेघवाल : आज एक मोशन को स्वीकार कर चुके...

श्री उपाध्यक्ष : पहले अमेण्डमेंट रख दें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने पहला अमेण्डमेंट खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) के भाग (ii) में रखा है "उपाध्यक्ष, जो राजस्थान राज्य के नगर विकास का प्रभारी मंत्री होगा:" को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाय :

"उपाध्यक्ष जो जयपुर रीजन में अनुसूची (I) में आने वाले ग्रामों की पंचायतों के सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान तथा जिला प्रमुख एवं जयपुर रीजन के किसी भी क्षेत्र से निर्वाचित विधायक, संसद सदस्य एवं किसी क्षेत्र की नगरपालिका/नगर परिषद् के सदस्यों, चेयरमेनों तथा ऐसे निकायों के चुनाव के अभाव में नियुक्त प्रशासकों द्वारा चुने जायेंगे।"

यह मेरा पहला संशोधन है। मैंने इसमें भाग (ii) के पश्चात् मद संख्या (ii–क) अन्तःस्थापित करने के लिए निवेदन किया है, '(ii-क) राजस्थान राज्य के नगर विकास का प्रभारी मंत्री'।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जे. डी. ए. को लाने में माननीय गोटेवाला साहब, जो कि किशनपोल क्षेत्र से सदस्य चुने गये हैं और जयपुर जिले के रहने वाले हैं, का भावात्मक लगाव जयपुर और उसके आसपास के प्रति है। उन्होंने इस जयपुर प्राधिकरण विधेयक को लाने में सबसे ज्यादा मदद की है और सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो सौभाग्य की बात है कि मंत्री महोदय जयपुर के हैं। अगर कल की तारीख में जयपुर के स्वायत्त शासन मंत्री नहीं हुए तो जयपुर के प्रति जो भावात्मक लगाव होना चाहिए वह नहीं होगा। मुख्य मंत्री भी नहीं हुए, स्वायत्त शासन मंत्री भी नहीं हुए, अध्यक्ष भी नहीं और उपाध्यक्ष भी नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सारे प्राधिकरण का कार्य पंगु हो जायेगा अगर उपाध्यक्ष की जयपुर के प्रति भावात्मक एकता नहीं रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष कौन हो। आगे का जो खंड आयेगा, धारा और उप-धारा बनेगी उसके अन्दर उपाध्यक्ष बहुत महत्व का व्यक्ति है, उसका लगाव जयपुर के प्रति हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी जयपुर रीजन के प्रति हो, इसलिए जहां भी चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया से जो आते हैं, चुनने वाले लोग हैं उनके प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी, प्रतिबद्धता होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष इस जयपुर रीजन के तहत आने वाले जो जन प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। चुने हुए उपाध्यक्ष की इस व्यवस्था के तहत प्रक्रिया मैंने संशोधित रूप में पेश की है। उपाध्यक्ष सदैव इसी रीजन का होगा, इसी रीजन के जो जन प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधि उपाध्यक्ष बनेगा तो उसका सदैव जयपुर रीजन के प्रति भावात्मक लगाव रहेगा जिसके कारण जयपुर का आगे विकास हो सकेगा। आखिर आप नामिनेशन क्यों रखना चाहते हैं। मुझे अफसोस है उपाध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले, माननीय सदस्य ने तो कहा ही मुख्य मंत्री के पद की गरिमा के लिये कि चाहे मुख्य मंत्री जयपुर रीजन का हो, चाहे और कोई रीजन का हो, मुख्य मंत्री राजस्थान का मुख्य मंत्री होता है। उस पद को इस स्थिति में ले आये हैं। यह मैं नहीं कह सकता, आपके कहने पर या न मालूम कैसे

(श्री कैलाश मेघवाल)

मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया । सारे राजस्थान के विकास का भार मुख्य मंत्री के कंधों पर है, यह छोटे-छोटे····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात कही जा चुकी है । इसको रिपीट न करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं, यह मुख्य मंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, फिर उन्होंने कैसे स्वीकार किया ? तो, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष वह होना चाहिये जिसको चुनें जन प्रतिनिधि इलेक्टोरल कालेज । यही हमारा सीधा-सादा मंतव्य है । आज की परिस्थिति में भी चुनाव हो जायं, तो माननीय राजस्व मंत्री, जो इस बिल को पाइलेट कर रहे हैं, स्वयं स्वीकार करेंगे कि उनकी कांग्रेस पार्टी का ही उपाध्यक्ष बनेगा । ऐसी स्थिति है तो क्या एतराज है । आगे जाकर उपाध्यक्ष को महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं । स्वायत्त शासन मंत्री सचिवालय में बैठने वाले हैं उनके बजाय दूसरा अगर ऐसा व्यक्ति आ जायेगा जो निरंतर दिन-प्रतिदिन काम में लगा रहेगा, उपाध्यक्ष महोदय, वह इस बिल की भावना को ज्यादा ईमानदारी, लगन और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ा सकेगा। इसमें क्या एतराज है सरकार को । आने वाला तो वही है जिसको जन प्रतिनिधि चुनें । उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उसको पूछा जा सकेगा । मै कह सकता हूं, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्वायत्त शासन मंत्री बन जायं तो कौन पूछेगा इनको । बांदीकुई से आने वाले या रीजन के किसी गांव से आने वाले व्यक्ति कैसे पूछ सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं । यह अधिकार उनको है जो जन प्रतिनिधि उसको चुनते हैं और वहां बिठाते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में । तो मेरा पहला संशोधन यह है और मैं चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण प्राधिकरण है इसमें राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री भी सदस्य रहने चाहिये । इसलिये मैंने भाग (ii) के पश्चात भाग (ii-क) जोड़ने के लिये संशोधन दिया है जो मैंने दिया है वह यह है कि "(ii-क) राजस्थान राज्य के नगर विकास का प्रभारी मंत्री अन्तःस्थापित किया जाय।" यह किसी न किसी रूप में आ चुका है । इस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं केवल संशोधन रखे दे रहा हूं क्योंकि वह आ चुका है । जयपुर रीजन के निर्वाचित संसद सदस्य, विधायक और इस क्षेत्र की पंचायत समितियों के प्रधान एवं जिला प्रमुख, ये भी इस प्राधिकरण के सदस्य होने चाहिये । अगला संशोधन मैंने मूव किया है वह है खण्ड 4 के उप-खण्ड (2) में कहा गया है कि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार उचित समझे तो किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त कर सकेगी । यह कृत्यकारी बोर्ड 3-4 तो इसमें दे रखे हैं और फिर सरकार को, प्राधिकरण को अधिकार है जितने चाहे कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को सदस्य बना सकेगी । उनके चेयरमेन कौन होंगे—राजकीय अफसर । मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इन सरकारी नौकरों की फौज बढ़ाकर आप क्या करना चाहते हैं। इसमें फिर सरकारी अधिकारी ले लें जिसको चाहें कृत्यकारी बोर्ड में से सदस्य बना सकेंगे इसलिये कहता हूं··

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खर्तसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय और आधा घन्टे और बढ़ा दिया जाय।

यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय किसी फंक्शन में गये हुए थे वह आ रहे हैं। विपक्ष के नेता महोदय से भी बात की जा चुकी है और यह तय कर रहे हैं कि कल बैठ कर अनौपचारिक तौर पर विचार विमर्श कर लें, इसको किस तरह से पारित किया जाय। इसके बारे में विचार-विमर्श हो रहा है इसलिये आधे घण्टे का समय और बढ़ा दीजिये ताकि आधे घन्टे में जितनी भी व्याख्या कर सकते हों, कर ली जाय और by that time हम तय कर लें कि बाकी का कार्य कैसे होगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से आधे घन्टें का समय और बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि यदि आपका विचार बन गया है कि आपस में बैठ कर चर्चा हो जाय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आपका पाइन्ट आफ आर्डर है या क्या बात है...

श्री भंवरलाल शर्मा : जो सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि इस विधेयक को ठीक से पारित कराने के लिये कल विचार करने के लिये समय चाहते हैं। शायद उनका विचार यह है कि कुछ माननीय सदस्य विरोध के बैठ जायेंगे, कुछ इनमें से बैठ जायेंगे not as the house। ऐसा विचार आपका है ही और यह करना चाहते हो तो फिर किसी भी क्लाज को पास कराने का उपयोग नहीं है। और अगर पास कराना नहीं चाहें तो बैठने का उपयोग नहीं है। इसलिये दोनों में से एक निर्णय कर लीजिये या तो बैठ कर तय कर लीजिये कि किस तरह पास करना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जैसा मैंने अर्ज किया, माननीय विरोधी दल के सचेतक महोदय, हमारी इच्छा यह है कि 20 तारीख को पास हो, 21 को कौनसा कार्य लिया जाय और 22 को असेम्बली चलाई जाय या नहीं, यह सारी बात तय करके वह आ रहे हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जे. डी. ए. का प्रश्न है यह जयपुर से ज्यादा संबंधित है। माफ करेंगे बाकी माननीय सदस्य। इससे हम लोग प्रभावित हैं इसलिये हम एक-एक क्लाज पर हमारा मंतव्य बतायेंगे, डिस्कस करेंगे और चाहेंगे कि ऐसा कानून बने जिससे वास्तव में जयपुर का डवलपमेंट जैसा चाहते हैं, वह हो जाय

हम लोग निश्चित रूप से इन्ट्रेस्टेड हैं और इसे अच्छी शक्ल देने के लिये प्रयत्नशील हैं। मेरा यह निवेदन है कि आपसी विचार के बाद बिल पास कराना हो तो वह तरीका ठीक है, वह कर लीजिये। फिर खण्ड पास मत कराइये...

श्री खर्तसिंह राठौड़ : हम चार दिन से आपको इस बारे में कोआपरेट कर रहे हैं। हम खुद यह चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा

(श्री खेतसिंह राठौड़)
विधेयक पास हो।··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री मेघवाल। टाइम का ध्यान रखें। आपको अनुमति नहीं दूंगा और न आपको दूंगा। बैठ जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 4 के उप खण्ड (2) को विलोपित करने का संशोधन दिया है। जितने आपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लिये हैं वे पर्याप्त हैं। सरकारी अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा इसमें डालने की प्रवृत्ति आखिर आप क्यों अपनाना चाहते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि सारे सचिवालय के प्रमुख सचिवों को इसका सदस्य बना दिया गया है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सारे राजस्थान को जयपुर रीजन मानते हैं तो हमें यह कह दें कि जयपुर रीजन ही सारा राजस्थान है। इसलिये भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की हुकूमत इसमें बैठी हुई है, मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं, स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हुए हैं। इसके बाद इसमें मुख्य मंत्री को अधिकार है, सरकार को अधिकार है, उसके आधार पर किसी भी अधिकारी, जो कृत्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष हो, को जयपुर विकास प्राधिकरण का····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नियमों में प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य एक बात को, कही हुई बात को दुबारा कहे तो मैं उसको मना कर सकता हूं। कृपया आप यह रिपीट न करें। यह कहा जा चुका है So many times.

श्री कैलाश मेघवाल : खण्ड 4····

श्री उपाध्यक्ष : मैं बहुत अदब के साथ आपको कह रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : खण्ड 4 उप खण्ड (2) के सन्दर्भ में मैं यह बात कह रहा हूं अगर किसी और संदर्भ में कही गई है तो उसका संदर्भ कुछ और होगा। मैं इसको विलोपित करने के लिये अपने तर्क दे रहा हूं। तर्क देने का मुझे अधिकार है।··

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा संशोधन है खण्ड 4 के उप खण्ड (4) में प्रयुक्त शब्द "का अध्यक्ष आदेश द्वारा उसे" विलोपित किये जायं। वह मैं पढ़ देता हूं और इसमें मैं क्या शब्द विलोपित करना चाहता हूं, वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। उप खण्ड (4) "उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण का अध्यक्ष आदेश द्वारा उसे प्रत्यायोजित करे तथा वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी अनेकानेक कमेटियों, प्राधिकरण की बैठकों में हिस्सा लिया होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो संशोधन पेश किया है "का अध्यक्ष आदेश द्वारा उसे" शब्द विलोपित किये जायें। इसलिये विलोपित किये जायें कि मैं इसको

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्पष्ट परिभाषा चाहता हूं । उपाध्यक्ष कौन-कौन से काम करेगा । चीफ मिनिस्टर जो चाहे वह काम करेगा । आखिर चीफ मिनिस्टर जो चाहे वह काम करेगा । चीफ मिनिस्टर को किसी भी रूप में अधिकार है । फिर आप यह परम्परा क्यों डालना चाहते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, इनका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । यह सही बात है, मान लीजिये, अध्यक्ष नहीं है जैसे आज स्पीकर साहब नहीं हैं तो डिप्टी स्पीकर साहब विराजे हैं । जब वे थक जाते हैं दूसरे आते हैं । आप जो शक्तियां लेना चाहते हैं वे शक्तियां भी इसमें लिखवाने की आप में हिम्मत नहीं है, अध्यक्ष ने मुझको यह शक्ति दे दी थी इसलिये मैंने इसका यह उपयोग किया है । मैं यह स्थिति नहीं रखना चाहता हूं इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो संशोधन दिया है, उस संशोधन की मंशा यह है कि उपाध्यक्ष के निश्चित अधिकार और कर्तव्य इसमें होने चाहिये । इसलिये यह जो शब्द है "का अध्यक्ष आदेश द्वारा उसे" यह विलोपित किये जायें ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने फिर इसी खंड 4 के उप-खण्ड (8) में एक संशोधन दिया है वह इस तरह से है । खण्ड 8 पढ़ देता हूं पहले । "(8) उप-धारा (1) के खण्ड (XXV) के अधीन नाम निर्देशित प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों की कार्यावधि साधारणतः दो वर्ष की होगी जिसे प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा कुल मिला कर दो वर्ष से अधिक की कालावधि तक और बढ़ाया जा सकेगा ।' मैंने इसमें प्रयुक्त शब्द "साधारणतः दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित करने का संशोधन पेश किया है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिये चाहता हूं कि यह कालावधि दो वर्ष की होगी तो क्या काम होगा, क्या करेंगे । सारी व्यवस्था को समझने में समय लगता है । सारे विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों को समझने में समय लगता है । दो साल की कालावधि तो आज तक कहीं पर भी निर्वाचित सदस्यों के लिये या नामिनेटेड सदस्यों के लिये नहीं है । दो साल का समय इतना नगण्य है, उपाध्यक्ष महोदय, इस समय को बढ़ाया जाना चाहिये और इस विधेयक में स्पष्ट प्रावधान आना चाहिये कि तीन साल तक वे सदस्य रहेंगे और तीन साल के बाद भी जो डिस्क्रिशन हैं उनके नामीनेशन को बढ़ाने का वह दो साल का हो सकता है । इसलिये मैंने स्पष्ट निवेदन किया, उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल की अवधि होनी चाहिये । तीन साल की अवधि इसलिये कि एक निश्चित काल होना चाहिये, वह काल इतना पर्याप्त होना चाहिये कि उसके अन्तर्गत वह सदस्य प्रभावी ढंग से काम करें । मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं स्वायत्त शासन मंत्री जी से, जो इस बिल को पायलट कर रहे हैं, आपके सदस्यों के मनोनयन का आधार क्या है और उस मनोनयन का उद्देश्य क्या है ? आपका सीधा-सादा उद्देश्य यह है कि यह सदस्य जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों में, उसकी नीतियों में और उसके दूसरे कामों में अपना प्रभावी योग दे सकें । प्रभावी

(श्री कैलाश मेघवाल)

योग देने के लिये क्या दो साल का समय पर्याप्त है, उपाध्यक्ष महोदय ? आज संसद और विधान सभा की सदस्यता पांच साल की होती है। आज नगर परिषद् की सदस्यता तीन साल की होती है। कोई विश्वविद्यालय में नामिनेशन होता है तो वह तीन साल का होता है। दो साल का रख कर यदि आपको ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को सन्तुष्ट करना है कि दो साल यह रहे, दो साल यह रहे, अगर वह रोटेशन से देना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को तो वे अपना प्रभावी योग नहीं दे सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह मनोनयन करना नाकारा हो जायेगा, निरर्थक हो जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह अवधि तीन साल की हो।

इसके बाद मैंने संशोधन दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 8 में एक परन्तुक है, इसको विलोपित किया जाये "परन्तु अध्यक्ष यदि वह लोक हित में ऐसा करना उचित समझे तो, ऐसे किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगा।" यह अधिकार लेना चाहते है। मैं आपसे पूछता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया के अन्तर्गत, चुनाव प्रक्रिया में चाहते न चाहते हुए वही व्यक्ति आयेगा निर्वाचन मण्डल का जिसमें विश्वास होगा। वह प्रक्रिया बन्द कर दी। आपने प्रथम बार में नियुक्ति कर दी, मनोनयन कर दिया और इसके साथ ही आप जब चाहेंगे तब उसको निकाल देंगे। क्यों ? क्या, उपाध्यक्ष महोदय, केवल इसलिए जब आपको यह मालूम पड़ जायेगा कि जिसका हमने मनोनयन किया है, यह हमारे कार्यकलापों के खिलाफ जा रहा है, जब यह मालूम पड़ जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी गड़बड़ियों को ज्यादा तेजी से जनता के सामने ला रहा है, जब यह मालूम पड़ जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण में होने वाले भ्रष्टाचार, गबन, घोटालों के बारे में अपनी जुबान खोल रहा है तो उसको निकाल कर बाहर कर दिया जायेगा। आखिर क्या आवश्यकता है ? अगर मनोनयन कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर करेंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्री, सरकार जिस आदमी को मनोनीत करेगी, वह सोच विचार कर, बड़ी संजीदगी के साथ मनोनयन करेगी। अगर किसी तरह से उनको टिकने नहीं देंगे तो उससे जयपुर का विकास नहीं होगा। अगर अच्छा दिल रहेगा, अपने विषय को जानने वाले व्यक्ति उसमें रहेंगे, जो जयपुर का विकास प्रभावी ढंग से करेंगे। ऐसे लोगों का आपने मनोनयन किया है तो उनको हटाने का आप चैक क्यों लेना चाहते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह के. . .

(6.42 सायं)

(श्री तकीउद्दीन सभापति, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा था, आप तो पधार रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। अब मैं सभापति महोदय को सुनाऊंगा उनका जयपुर के साथ भावात्मक संबंध जरूर है, उपाध्यक्ष महोदय का भावात्मक संबंध नहीं है।

तो मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि यह जो सदस्य को हटाने का आपका प्रावधान है, वह हटाये जाने का प्रावधान यह है "परन्तु अध्यक्ष यदि वह लोकहित में ऐसा करना उचित समझे तो, ऐसे किसी सदस्य

(श्री कैलाश मेघवाल)

की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगा:''. इसको विलोपित कर दीजिये। मनोनयन पहले ही आप कर रहे हैं। मनोनयन आप अपने विश्वस्त चेलों का करेंगे और चेलों के लिए कोई दूसरा शब्द तो मैं प्रयोग करना नहीं चाहता, वैसे वह शब्द भी आजकल बहुत चलता है, ऐसे लोगों का आप मनोनयन करेंगे और जब कोई इनकन्विनियेन्स आपको हो जाये, थोड़ा सी भी...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आजकल तो वह भी टैक्स फ्री है। उसको भी आप बोल दें तो कोई बात नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : हां। अगर बोल भी दूं तो कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल तो वे सब भी स्टील के होते हैं। आप तो इसको जानते हैं, इसलिये ही तो आपने मनोनयन रखा है। अगर आपका दिल साफ होता तो आप निर्वाचित लोगों को रखने की बात करते। आपने मनोनयन की बात की और मनोनयन के बाद भी जिस रोज आपको यह मालूम पड़ जाये कि यह हमारे साथ नहीं चल रहा है तो उसको धक्का देकर निकाल देना चाहते हो। यह अभिप्राय एक तानाशाही तौर-तरीकों को जन्म देने वाला है। यह अधिकार एक इनडायरेक्ट तानाशाही की प्रवृत्ति का परिचायक है। ऐसे अधिकार को, माननीय सभापति महोदय, नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है कि यह परन्तुक विलोपित किया जाय।

इससे आगे, माननीय सभापति महोदय, खण्ड 4 के उप-खण्ड (9) के भाग (क) में है। इसमें मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन दिया है। खण्ड 4 का उप-खण्ड (9) में पढ़ दूं उसके बाद में यह पढ़ूंगा कि मेरा संशोधन क्या है और क्यों मैं यह संशोधन देना चाहता हूं वह तर्क आपके सामने रखूंगा। खण्ड 9 "प्राधिकरण या उसके किसी बोर्ड, समिति या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि:–

(क) प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किसी सदस्य का नामनिर्देशन या नियुक्ति नहीं की गयी है या किसी अन्य कारणवश प्राधिकरण या ऐसे निकाय के गठन के या बैठक के समय वह अपना पद संभालने के लिए उपलब्ध नहीं है या उसके गठन में कोई अन्य त्रुटि है या कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से सदस्य है या प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किन्हीं सदस्यों के पदों को एक या अधिक रिक्तियां हैं, इसमें जो मैंने निवेदन किया, माननीय सभापति महोदय, "उसके गठन में कोई अन्य त्रुटि है..." इस सारे को विलोपित कर दिया जाय। इसको विलोपित करने के लिए केवल इसलिये संशोधन रखा है, एक तरफ आप प्राधिकरण का स्वरूप लेकर आये एक तरफ प्राधिकरण की रचना लेकर आये उस रचना में आपने सारे प्राधिकरण का समूह रखा है, उसके कौन सदस्य हैं, उसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी या कार्यकारिणी समिति के कौन सदस्य हैं, उसकी समितियां हैं उसके कौन सदस्य है, एक निश्चित आपने समूह रखा है और उसको आप सदन से पारित कराना चाहते हो, इस सदन से उसकी सहमति चाहते हो लेकिन, माननीय सभापति महोदय, उसके ठीक विपरित यह क्लाज एक ऐसा अधिकार लेने के

(५५)

(श्री कैलाश मेघवाल)

बराबर है जैसे कोई किसी तरह बैठकर फैसला ले लिया, केवल अध्यक्ष जी बैठे हैं एक दो और लोग वहां आकर बैठ गये हैं और उन्होंने आकर कह दिया कि यह प्राधिकरण की मीटिंग है। उसने जो फैसला ले लिया, वह मान्य होगा। फिर क्यों आप सदन का समय बरबाद कर रहे हो ? क्यों फिर आप इस सदन से इस तरह का अधिकार चाहते हो ? इससे आपका मन्तव्य क्या है ? कोई सदस्य बना हो या नहीं बना हो, कोई मीटिंग में आया हो या नहीं आया हो, कोई जगह ले सका हो या नहीं ले सका हो, उसकी कोई त्रुटि रह गयी हो, और उस त्रुटि को मान्य नहीं किया जायेगा। फिर आप इस सारे जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक को पास करवाकर करना क्या चाहते हो ? मुख्य मंत्री के सचिवालय में, मुख्य मंत्री के प्रकोष्ठ के पास जयपुर प्राधिकरण का प्रकोष्ठ खोल दीजिये, सारी पूर्ति हो जायेगी। माननीय सभापति महोदय, यह जो क्लाज है, जिसके ऊपर मैं आपके सामने संशोधन रख रहा हूं, यह खण्ड 4 के उप-खण्ड '9' का प्रावधान अगर इस बिल में चला जाता है तो, माननीय सभापति महोदय, आप इस सारी रचना को पढ़ लीजिये, आप इस सारे बिल को पढ़ लीजिए, सारी भाषा को पढ़ लीजिये, इस भाषा के साथ, इस प्रावधान के साथ यह सारा प्राधिकरण बेकार है, यह सारी चर्चा बेकार है, सारे अधिकारियों की मीटिंग करना बेकार है अथोरिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी, दूसरी कृत्यकारी वर्किंग कमेटी, सबका स्वरूप जो इसमें लिया है वह सारा बेकार है, फिर तो आप सचिवालय में मुख्य मंत्री के कमरे के पास में एक प्रकोष्ठ कायम कर लें और वहां बैठकर जो निर्णय लें वह निर्णय प्राधिकरण का निर्णय होगा, ऐसी बात इससे साबित होती है। आप ऐसा अधिकार क्यों लेना चाहते हैं ? ऐसा लेजिस्लेशन लेकर आप आये क्यों हैं ? मैं इनको ज्यादा स्पष्ट करने के लिये, माननीय सभापति महोदय, अंग्रेजी वर्सन भी आपके सामने इसलिए पढ़ देता हूं कि यह मालूम पड़ जाये कि आखिर मंशा क्या है आपकी। हिन्दी भी आजकल इतनी क्लिष्ट हो गयी है, माननीय सभापति महोदय।

"No act or proceeding of the Authority or of any board, committee or other body thereof shall be deemed to be invalid at any time merely on the ground that..."

क्या साधारण शब्द प्रयोग किया है "merely" और "merely" के बाद कितना गहन आपने इसको बना दिया है।

"any of the members of the Authority"

नम्बर नहीं दिया है एक कम है या दो कम है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी मेम्बर हो चेयरमेन अकेला बैठा है वाइस चेयरमेन अकेला बैठा है। "...or such body are not nominated...." आप नामिनेट नहीं कर सके किसी अथोरिटी को, किसी बाडी को

"appointed or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or any meeting of the Authority, or such body, or there is any other defect in the constitution thereof any person is a member in more than one capacity

(श्री कैलाश मेघवाल)

or there are one or more vacancies in the offices of any members of the Authority or such body."

यह अधिकार देने के बाद क्या रह जाता है, मुझे कोई समझा दें। माननीय सभापति महोदय आप भी वकील रहे हैं, उपाध्यक्ष जो हैं वे भी वकील रहे, कई लेजिस्लेशन में मैंने ढूंढा चाहे यू. आई. टी. एक्ट हो, चाहे म्यूनिसिपल एक्ट हो, चाहे इस तरह के निकायों के दूसरे एक्ट हों, चाहे देहली डवलपमेंट अथोरिटी का एक्ट हो, मैं माननीय राज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप यह लाये कहां से ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं किसने कहा, क्या मंशा लेकर आये हैं, क्या आपका आधार रहा है, क्यों आप इस विधान सभा में लेकर चले आये। अगर इस तरह का अधिकार लेते हो तो कोई भी कहीं भी बैठकर कोई काम करे, कोई भी डिफेक्ट रह जाये, कोई त्रुटि रह जाये लेकिन उसको गलत नहीं माना जायेगा, यह इसकी मंशा है। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको विलोपित किया जाय, इसको खतम किया जाय, इसको आगे नहीं ले जाया जाय। दूसरा है "(ख) प्राधिकरण या ऐसे निकाय की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जो विचारणीय मामले के गुणा-वगुणों को प्रभावित नहीं करती है," अंग्रेजी इसकी पढूंगा, सभापति महोदय, क्योंकि बिना अंग्रेजी के पढ़े साफ नहीं होगा यह। यह अंग्रेजी की ही हिन्दी है, यह साफ हो गया, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके बारे में जो प्रारम्भ में बताया उससे स्पष्ट है कि पहले यह प्राधिकरण का विधेयक अंग्रेजी में बना है और उसका हिन्दी अनुवाद करके पेश किया है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको अंग्रेजी में ही पढ़ दूं, अंग्रेजी का प्रारूप है · · · ·

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Can I help you

श्री कैलाश मेघवाल : Oh yes. You can help me. I am searching it. I am agitated because I was speaking very fluently and as such I may need help if you can. But I am searching it. Thank you very much.

यह है, माननीय सभापति महोदय।

श्री देवी सिंह भाटी : मैं आपसे कुछ व्यवस्था चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। ऐसा है, माननीय सभापति महोदय, आज नवरात्रा स्थापना दिवस है जिसका कि व्रत हमारे कई माननीय सदस्य भी करते हैं। जिस प्रकार से कि आप रोजे रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और फिर भोजन करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ाया गया है इसलिये उससे पहले तो यह प्रश्न उठने का सवाल पैदा नहीं होता है। सात बजे से पहले यह प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है।

श्री देवी सिंह भाटी : सभापति महोदय, सात बजे तो आप फिर आधे घंटे के लिये हाउस बढ़ा देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : क्लाज–4, सब-क्लाज–9, पार्ट-ए के बारे में मैंने बताया

(146)

(श्री कैलाश मेघवाल)

ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कि क्या भय है, क्यों अधिकार लेना चाहते हैं? पार्ट–बी पढ़ना चाहता हूं :

"(b) there is any irregularity in the procedure of the Authority or such body not affecting the merits of the matter under consideration."

माननीय सभापति महोदय, इसको तय कौन करेगा, इसे तय करने वाले ये अधिकार लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, यह तय करने वाले, यह जो मैटर है, महत्वपूर्ण नहीं था? Who is entitled.

यह तय करने का अधिकार लेना कि कोई अनियमितता है तो अनियमितता नहीं मानी जायेगी, कौनसा लेजिस्लेशन लाये हैं? यह सरकार सदन के सामने क्यों ऐसा लेजिस्लेशन लायी है। पढ़ रहे हैं, माननीय राज्य मंत्रीजी, 9 ए-बी, दोनों के बारे में मैं जानना चाहता हूं, ऐसे अधिकार आप क्यों लेना चाहते हैं। इन अधिकारों से आपकी सारी स्कीम फेल हो गयी है, इन अधिकारों से जिस ढाचे की कल्पना कर रहे हो, वह ढांचा बिखर गया है, इन अधिकारों से आपका सारा महल, फानूस के महल की तरह ढह गया है इर्रेगुलेरिटी को इर्रेगुलेरिटी मानना नहीं चाहते, कोई अथोरिटी बने या नहीं बने तो भी आप काम करना चाहते हो, उस अथोरिटी के अधिकार व्यक्तिगत काम में लेना चाहते हो, कोई बोर्ड बने या कमेटी बने न बने, आप ठीक ढंग से काम करने के लिए सक्षम बनना चाहते हो, कोई त्रुटि रह जाये, त्रुटि को त्रुटि मानना नहीं चाहते। माननीय सभापति महोदय, आज तक समझ में नहीं आया, बोल रहा हूं तब तक कि इन प्रावधानों को इफेक्ट में लाने की मंशा क्या है? क्यों इस तरह के प्रावधान ला रहे हो? माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि बहुत ही खतरनाक प्रपोजीशन है, खतरनाक प्रावधान है, अधिनायकवादी प्रवृत्ति को शो करता है, कानून न कायदा, डन्डा लगाने में फायदा बड़े हुक्म में फायदा, चलता था जिस शासकीय प्रणाली में, जिस काल खण्ड में चलता था, अधिनायकवादी और राज्यवाद; जिसको हम पीछे छोड़ आये हैं, उस राज्यवाद और अधिनायकवाद की याद हमको आपके इस खण्ड 4 और 9 ए–बी से मिल रही है। घड़ी के कांटे चल रहे हैं, इनको उल्टा करने की कोशिश मत करो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उल्टा करने की कोशिश मत करो, व्यक्तिवादी एलीमेण्ट को किसी लॉ में इतना मत आने दो कि लॉ लॉ न रह कर व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा पर सारे कानून की क्रियान्विति निर्भर हो जाये; माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं, अगर थोड़ा सी डेमोक्रेसी का विवेक है, थोड़ी सी डेमोक्रेसी के प्रति आपकी आत्मा झकझोरती है, आपको लगाव है डेमोक्रेसी के प्रति तो इसे विलोपित कीजिये, इसको समाप्त कीजिए, जिससे आपकी मंशायें ज्यादा उजागर हों, सारा अथोरिटी के हिसाब से, प्रक्रिया से आप अपना काम निकालें, तो ज्यादा उचित होगा, आपके लिए भी लाभदायक साबित होगा, सदन के लिए भी सही साबित होगा और जयपुर रीजन की जनता के लिए भी अच्छा साबित होगा।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, अगला संशोधन मैंने निवेदन किया, अगला संशोधन है, नहीं मैं क्षमा चाहता हूं, 4 के उपखण्डों में संशोधन थे, 5वां चालू हो चुका है, वह संशोधन मैं आपके सामने रख चुका। मैं चाहता हूं माननीय राज्य मंत्री जी, यह व्यवस्था मैंने उस समय भी चाही थी, अब भी चाहता हूं, माननीय राज्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहला तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदेशों के स्थान पर विनियमों को प्रस्थापित करने का संशोधन रखा था, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वहां से कह दिया, मैंने जवाब दे दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, ऐसा मत करिये। आपका आदेशों से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या आवश्यकता है? माननीय सभापति महोदय, जब यह इन्टरप्रिटेशन के लिए हाई कोर्ट में रिट में जायेगा, आपने ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कर रखी है, उस ट्रिब्यूनल में जायेगा, हमने संशोधन दे रखा है, हाई कोर्ट के जज को कुछ मुददों पर, विवाद पर, निर्णय करने का अधिकार हो, वह अगर स्वीकार हो जाता है, उस समय इस विधेयक के खण्ड उप-खण्ड, भागों की मंशा को लेकर अगर विवाद उत्पन्न हुआ तो विधान सभा की बहस को विवाद में रखा जायेगा और यह तय किया जायेगा, अभिवक्ताओं द्वारा, इन खण्डों, धारा, उपधारा को पास करने का, बनाने का विधान सभा का मन्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, राज क्या है? उसका दिशा निर्देश होगा और उसके आधार पर फैसले होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं जो भी संशोधन यहां पर रखा जा रहा है, आप धीरे जवाब दीजिए, जल्दी मत करिये, एजीटेट मत होइये, आप पर व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं, क्रोधित और एजीटेट होकर मुख्य जो जवाब देना चाहिए उससे परे हो जाते हो। साधारणतः जिस तरह की लाइट प्रवृत्ति, कुछ मामलों में जवाब देने की है, वह मत रखिये। बहुत गम्भीर लेजिस्लेशन है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं चुनौती देना चाहता हूं, माननीय राज्य मंत्री जी को, आप जिस रोज स्वायत्त शासन मंत्री नहीं रहेंगे और कोई दूसरा आकर बैठ जायगा तो जयपुर रीजन की जनता के गले पड़ने वाला यह कानून नहीं हो जाये। याद रखना, मेरे शब्द, विधान सभा के रिकार्ड में आ रहे हैं, जयपुर रीजन की जनता के गले पड़ने वाला कानून न बन जाये। जब तक इसको चलाने वाला भावात्मक एकता से चलाये, तब तक ठीक रहेगा। आपके मुख्य मंत्री, शायद जयपुर के प्रति बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हों, लेकिन मुख्य मंत्री अगर इतनी दिलचस्पी लेते आये होते, जयपुर के विकास के काम होते जयपुर के विकास की समस्याएं हल हुई होती लेकिन मुख्य मंत्री इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अभी आप स्वायत्त शासन मंत्री हैं, इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, उन मुद्दों के ऊपर मेरे संशोधन आपके पास आये हैं, विलोपन के संशोधन आये हैं, शाब्दिक संशोधन आये हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे संतुष्ट करें, माननीय सभापति महोदय, जैसे एक बात है, साधारणतः मेरे तर्क हैं, उन तर्कों से, राज्य मंत्री संतुष्ट नहीं हों, लेकिन मेरा एक अधिकार है, सदस्य के रूप में बहस में हिस्सा लेने का, तो मैंने जो संशोधन रखे हैं, उन पर आपका दृष्टिकोण उत्तर में अवश्य आना चाहिए।

(श्री कैलाश मेघवाल)

यही मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय राज्य मंत्री जी को निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ खण्ड-4 में संशोधन हैं, उनको प्रस्तुत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं, माननीय राज्य मंत्री जी, टाइम हो जायेगा तो चले चलेंगे, हाउस एडजोर्न हो जायेगा, व्यवस्था है वह तो, आप यही चाह रहे हैं कि मैं दो चार मिनट और बोलूं, मुझे कोई एतराज नहीं। माननीय सभापति महोदय, खण्ड-4 पर जितना बोलना था, उतना बोल चुका, अनावश्यक रूप से बोलने में विश्वास नहीं करता हूं, जितना बोलना था, बोल चुका, मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति . श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री भंवर लाल शर्मा . माननीय सभापति महोदय, क्या केवल हवामहल का मामला है? जयपुर के पूरे शहर तथा सैकड़ों गांवों का मामला है, आपका कोई सम्बन्ध नहीं है, न उनके प्रति आपको कोई प्यार है··.

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, आप बराबर कहते हैं कि आपका कोई सम्बन्ध नहीं, बुला लेते हो जयपुर में, रखते हो जयपुर में, आप कहते हो, हमें कन्सर्न नहीं है। बहुत कन्सर्न है, या फिर राजधानी यहां से हटा दीजिए। यह कह रहे हैं, जयपुर वालों से सम्बन्धित काम है जे. डी. ए. मैं कह रहा हूं आपने हमें बुला तो लिया जयपुर में, सिविल लाइन्स में हम रहते हैं, सदस्यगण और जयपुर में जगह-जगह रहते हैं, खेतसिंह जी सन् 52 से हैं, आप से ज्यादा चिंतित हैं, जयपुर के बारे में यह 15 साल और रहेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जे.डी ए.का कंपोजीशन हुआ, उसके लिये कानून बना जैसे "शरीर और आत्मा" इस तरह से बनाया गया है, इस पर विचार चल रहा है, पर इसमें लगता यह है जैसे जयपुर की एक कहावत है,

> "घर की ही तो मंडली और बाबा जी महन्त।"

जब इस खण्ड-4 को देखते हैं तो पूरे रूप से यह कहावत लागू होती है। अगर एक शब्द में कहा जाये, तो यही कहा जायेगा, कि

> "घर की ही तो मंडली और बाबा जी महन्त।"

और इसमें यह क्यों किया गया है, मंशा स्पष्ट है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 20-9-82 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.15 बजे सोमवार दिनांक 20 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)